नवम्बर, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover-II

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

नवम्बर, 2019 अंक - 11

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

समाज जिसमें व्यक्ति रहता है, 'मानव समाज' कहलाता है । इस समाज में 'मानव नियम और कानून', व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए जाते हैं । इन नियमों का अतिलंघन करना अपराध की कोटि में आता है । समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में आर्थिक नियम, राजनैतिक नियम, धार्मिक नियम, रहन-सहन संबंधी नियम समय-समय पर सभ्यताओं के अनुसार प्रतिपादित किए जाते हैं । जब से मनुष्य ने अपने सामाजिक संगठन का आरंभ किया है, तब से ही उसने अपने संगठन की रक्षा के लिए उसने नैतिक, सामाजिक और अर्थ-व्यवस्था संबंधी नियम बनाए हैं और उन नियमों का पालन करना धर्म का पालन करना बताया गया है । किन्तु यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिस समय से मानव समाज बना है उसी समय से उसके आदेशों और नियमों के विरुद्ध काम करने वाले भी जन्म लेते रहे हैं । युगों से अपराध की व्याख्या करने का प्रयास होता रहा है । विद्वानों ने अपराध का सृजन इतिहास-काल के भी पूर्व का माना है । इसलिए इसकी व्याख्या कठिन है । पूर्वी तथा पश्चिमी देशों में नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करना अपराध माना जाता था । विद्वान लेखक सार्जेन्ट स्टीफन के अनुसार समुदाय का बहुमत जिसे सही कार्य समझे, उसे विपरीत कार्य करना अपराध है । लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व तक संसार के सभी देशों में समाज के आदेशों की अवज्ञा करना एक बड़ा अपराध माना जाता था और इसके लिए अपराधी को यातना दी जाती थी । कारावास में उसके साथ पशु से भी बुरा व्यवहार किया जाता था किन्तु यह भावना अब बदलती प्रतीत हो रही है । आज समाज का यह सिद्धांत बनता जा रहा है कि अपराध, शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का रोग है और अपराधी को कारावास की नहीं अपितु सुधार-गृह की आवश्यकता है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपराध की परिभाषा व्यक्त करते हुए कहा है कि केवल असामाजिक और समाज विरोधी कार्यों को अपराध माना गया है किन्तु इससे विश्व-व्यापी नैतिक तथा अपराध संबंधी विधान नहीं बन सकता । मुख्यतः, सच बोलना, चोरी न करना, दूसरे के धन या जीवन को हानि

न पहुंचाना, माता-पिता तथा गुरुजनों का आदर करना और कामवासना पर नियंत्रण रखना, यही मौलिक नैतिकता है जिसका हर समाज में पालन होता है और इसी के विपरीत कार्य करना अपराध माना जाता है । किसी भी अपराध के लिए दंडित किए जाने के पूर्व न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अपराध अभियुक्त ने ही कारित किया है और यदि इसमें कहीं भी संदेह है तब अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने पर ही न्याय होगा । **लक्ष्मी दामोदर चौहान** बनाम **बिहार राज्य** (2019) 2 दा. नि. प. 655 वाला मामला इस स्थिति को बखूबी स्पष्ट करता है ।

इस अंक में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

नवंबर, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
गीताबाई **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	672
मुरसलीन **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	603
रूपलाल **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य	618
लक्ष्मी दामोदर चौहान **बनाम** बिहार राज्य	655
संदीप कुमार और अन्य **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	694
सनोज कुमार **उर्फ** सनोज बिंद **बनाम** बिहार राज्य	636
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** राकेश मोहन गौतम	738

संसद् के अधिनियम

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 18

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की विश्वनीयता – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही हत्या की गई अतः अभियुक्त संदेह का फायदा पाकर दोषमुक्त किए जाने के दायी हैं ।

लक्ष्मी दामोदर चौहान बनाम **बिहार राज्य** 655

– धारा 304क – उपेक्षा द्वारा मृत्यु – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चिकित्सा साक्ष्य और अभिलेख पर साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह पता चलता है कि मृतका की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना थी और अभियुक्त की किसी भी तरह से आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी, अतः युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **राकेश मोहन गौतम** 738

– धारा 323 और 34 [सपठित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(10)] – लोक सेवक द्वारा उपेक्षा – अभियुक्त-अपीलार्थी ने इत्तिलाकर्ता को मजदूरी देने के बजाय उसे उसकी जातिसूचक नाम से पुकारा और लाठी और लोहे की छड़ से पीटा तथा देशी पिस्तौल से मारने की धमकी दी – पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षा और अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य

पृष्ठ संख्या

से स्पष्ट होता है कि पीड़ित को पहुंची क्षतियां साधारण प्रकृति की हैं और उसे उक्त अनुसूचित जाति अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया गया अतः युक्तियुक्त संदेह से परे घटना साबित होने के कारण अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

मुरसलीन बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 603

– धारा 376(2)(6) – सामूहिक बलात्संग – अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की संपुष्टि – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया और इसकी संपुष्टि घटना के दौरान अभियोक्त्री को हुई क्षति, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से प्राप्त टूटी चूड़ियों से होती है अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

सनोज कुमार उर्फ **सनोज बिंद** बनाम **बिहार राज्य** 636

– धारा 497 – जारकर्म – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जारकर्मी के विरुद्ध उसकी पत्नी के साथ विदेश जाने और उसके साथ अयुक्तियुक्त संबंध बनाए रखने के लिए जारकर्म करने के अपराध का परिवाद फाइल किया, यह परिवाद मिथ्या और निरर्थक साबित हुआ, अतः जारकर्मी को उक्त धारा के अधीन दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

रूपलाल बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** 618

– धारा 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – दहेज मृत्यु – मृत्युकालिक कथन –

पृष्ठ संख्या

मृतका की मृत्यु दहन क्षतियों के कारण विवाह के डेढ़ वर्ष पश्चात् हुई, मृतका ने पहले मृत्युकालिक कथन में यह कहा कि उसकी मृत्यु अचानक मिट्टी का तेल गिरने से आग लगने के कारण हुई जबकि दूसरे मृत्युकालिक कथन में उसने यह कहा कि उसके पति और ससुराल वालों ने आग लगाकर उसे जलाया – पहला मृत्युकालिक कथन आरोप पत्र के साथ पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया और दूसरा मृत्युकालिक कथन भी विश्वसनीय न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

गीताबाई बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 672

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 20, 25 और 29 – विनिषिद्ध माल (चरस की बरामदगी) – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विनिषिद्ध माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन के अधिहरण और अन्य साक्ष्यों से यह अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित होता है कि सिद्धदोष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विनिषिद्ध माल का परिवहन किया गया, अतः सिद्धदोष अभियुक्त दोषी ठहराए जाने का हकदार है ।

संदीप कुमार और अन्य बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 694

(2019) 2 दा. नि. प. 603 इलाहाबाद

मुरसलीन

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2005 की दांडिक अपील सं. 329)

तारीख 20 नवम्बर, 2018

न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार मिश्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323 और 34 [सपठित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(10)] – लोक सेवक द्वारा उपेक्षा – अभियुक्त-अपीलार्थी ने इत्तिलाकर्ता को मजदूरी देने के बजाय उसे उसकी जातिसूचक नाम से पुकारा और लाठी और लोहे की छड़ से पीटा तथा देशी पिस्तौल से मारने की धमकी दी – पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षा और अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से स्पष्ट होता है कि पीड़ित को पहुंची क्षतियां साधारण प्रकृति की हैं और उसे उक्त अनुसूचित जाति अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया गया अतः युक्तियुक्त संदेह से परे घटना साबित होने के कारण अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

इस अपील के तथ्यों से यह प्रकट है जो अभिलेख को देखने से ज्ञेय होते हैं खास तौर पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यह है कि इत्तिलाकर्ता गंगा राम ने जिला सहारनपुर के पुलिस थाना देवबंद में तारीख 16 मई, 2001 को 3.10 बजे लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें किसी घटना के बारे में यह अभिकथन किया गया था कि इत्तिलाकर्ता गंगा राम मुरसलीन, मुर्तजा और रशीद के मकान पर फसलों को बोने के संबंध में मजदूरी लेने के लिए गए थे जहां अभियुक्त-अपीलार्थियों ने करार के अनुसार

मजदूरी का संदाय नहीं किया था और उनके बीच हुए करार के संबंध में कम मजदूरी उनको दी थी । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता के साथ झगड़ा किया और अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उसे उसकी जाति के नाम से भी पुकारा था और उस पर लाठी और लोहे की राड से हमला किया तथा उसे चाकू और देशी बन्दूक दिखाकर भयभीत किया । उसके चीख-पुकार करने पर सोमपाल, करनपाल और अतर सिंह और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इत्तिलाकर्ता को बचाया और जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उसे उसके जीवन को छीन लेने की धमकी दी और घटनास्थल से गायब हो गए । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है । यह रिपोर्ट संबंधित चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-5 में लिखी हुई थी जिस पर दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1) और (10) के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 267 सं. डाली गई थी तथा उसके आधार पर, उपरोक्त तारीख और समय को संबंधित साधारण डायरी प्रदर्श क-6 में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना देवबंद में पूर्वोक्त अपराध सं. डाली गई थी । वर्तमान अपील के माध्यम से, 2002 के विशेष सेशन विचारण सं. 331, राज्य बनाम मुरसलीन और एक अन्य, जो मामला जिला सहारनपुर पुलिस थाना देवबंद में दंड संहिता की धारा 323/34 और अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन 2001 का अपराध मामला सं. 267 से उद्भूत हुआ है, इस मामले में अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 2 सहारनपुर के तारीख 14 जनवरी, 2005 को पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की विधिमान्यता और कायम योग्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को 6 मास का कठोर कारावास भोगने तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर प्रथम गणना में एक मास का अतिरिक्त कठोर कारावास और दूसरी गणना में 6 मास का कठोर कारावास साथ में 1,000/- रुपए का जुर्माना तथा जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का अतिरिक्त

कठोर कारावास भोगने का दंडादेश किया गया । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों ओर से दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह मुख्य प्रश्न जो तथ्य के संबंध में इस अपील के न्यायनिर्णयन करने के लिए उद्भूत होता है कि यह है कि क्या अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 323/34 और अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए सभी युक्तियुक्त संदेह के परे समर्थ हुआ है ? प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने से यह तथ्य सिद्ध होता है कि प्रश्नगत घटना जिसके बारे में पुलिस थाना देवबंद जिला सहारनपुर के अन्तर्गत लाभकारी में तारीख 16 मई, 2001 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न घटित होना अभिकथित किया गया है । जब इत्तिलाकर्ता गंगा राम अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के मकान पर गया तब मजदूरी के संदाय के बारे में कुछ कहासुनी हुई जो अनाज के संबंध में पैसे देने की बात उठी जिस पर इत्तिलाकर्ता और अभियुक्त-अपीलार्थियों के बीच करार हुआ था कि 25 किलोग्राम (5 गरी) गेहूं का एक बीघे के कृषि खेत में कार्य किए जाने के लिए गेहूं का प्रभार लिया जाएगा जबकि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने प्रति बीघा 4 गरी की दर पर मजदूरी का संदाय करने का आग्रह किया गया था । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता गंगा राम को मजदूरी नहीं दी और उसे गाली दी और उसे उसकी जाति के नाम से पुकारा गया तथा लठ और लोहे की राड से उसको पीटा गया तथा चाकू और देशी बन्दूक दिखाकर उसे धमकाया भी गया । उसके चीख-पुकार करने पर सोमपाल, करनपाल, अतर सिंह को कुछ अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जिन्होंने इत्तिलाकर्ता को बचाया । पूर्वोक्त अभिकथनों की पृष्ठभूमि में तथ्य के अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य और विशिष्ट रूप से इत्तिलाकर्ता जो मामले में महत्वपूर्ण हो गया था । इत्तिलाकर्ता गंगा राम ने अभि. सा. 4 के रूप में इस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया । घटना के बारे में उसके साक्ष्य से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित घटना के वर्णन से उसका मिलान किया

गया कि उसे घटना के दिन को लाठी और लोहे की राड से अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा पीटा गया था । अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के कब्जे में लाठी थी और रशीद ने पहले उस पर हमला किया जिसमें उसे क्षतियां पहुंची थीं । क्षति रिपोर्ट प्रदर्श क-1 को डाक्टर एम. एल. सथिया अभि. सा. 3 द्वारा साबित किया गया है जिसमें उन्होंने आहत गंगा राम के शरीर पर तीन क्षतियां पाई थीं जबकि उन्होंने तारीख 16 मई, 2001 को 7.50 बजे अपराह्न उसकी परीक्षा की । क्षति सं. 1 के बारे में विदीर्ण घाव होने का कथन किया गया है जो 3 से.मी. × 1.5 से.मी. × मांसपेशी की गहराई तक दाहिने आंख की बाहर की ओर 6 से.मी. × 3 से. मी. के क्षेत्र में सूजन भी देखी गई थी जबकि अन्य दो क्षतियों के बारे में बाएं कंधे के शीर्ष पर 2.5 से.मी. × 1 से.मी. का लाल रंग का गुमटा होने का भी कथन किया गया है और घुटने के नीचे बाएं पैर पर 1 से.मी. × 5 से. मी. लाल रंग की खरोंच भी पाई गई थी । सभी क्षतियों के बारे में साधारण प्रकृति का होना पाया गया था । इस प्रश्न पर आहत गंगा राम का परिसाक्ष्य से यह परिलक्षित होता है कि वह मजदूरी मांगने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान पर गया था और तथ्य के अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य के अनुसार अर्थात् सोमपाल अभि. सा. 1 और करनपाल अभि. सा. 2 यद्यपि दोनों साक्षी आहत गंगा राम के साथ अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान पर गए थे परन्तु वे मकान के बाहर खड़े रहे थे जबकि आहत गंगा राम अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान के अंदर गया और (अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के मकान के चारों ओर) घेर में घटना घटी । इस संदर्भ में यह भी दलील दी गई कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के आवेदन के लिए यह आवश्यक है कि घटना सार्वजनिक स्थान पर घटित होनी चाहिए और लोगों के सामने पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार अपनाया जाना चाहिए । स्वीकृतत: गंगा राम अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य के अनुसार घटना का स्थान अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन का मकान है । अत: अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन अपराध के बारे में सार्वजनिक स्थान पर घटित होना नहीं पाया जा सकता है

बजाय इसके यह घटना किसी दूसरे स्थान पर घटी है जो स्थान अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान के परिसर की ओर चारों कोनों से ढका हुआ है अत: अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन अपराध किए जाने की संभावना विधिक महत्व को खोता है । अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन अपराध किए जाने की संभावना का घटना के स्थान के कारण स्वत: निराकरण होता है । इत्तिलाकर्ता-आहत अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य के अनुसार वह अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान में था । इसलिए, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन दोषसिद्धि दूषित हो गई है और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा पूर्वोक्त धारा के अधीन दंड जैसा कि अभियुक्त-अपीलार्थियों पर अधिरोपित है, अपास्त किया जाता है । अब यह न्यायालय पीड़ित गंगा राम के शरीर पर कारित क्षति पर विचार करता है और इसके साथ ही साथ इस मामले के परिसाक्ष्य और परिस्थितियों पर भी विचार करता है । इस बारे में, आहत गंगा राम अभि. सा. 4 के संचयी परिसाक्ष्य, सोमपाल अभि. सा. 1 और करनपाल अभि. सा. 2 ने तथ्य को उपदर्शित किया है कि तथ्य की अभिकथित घटना में कुछ क्षतियां कारित की गई हैं जो प्रकृति में साधारण थीं यद्यपि क्षति सं. 1 को अवलोकन के अधीन रखा गया था परन्तु कोई पूरक रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लाई गई थी । आहत गंगा राम को पहुंची क्षतियां तारीख 16 मई, 2001 को 6.30 बजे अपराह्न कारित की जा सकी जैसा कि डाक्टर द्वारा राय व्यक्त की गई है । इसलिए, घटना में आहत गंगा राम को पहुंची हुई क्षतियों को दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है । अत:, विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित किया जाना कायम रखा जाता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 329.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री प्रकाश सिंह और शैलेन्द्र कुमार शुक्ला
विरोधी पक्षकार की ओर से	श्री ओम नारायण त्रिपाठी (अपर सरकारी अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार मिश्रा – वर्तमान अपील के माध्यम से, 2002 के विशेष सेशन विचारण सं. 331, **राज्य** बनाम **मुरसलीन और एक अन्य**, जो मामला जिला सहारनपुर पुलिस थाना देवबंद में दंड संहिता की धारा 323/34 और अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन 2001 का अपराध मामला सं. 267 से उद्भूत हुआ है, इस मामले में अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 2 सहारनपुर के तारीख 14 जनवरी, 2005 को पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की विधिमान्यता और कायम योग्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को 6 मास का कठोर कारावास भोगने तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर प्रथम गणना में एक मास का अतिरिक्त कठोर कारावास और दूसरी गणना में 6 मास का कठोर कारावास साथ में 1,000/- रुपए का जुर्माना तथा जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का दंडादेश किया गया । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश किया गया था ।

2. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला, राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री ओम नारायण त्रिपाठी को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

3. इस अपील के तथ्यों से यह प्रकट है जो अभिलेख को देखने से ज्ञेय होते हैं खास तौर पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यह है कि इत्तिलाकर्ता गंगा राम ने जिला सहारनपुर के पुलिस थाना देवबंद में तारीख 16 मई, 2001 को 3.10 बजे लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें किसी घटना के बारे में यह अभिकथन किया गया था कि इत्तिलाकर्ता गंगा राम मुरसलीन, मुर्तजा और रशीद के मकान पर फसलों को बोने के संबंध में मजदूरी

लेने के लिए गए थे जहां अभियुक्त-अपीलार्थियों ने करार के अनुसार मजदूरी का संदाय नहीं किया था और उनके बीच हुए करार के संबंध में कम मजदूरी उनको दी थी । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता के साथ झगड़ा किया और अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उसे उसकी जाति के नाम से भी पुकारा था और उस पर लाठी और लोहे की राड से हमला किया तथा उसे चाकू और देशी बन्दूक दिखाकर भयभीत किया । उसके चीख-पुकार करने पर सोमपाल, करनपाल और अतर सिंह और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इत्तिलाकर्ता को बचाया और जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उसे उसके जीवन को छीन लेने की धमकी दी और घटनास्थल से गायब हो गए । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है ।

4. यह रिपोर्ट संबंधित चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-5 में लिखी हुई थी जिस पर दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1) और (10) के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 267 सं. डाली गई थी तथा उसके आधार पर, उपरोक्त तारीख और समय को संबंधित साधारण डायरी प्रदर्श क-6 में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना देवबंद में पूर्वोक्त अपराध सं. डाली गई थी ।

5. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् आहत गंगा राम की तारीख 16 मई, 2001 को 7.50 बजे अपराह्न सी. एच. सी. देवबंद, सहारनपुर में डाक्टर एम. एल. सथिया अभि. सा. 3 द्वारा उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई थी जिन्होंने निम्नलिखित क्षतियों का उल्लेख किया है :-

> "(1) दाहिने आंख के बाहरी और 3 से.मी. × 1.5 से.मी. × मांसपेशी की गहराई तक विदीर्ण घाव, आंख के 6 से.मी. × 3 से. मी. के क्षेत्र में अभिघातज सूजन, ताजा रक्त मौजूद, अवलोकन के अधीन रखा गया था ।

(2) बांए कन्धे के शीर्ष पर 2.5 से.मी. × 1 से.मी. का लाल रंग का घिसा हुआ गुमटा ।

(3) घुटने के नीचे बाएं पैर पर लाल रंग की खरोंच 1 से.मी. × 1 से.मी. ।

उदर में दर्द की शिकायत के बारे में बताया गया था । क्षतियां साधारण प्रकृति की पाई गई थीं जिन्हें कठोर और कुंद वस्तु से कारित किया गया है । डाक्टर द्वारा क्षति रिपोर्ट प्रदर्श क-1 साबित की गई है ।"

6. अन्वेषण कार्यवाही प्रारंभ की गई उसे सर्किल अधिकारी शिवराम यादव अभि. सा. 5 को सौंपा गया था जिन्होंने तारीख 17 मई, 2001 को अन्वेषण का जिम्मा लिया और इत्तिलाकर्ता के कथन, हेड मुहर्रिर जयप्रकाश सिंह ने अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया और तारीख 18 मई, 2001 को अभियोजन साक्षी सोमपाल, करनपाल आदि के कथनों को भी अभिलिखित किया और उनके बताने पर घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-3 तैयार किया और संपूर्ण अन्वेषण की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-4 फाइल किया ।

7. परिणामस्वरूप, मामले की कार्यवाही सेशन न्यायालय के सुपुर्द की गई थी जहां से इसे अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 2 सहारनपुर के पूर्वोक्त विचारण न्यायालय को मामले के निपटारे के लिए अंतरित किया गया था जिन्होंने आरोप के प्रश्न पर दोनों पक्षकारों को सुना तथा अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध मामले में प्रथमदृष्टया समाधान हुआ था, तद्नुसार, दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन आरोप विरचित किए गए । आरोपों को पढ़कर सुनाया गया और उस बारे में अभियुक्त-अपीलार्थियों से स्पष्टीकरण देने को कहा गया जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

8. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 6 साक्षियों अर्थात् सोमपाल, अभि. सा. 1 करनपाल, अभि. सा. 2, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा की । गंगा राम (अभि. सा. 4) आहत इत्तिलाकर्ता है । डाक्टर एम. एल. सथिया अभि. सा. 3 ने तारीख 16 मई, 2001 को 7.50 बजे पूर्वाह्न आहत की चिकित्सा परीक्षा की तथा चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क-1 साबित की । शिव राम यादव अभि. सा. 5 अन्वेषक अधिकारी है । अशोक कुमार अभि. सा. 6 कांस्टेबल है, उन्होंने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में की गई प्रविष्टि को साबित किया है और कांस्टेबल जय प्रकाश द्वारा हस्तलिखित साधारण डायरी को भी साबित किया है । उपरोक्त बातों को छोड़कर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य परिसाक्ष्य पेश नहीं किया गया है ।

9. इसके पश्चात्, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था जिसमें उन्होंने अपने को मिथ्या फंसाए जाने की बात कही है । प्रतिरक्षा ने तीन साक्षियों अर्थात् राजपाल प्रतिरक्षा साक्षी 1, प्रमोद कुमार प्रतिरक्षा साक्षी 2 तथा अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन प्रतिरक्षा साक्षी 3 को भी पेश किया गया । सभी तीनों प्रतिरक्षा साक्षी ने इस प्रश्न का यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन को अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के आटा की मिल पर कुछ कहासुनी हुई थी जहां इत्तिलाकर्ता गंगा राम के साथ अन्य लोगों ने अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन और उसकी पत्नी की पिटाई की थी और उसके पश्चात् प्रतिरक्षा साक्ष्य को समाप्त किया गया था ।

10. विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा गुणागुण पर मामले को सुना गया था जिन्होंने तथ्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् और मामले का साक्ष्य और परिस्थितियों का भी मूल्यांकन किया तथा अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला और उन्हें दंडादिष्ट किया जैसा कि तारीख 14 जनवरी, 2005 के आक्षेपित निर्णय और आदेश पर बताया गया है ।

11. वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दोषसिद्धि के पूर्वोक्त

निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अपील को प्रस्तुत किया ।

12. अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि यह मामला पूर्णतया मिथ्या है और अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन ने इत्तिलाकर्ता गंगा राम के विरुद्ध प्रति वृत्तांत पहले ही दिया हुआ है जो विधि के सक्षम न्यायालय देवबंद में लंबित था । ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी । आहत गंगा राम का परिसाक्ष्य जब तथ्य के दो अन्य अभियोजन साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क-1 से तुलना की गई तो इसे विभेदकारी पाया गया ।

13. यह भी दलील दी गई कि घटना के वर्णन पर मुश्किल से विश्वास प्रेरित होता है । घटना को कारित होने पर हेतु प्रकट हुआ है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उचित रूप से साबित नहीं किया गया है और न प्रश्नगत अपराध को कारित करने के लिए विद्यमान कोई हेतु था । परिस्थितियों के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के लिए अधिनिर्णीत दंड न्यायसंगत नहीं है और ऐसा दंड कठोर है । वास्तव में इत्तिलाकर्ता गंगा राम ने अभियुक्त-अपीलार्थियों पर स्वयं हमला किया था जिसे भी दंडित किया जाना चाहिए परंतु पुलिस ने इत्तिलाकर्ता के साथ दुरभि संधि की और गलत तरीके से अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया ।

14. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने विभिन्न विधिक तथा मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को देखते हुए पूर्वोक्त दलील का उत्तर दिया है और संक्षेप में यह कहा है कि घटना को आहत/गंगा राम के परिसाक्ष्य से अधिकांश रूप में साबित किया गया है । अभियोजन साक्षियों द्वारा सभी विशिष्टियों के साथ घटना का वर्णन किया गया है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मामले के गुणागुण का मूल्यांकन करते हुए पूर्वोक्त तथ्यों की संगतता पर बल दिया है और उन बातों का सबूत भी दिया है । इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित करके तथा न्यायसंगत दंड अधिनिर्णीत करके ठीक ही किया है ।

15. परस्पर दलीलों पर भी विचार किया गया है ।

16. दोनों ओर से दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह मुख्य प्रश्न जो तथ्य के संबंध में इस अपील के न्यायनिर्णयन करने के लिए उद्भूत होता है कि यह है कि क्या अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 323/34 और अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए सभी युक्तियुक्त संदेह के परे समर्थ हुआ है ?

17. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने से यह तथ्य सिद्ध होता है कि प्रश्नगत घटना जिसके बारे में पुलिस थाना देवबंद जिला सहारनपुर के अन्तर्गत लाभकारी में तारीख 16 मई, 2001 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न घटित होना अभिकथित किया गया है । जब इत्तिलाकर्ता गंगा राम अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के मकान पर गया तब मजदूरी के संदाय के बारे में कुछ कहासुनी हुई जो अनाज के संबंध में पैसे देने की बात उठी जिस पर इत्तिलाकर्ता और अभियुक्त-अपीलार्थियों के बीच करार हुआ था कि 25 किलोग्राम (5 गरी) गेहूं का एक बीघे के कृषि खेत में कार्य किए जाने के लिए गेहूं का प्रभार लिया जाएगा जबकि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने प्रति बीघा 4 गरी की दर पर मजदूरी का संदाय करने का आग्रह किया गया था ।

18. अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता गंगा राम को मजदूरी नहीं दी और उसे गाली दी और उसे उसकी जाति के नाम से पुकारा गया तथा लठ और लोहे की राड से उसको पीटा गया तथा चाकू और देशी बन्दूक दिखाकर उसे धमकाया भी गया । उसके चीख-पुकार करने पर सोमपाल, करनपाल, अतर सिंह को कुछ अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जिन्होंने इत्तिलाकर्ता को बचाया ।

19. पूर्वोक्त अभिकथनों की पृष्ठभूमि में तथ्य के अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य और विशिष्ट रूप से इत्तिलाकर्ता जो मामले में महत्वपूर्ण हो गया था । इत्तिलाकर्ता गंगा राम ने अभि. सा. 4 के रूप में इस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया । घटना के बारे में उसके साक्ष्य से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित घटना के वर्णन से उसका मिलान किया

गया कि उसे घटना के दिन को लाठी और लोहे की राड से अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा पीटा गया था । अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के कब्जे में लाठी थी और रशीद ने पहले उस पर हमला किया जिसमें उसे क्षतियां पहुंची थीं ।

20. क्षति रिपोर्ट प्रदर्श क-1 को डाक्टर एम. एल. सथिया अभि. सा. 3 द्वारा साबित किया गया है जिसमें उन्होंने आहत गंगा राम के शरीर पर तीन क्षतियां पाई थीं जबकि उन्होंने तारीख 16 मई, 2001 को 7.50 बजे अपराह्न उसकी परीक्षा की । क्षति सं. 1 के बारे में विदीर्ण घाव होने का कथन किया गया है जो 3 से.मी. × 1.5 से.मी. × मांसपेशी की गहराई तक दाहिने आंख की बाहर की ओर 6 से. मी. × 3 से. मी. के क्षेत्र में सूजन भी देखी गई थी जबकि अन्य दो क्षतियों के बारे में बाएं कंधे के शीर्ष पर 2.5 × 1 से.मी. का लाल रंग का गुमटा होने का भी कथन किया गया है और घुटने के नीचे बाएं पैर पर 1 से.मी. × 5 से. मी. लाल रंग की खरोंच भी पाई गई थी । सभी क्षतियों के बारे में साधारण प्रकृति का होना पाया गया था ।

21. इस प्रश्न पर आहत गंगा राम के परिसाक्ष्य से यह परिलक्षित होता है कि वह मजदूरी मांगने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान पर गया था और तथ्य के अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य के अनुसार अर्थात् सोमपाल अभि. सा. 1 और करनपाल अभि. सा. 2 यद्यपि दोनों साक्षी आहत गंगा राम के साथ अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान पर गए थे परन्तु वे मकान के बाहर खड़े रहे थे जबकि आहत गंगा राम अभियुक्त-अपीलार्थियों के मकान के अंदर गया और (अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन के मकान के चारों ओर) घेर में घटना घटी । इस संदर्भ में यह भी दलील दी गई कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(10) के आवेदन के लिए यह आवश्यक है कि घटना सार्वजनिक स्थान पर घटित होनी चाहिए और लोगों के सामने पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार अपनाया जाना चाहिए ।

22. स्वीकृतत: गंगा राम अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य के अनुसार घटना का स्थान अभियुक्त-अपीलार्थी मुरसलीन का मकान है । अत: अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा

को अधिरोपित करने की मात्रा का संबंध है, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों के बारे में पूर्व में कोई आपराधिक इतिवृत नहीं रहा है और न उनके विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा कोई आपराधिक इतिवृत का वर्णन किया गया है । आहत गंगा राम को जो क्षतियां पहुंचाई गई थीं । ये क्षतियां दोनों पक्षों के बीच मजदूरी न देने के कारण कहासुनी की घटना के घटने के कुछ समय पश्चात् घटित हुई थी ।

25. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अभियुक्त-अपीलार्थियों की पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हुए तथा घटना की रीति पर भी विचार करने पर यह समुचित रूप से प्रकट होता है कि आहत गंगा राम को उस पर की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर दिया जाना पर्याप्त होगा और यदि अभियुक्त-अपीलार्थी थाने में निरुद्ध किए गए हैं तो इससे कोई लाभदायक प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती है और उन पर अधिरोपित पर्याप्त जुर्माना से प्रतिकर लिया जाए ।

26. पूर्वोक्त मत को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अभिलिखित दोषसिद्धि को भी कायम रखा जाता है, तथापि, दंड को उपांतरित किया जाता है और प्रत्येक अभियुक्त को 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए परिरुद्ध किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभ में अधिरोपित जुर्माना जिसकी सीमा 500/- रुपए थी उसे बढ़ाकर 2,000/- रुपए किया जाता है और पूर्वोक्त जुर्माना को अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दो मास के अन्तर्गत जमा किया जाएगा ।

27. जुर्माने को जमा न करने की दशा में संबंधित दोषसिद्ध व्यक्ति दो मास का अतिरिक्त कारावास भी भोगेंगे ।

28. तद्नुसार, 2002 के विशेष सेशन विचारण सं. 338, **राज्य** बनाम **मुरसलीन और एक अन्य** जो मामला पुलिस थाना देवबंद, जिला सहारनपुर में दंड संहिता की धारा 323/34 तथा अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन 2001 के अपराध मामला सं. 267 से उद्भूत हुआ है । उसमें अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 2 सहारनपुर द्वारा तारीख 14 जनवरी, 2005

को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय का दंडादेश वाला भाग और दोषसिद्धि के आदेश को पूर्वोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है जबकि अभियुक्त-अपीलार्थियों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

29. वर्तमान अपील को पूर्वोक्त निबंधनों में भागत: मंजूर किया जाता है ।

30. इस मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थीगण जमानत पर हैं । उन्हें निचले न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने की जरूरत नहीं है । उनके वैयक्तिक बंध पत्र और जमानत बंध पत्र रद्द किए जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है । तथापि, अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे ।

31. तथापि, यह भी निदेश दिया जाता है कि दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों से वसूल की गई जुर्माने की कुल राशि अर्थात् 4,000/- रुपए में से 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 2,000/- आहत गंगा राम या उसके उत्तराधिकारी जिसे भी संभव हो को दिए जाएंगे को ।

32. इस आदेश/निर्णय की अधिप्रमाणित प्रति आवश्यक सूचना देने के लिए निचले न्यायालय को दी जाएगी जिससे कार्यवाही का अनुपालन किया जा सके ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

आर्य/पा.

रूपलाल

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 2133-एम.ए.)

तारीख 6 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 497 – जारकर्म – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जारकर्मी के विरुद्ध उसकी पत्नी के साथ विदेश जाने और उसके साथ अयुक्तियुक्त संबंध बनाए रखने के लिए जारकर्म करने के अपराध का परिवाद फाइल किया, यह परिवाद मिथ्या और निरर्थक साबित हुआ, अतः जारकर्मी को उक्त धारा के अधीन दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक रूपलाल जो अनिवासी भारतीय है और विदेश में रहता है । उसने यह परिवाद फाइल किया कि उसके अर्थात् परिवादी और अभियुक्त सं. 6 के बीच तारीख 23 नवंबर, 2010 को ग्राम किंगरान छवाला, जालंधर में विवाह अनुष्ठापित हुआ था और इस विवाह से तीन बच्चे अर्थात् काजोल (पुत्री), जसप्रीत और गुरुप्रीत (पुत्रगण) पैदा हुए थे । परिवादी 2007 से अपने जीविकोपार्जन के लिए इटली में निवास करता था और वह ग्रीन कार्ड होल्डर है जो उसे इटालियन सरकार द्वारा जारी किया गया था । परिवादी तारीख 28 सितंबर, 2010 को भारत वापस लौटा था । चरणजीत कौर (अभियुक्त सं. 6) और अशोक कुमार (अभियुक्त सं. 1) के अवैध संबंधों के कारण, परिवादी और अभियुक्त सं. 1 से 5 के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे । घटना से एक दिन पूर्व अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6 के बीच अवैध संबंधों के कारण विवाद हुआ था

और इस बारे में पंचायत भी बुलाई गई थी जिस पर अभियुक्त सं. 1, 2, 4 और 5 ने यह धमकी दी थी **कि तू विदेश जाना चाहूंदा है कि नहीं, असी तेरा अहो जेहा इंतिजाम करांगे कि तू कदे वी विदेश जान दे काबिल रहेंगा, जे साड्डे नाल माथा लइया ता जानो मारदेंगे** । उस समय सरपंच जसपाल राम, बलबीर राम, मोहिन्दर कौर, जगत राम और अन्य ग्राम के सम्मानित व्यक्ति भी वहां मौजूद थे । तारीख 4 नवंबर, 2010 को प्रातः लगभग 4 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त सं. 6 किसी व्यक्ति को सूचना दिए बिना परिवादी के मकान से चली गई और उसने परिवादी के पासपोर्ट ग्रीन कार्ड, बीस हजार रुपए नकद, एक कलाई घड़ी, एक नोकिया मोबाइल और 250 यूरो परिवादी के सहमति के बिना ले लिए थे । इस तथ्य के बारे में, डी. डी. आर. तारीख 19 नवंबर, 2010 को पुलिस थाना पीहलूर में भी दर्ज की गई थी । परिवादी का संदेह संक्षेप में इस प्रकार है जब तारीख 22 नवबंर, 2010 को लगभग 2 बजे अपराह्न परिवादी और बलबीर राम ने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6 जो एक साथ बस स्टाप पर बस लेने जा रहे थे, देखा । परिवादी और बलबीर राम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की परन्तु वे सफल नहीं हो सके । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6, अभियुक्त सं. 3 अर्थात् हरमिन्दर पाल अज्ञात स्थान पर एक साथ रह रहे थे और अशोक कुमार को पूरी यह जानकारी थी कि अभियुक्त सं. 6 परिवादी की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । सभी अभियुक्तों ने एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने के पश्चात् चोरी की थी और एक दूसरे पर निष्ठा रखते हुए अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6 ने सहपलायन किया । इस प्रकार, वर्तमान परिवाद फाइल किया गया है । इस अपील में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 26 सितंबर, 2016 को पारित किए गए निर्णय को अपास्त करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख, 380 और 497 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था (सह-अभियुक्तों में से एक अर्थात् अशोक कुमार को दंड संहिता की धारा 497 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषसिद्ध कर दिया गया था और उसे दो वर्ष के

कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास की अवधि का कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया था) । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि विवाह के एक वर्ष पश्चात् रूपलाल विदेश चला गया था और उसने अपनी पत्नी चरनजीत कौर की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया जो परिवादी रूपलाल से अलग निवास कर रही थी और उस कारण से उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन फाइल किया था तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भी आवेदन फाइल किया जिनका अभियुक्त द्वारा स्वयं अवलंब लिया गया था जिसे प्रदर्श क1 चिह्न बी के रूप में दिखाया गया है तथा पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद याचिका भी फाइल की गई थी, अतः यह प्रकट है कि वर्तमान परिवाद परिवादी द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र की ओर इंगित करते हुए असद्भावी आशय से फाइल किया गया था कि वह सह-अभियुक्त अशोक कुमार के साथ चली गई है । यद्यपि, वह इस अभिकथन को अकाट्य साक्ष्य देकर साबित करने में विफल हुआ है । विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि सभी सक्षम साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक/परिवादी रूपलाल ने विवाह के एक वर्ष के पश्चात् भारत छोड़ दिया था और चरनजीत कौर अकेले निवास कर रही थी । सक्षम साक्षी 2 रूपलाल के पिता तथा सक्षम साक्षी 3 रूपलाल का भाई है । उन्होंने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने रूपलाल की अनुपस्थिति में चरनजीत कौर की देखरेख की और बल्कि उन्होंने ये अभिकथन किए हैं कि उसके अशोक कुमार के साथ अवैध संबंध थे जिससे स्वतः यह दर्शित होता है कि वे रूपलाल आवेदक के अभिसाक्ष्य के अनुसार अभिसाक्ष्य दे रहे थे जिसने कभी भी अपनी पत्नी का भरणपोषण की परवाह नहीं की जो बात अभिलेख में उसके कथन में

प्रकट नहीं हुई है और इसके पश्चात् वह इटली चला गया । उसने अपनी पत्नी चरनजीत कौर को अपने साथ में रखने का कोई प्रयास नहीं किया जिस बारे में साक्ष्य पूर्ण रूप से चुपचाप है कि छह वर्ष की मध्याक्षेप अवधि में उसने उसे कोई धनीय फायदा कभी भी नहीं दिया या न वीजा देने का कोई प्रयास किया । इस तथ्य के बावजूद कि उसने इटली में ग्रीन कार्ड प्राप्त किया, इससे आवेदक की ओर से असद्भावना प्रकट होती है जिसने विवाह के पश्चात् अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था । आवेदक का स्वयं यह मानना है कि चरनजीत कौर ने अपने भरणपोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन याचिका फाइल की तथा 2005 के अधिनियम के अधीन आवेदन फाइल किया, जिसमें उसने आवेदक से अपने अधिकार के बारे में पूछा है । इस प्रकार, इस बात का मूल्यांकन करने पर चरनजीत कौर को रूपलाल ने विदेश जाने के पश्चात् भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और उसने उसके चरित्र के बारे में मिथ्या परिवाद फाइल किया है जिससे यह दर्शित होता है कि वह चरनजीत कौर का पति होते हुए भी अपने दायित्व से बचना चाहता है और उसके लिए अपनी पत्नी पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित था और सभी सुविधाओं को उसे मुहैया कराना चाहिए था । आवेदक का यह स्वीकृत मामला है कि अशोक कुमार जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दोषी ठहराया गया था, अशोक कुमार द्वारा फाइल की गई अपील में निचले अपील न्यायालय ने उसे तारीख 26 सितंबर, 2016 को निर्णय पारित करके दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, जालंधर के तारीख 12 दिसंबर, 2017 को पारित किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए अभिलिखित कारणयुक्त निष्कर्षों पर हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता है जिस पर दंड संहिता की धारा 497 के अधीन अशोक कुमार के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त करता हूं । (पैरा 11, 12, 13 और 14)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 2133-एम.ए.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

आवेदक की ओर से श्री नरेन्द्र लक्की

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान – इस अपील में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 26 सितंबर, 2016 को पारित किए गए निर्णय को अपास्त करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में जिसे भा. द. स. कहा गया है) की धारा 120ख, 380 और 497 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था (सह-अभियुक्तों में से एक अर्थात् अशोक कुमार को दंड संहिता की धारा 497 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषसिद्ध कर दिया गया था और उसे दो वर्ष के कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास की अवधि का कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया था) ।

2. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने प्रारंभ में यह कथन किया है कि उक्त अशोक कुमार ने अपील अर्थात् दांडिक अपील सं. 503/2016 जिसकी फाइलिंग सं. 7793/2016, अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य फाइल की जिसमें दंड संहिता की धारा 497 के अधीन तारीख 26 सितंबर, 2016 को पारित किए गए दोषसिद्धि के पूर्वोक्त निर्णय को चुनौती दी गई है और उसे अपर सेशन न्यायाधीश, जालंधर द्वारा तारीख 12 दिसंबर, 2017 को निर्णय पारित करके मंजूर किया गया था (जिसे अभिलेख पर एक्स चिह्न के रूप में रखा गया है) और अशोक कुमार को दंड संहिता की धारा 497 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

3. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक रूपलाल जो अनिवासी भारतीय है और विदेश में रहता है । उसने यह परिवाद फाइल किया कि उसके अर्थात् परिवादी और अभियुक्त सं. 6 के बीच तारीख 23 नवंबर, 2010 को ग्राम किंगरान छवाला, जालंधर में विवाह

अनुष्ठापित हुआ था और इस विवाह से तीन बच्चे अर्थात् काजोल (पुत्री), जसप्रीत और गुरुप्रीत (पुत्रगण) पैदा हुए थे । परिवादी 2007 से अपने जीविकोपार्जन के लिए इटली में निवास करता था और वह ग्रीन कार्ड होल्डर है जो उसे इटालियन सरकार द्वारा जारी किया गया था । परिवादी तारीख 28 सितंबर, 2010 को भारत वापस लौटा था । चरणजीत कौर (अभियुक्त सं. 6) और अशोक कुमार (अभियुक्त सं.1) के अवैध संबंधों के कारण, परिवादी और अभियुक्त सं. 1 से 5 के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे । घटना से एक दिन पूर्व अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6 के बीच अवैध संबंधों के कारण विवाद हुआ था और इस बारे में पंचायत भी बुलाई गई थी जिस पर अभियुक्त सं. 1, 2, 4 और 5 ने यह धमकी दी थी **कि तू विदेश जाना चाहूंदा है कि नहीं, असी तेरा अहो जेहा इंतिजाम करांगे कि तू कदे वी विदेश जान दे काबिल रहेंगा, जे साड्डे नाल माथा लइया ता जानो मारदेंगे** । उस समय सरपंच जसपाल राम, बलबीर राम, मोहिन्दर कौर, जगत राम और अन्य ग्राम के सम्मानित व्यक्ति भी वहां मौजूद थे । तारीख 4 नवंबर, 2010 को प्रातः लगभग 4 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त सं. 6 किसी व्यक्ति को सूचना दिए बिना परिवादी के मकान से चली गई और उसने परिवादी के पासपोर्ट ग्रीन कार्ड, बीस हजार रुपए नकद, एक कलाई घड़ी, एक नोकिया मोबाइल और 250 यूरो परिवादी के सहमति के बिना ले लिए थे । इस तथ्य के बारे में, डी. डी. आर. तारीख 19 नवंबर, 2010 को पुलिस थाना पीहलूर में भी दर्ज की गई थी । परिवादी का संदेह संक्षेप में इस प्रकार है जब तारीख 22 नवबंर, 2010 को लगभग 2 बजे अपराह्न परिवादी और बलबीर राम ने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6 जो एक साथ बस स्टाप पर बस लेने जा रहे थे, देखा । परिवादी और बलबीर राम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की परन्तु वे सफल नहीं हो सके । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6, अभियुक्त सं. 3 अर्थात् हरमिन्दर पाल अज्ञात स्थान पर एक साथ रह रहे थे और अशोक कुमार को पूरी यह जानकारी थी कि अभियुक्त सं. 6 परिवादी की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । सभी अभियुक्तों ने एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने

के पश्चात् चोरी की थी और एक दूसरे पर निष्ठा रखते हुए अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 6 ने सहपलायन किया । इस प्रकार, वर्तमान परिवाद फाइल किया गया है ।

4. प्रारंभिक साक्ष्य में, परिवादी रूपलाल की सक्षम साक्षी 1 के रूप में, बलबीर राम की सक्षम साक्षी 2 के रूप में, जसपाल की सक्षम साक्षी 3 के रूप में, मोहिन्दर कौर की सक्षम साक्षी 4 के रूप में, जगतराम की सक्षम साक्षी 5 के रूप में परीक्षा की गई थी और इसके पश्चात् तारीख 22 नवंबर, 2012 को प्रारंभिक साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया था और तारीख 9 जनवरी, 2013 के आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 380/497/120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए समन भेजे जाने का आदेश किया गया था और अभियुक्त अशोक कुमार, किशोर कुमार, हरविंदर पाल, केसरो, भगतराम. चरनजीत कौर न्यायालय में उपस्थित हुए, उनकी जमानत स्वीकार की गई थी और तत्पश्चात् आवेदक के साक्ष्य पूर्व आरोप समाप्त कर दिया गया था, दंड संहिता की धारा 120ख, 380 और 497 के अधीन प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों को तारीख 27 जनवरी, 2016 को आरोप पत्रित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. साक्ष्य पर आरोप लगने के पश्चात् परिवादी ने अपने मामले को साबित करने के लिए मोहिन्दर कौर सक्षम साक्षी 1, जगतराम सक्षम साक्षी 2 और बलबीर राम सक्षम साक्षी 3 की परीक्षा की गई और इसके पश्चात् परिवादी के साक्ष्य पर आरोप लगाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2016 को आदेश पारित करके उस पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई ।

6. इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए गए थे और सम्पूर्ण अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य उनके समक्ष रखा गया था जिस पर उन्होंने अपने को मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

7. इसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए और यह निष्कर्ष निकाला कि परिवादी दंड संहिता की धारा 497, 380 और 120ख के अधीन विरचित किए गए आरोपों के अभिकथन को सिद्ध करने में विफल हुआ है और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, तथापि, अशोक कुमार को दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

8. तारीख 26 सितंबर, 2016 के निर्णय का परिवर्तनशील भाग को पेश किया गया जो निम्न प्रकार है :-

> 16. उपरोक्त साक्ष्य और परिवादी के वृत्तांत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिवाद से निम्नलिखित प्रश्न को अवधारित किया गया -
>
> **क्या अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 380/497/120ख के अधीन दंडनीय अपराध किया है ?**
>
> 17. परिवादी ने अपने वृतान्त को साबित करने के लिए मोहिन्दर कौर की परीक्षा की जिसे सक्षम साक्षी 1 के रूप में साक्ष्य देने के लिए समन करने के पश्चात् साक्षी कठघरे में लाया गया था जिसमें उसने यह कथन किया कि रूपलाल सात वर्ष पूर्व इटली गया । इटालियन सरकार ने रूपलाल को ग्रीन कार्ड जारी किया था । रूपलाल तारीख 28 सितंबर, 2010 को भारत आया था । अभियुक्त चरनजीत कौर और अशोक कुमार के एक दूसरे के साथ अवैध संबंध थे । इन अवैध संबंधों के कारण रूपलाल के अभियुक्त सं. 1 से 5 के साथ घटना से पूर्व तनावपूर्ण संबंध हो गए जो वर्तमान मामले में प्रकट है, चरनजीत और अशोक कुमार के अवैध संबंधों के बारे में पंचायत बुलाई गई थी जिसमें उस स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति उसमें मौजूद थे । अभियुक्त चरनजीत कौर तारीख 7 अक्तूबर, 2010 को घर से चली गई थी और पुनः तारीख 4 नवंबर, 2010 को अभियुक्त चरनजीत कौर उस मकान से पुनः चली गई और जब वह घर से जा रही थी तो उसने एक मोबाइल

फोन, एक घड़ी, रूपलाल का पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, बीस हजार रुपए नकद और 250 यूरो अपने साथ ले गई । उसने लगभग 4 बजे पूर्वाह्न किसी भी व्यक्ति को इस बारे में सूचना नहीं दी और वहां से चली गई थी । इसके पश्चात् उन्होंने पुलिस थाना पीहलूर में शिकायत दर्ज की थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कथन किया कि पिछले 20-25 वर्षों से अभियुक्त के साथ कोई भी बोलचाल नहीं हुई थी । इसके अतिरिक्त, उन्होंने वर्तमान घटना के संबंध में पुलिस थाना पीहलूर और लस्सारा में वर्तमान घटना के बारे में आवेदन फाइल किया था । रूपलाल विदेश में है और अभिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय में नहीं पहुंचा । इसके अतिरिक्त, अशोक कुमार चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए परिवादी के मकान पर पहुंचा । रूपलाल नया पासपोर्ट प्राप्त करने पर विदेश चला गया था ।

इसके पश्चात् जगतराम समन लेने के पश्चात्/आरोप से पूर्व साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी 2 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और उसने यह कथन किया कि तारीख 23 नवंबर, 2000 को रूपलाल का चरनजीत कौर के साथ विवाह हुआ था । रूपलाल 2010 में अपने घर भारत पहुंचा था । अभियुक्त चरनजीत कौर और अशोक कुमार के एक दूसरे के साथ अवैध संबंध थे । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने पंचायत रखे जाने से पहले रूपलाल को धमकाया था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने रूपलाल का पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और कलाई की घड़ी, बीस हजार रुपए नकद और 250 यूरो चुराए थे और चरनजीत कौर फिर भी अशोक कुमार अभियुक्त के साथ रह रही थी । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि भगतराम उसका सगा भाई है । इसके अतिरिक्त उसने इस बात से इनकार किया कि उसने परिवादी के कहने पर मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । इसके अतिरिक्त, रूपलाल परिवादी उसका पुत्र है । इसके अतिरिक्त, चरनजीत कौर अभियुक्त द्वारा चुराया गया पासपोर्ट की कोई प्रति नहीं है और इस साक्षी की विस्तृत रूप से परीक्षा की गई परन्तु उसके साक्ष्य से कोई भी

लाभदायक बात प्रकट नहीं हुई ।

इसके पश्चात् बलबीर राम समन मिलने के पश्चात् आरोप से पूर्व साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी 3 के रूप में साक्षी कठघरे में पहुंचा और सक्षम साक्षी 1 और सक्षम साक्षी 2 के अनुसार अभिसाक्ष्य दिया जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि रूपलाल और उसका भाई अलग-अलग निवास करते हैं । इसके अतिरिक्त रूपलाल विवाह के एक वर्ष पश्चात् विदेश चला गया । उसने अशोक कुमार और चरनजीत कौर को तारीख 4 नवंबर, 2010 को एक साथ जाते हुए देखा था ।

18. अपने परिवाद को साबित करने के लिए साक्ष्य पर आरोप लगने के पश्चात् परिवादी अभिकथित पावर आफ एटार्नी के आधार पर मोहिन्दर कौर की परीक्षा की जो प्रतिपरीक्षा में सक्षम साक्षी 1 के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया कि रूपलाल अपने विवाह के एक वर्ष पश्चात् विदेश चला गया । रूपलाल चरनजीत कौर के बीच संबंध अशोक कुमार अभियुक्त के साथ अवैध संबंध होने के कारण तनावपूर्ण रहे थे इसके अलावा काफी लम्बे समय तक अभियुक्त के साथ कोई बोलचाल नहीं हुई थी । पक्षकारों के बीच लिखित समझौता प्रभाव में आया था । इसके अतिरिक्त, उसने अभिकथित चोरी के समय पर अभियुक्त को नहीं देखा । इसके अतिरिक्त, उसने चोरी के प्रयत्न के बारे में अभियुक्त के विरुद्ध कोई आवेदन फाइल नहीं किया ।

इसके पश्चात् जगतराम आरोप विरचित करने के पश्चात् अपनी प्रतिपरीक्षा में सक्षम साक्षी 2 के रूप में साक्षी कठघरे में पहुंचा जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि रूपलाल इटली में है । उसने रूपलाल का पासपोर्ट देखा परन्तु उसे अभिलेख पर उसकी प्रति के बारे में पता नहीं है । इसके अतिरिक्त चरनजीत कौर और अशोक कुमार किसी अज्ञात स्थान पर एक साथ रहते हैं । उसने चरनजीत कौर और अशोक कुमार को एक साथ देखा था

परन्तु वह तारीख, समय नहीं बता सकता । इसके अतिरिक्त, उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त सं. 1 से 5 ने कोई अपराध नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, उसे चरनजीत कौर और रूपलाल के बीच भरणपोषण के मुकदमें के बारे में पता नहीं है ।

इसके पश्चात्, आरोप विरचित होने के पश्चात् अपनी प्रतिपरीक्षा के लिए बलबीर राम सक्षम साक्षी 3 के रूप में साक्षी कठघरे में पहुंचा जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया कि रूपलाल उसका सगा भाई है परन्तु वे अलग-अलग रहते हैं । इसके अतिरिक्त, उसने रूपलाल के ग्रीन कार्ड, यूरो और पासपोर्ट भी देखे थे । इसके अतिरिक्त, उसने अशोक कुमार और चरनजीत कौर को ढाका कालोनी में एक साथ रहते हुए कई बार देखा था । आगे उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त ने कोई चोरी नहीं की थी । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त और परिवादी के बीच कई वर्षों से आपस में बोलचाल नहीं थी । इसके अतिरिक्त, वह तारीख के बारे में नहीं बता सकता कि कब उसने चरनजीत कौर और अशोक कुमार को एक साथ देखा ।

19. परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य पर बल दिया है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त दिए गए साक्ष्य के अनुसार अभिलेख पर पूर्णरूप से यह साबित किया गया है कि अभियुक्त सं. 1 और 6 आपराधिक षड्यंत्र रचने के पश्चात् परिवादी से संबंधित वस्तुओं की चोरी की । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह विवाद नहीं किया गया है कि परिवादी का विवाह अभियुक्त सं. 6 चरनजीत कौर के साथ अनुष्ठापित हुआ था । इसके अतिरिक्त, परिवादी और चरनजीत कौर के बीच विवाह के तथ्य को अभिलेख में स्वीकार किया गया है । इसलिए, पक्षकारों के बीच नातेदारी को स्वीकार किया गया है और इसे अभिलेख पर साबित किया गया है । परिवादी ने यह अभिकथन किया है कि अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1 जो परिवादी का चचेरा भाई भी है उसने जानबूझकर साशय चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 1 जो रूपलाल की वैध विवाहित पत्नी है, उसके साथ अवैध संबंध बनाए थे । इसके अतिरिक्त, परिवादी

अपने विवाह के कुछ समय पश्चात् विदेश अर्थात् इटली चला गया और जब वह वापस आया तो उसे अशोक कुमार और चरनजीत कौर अभियुक्त के बीच संबंधों के बारे में पता चला । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है परिवादी और अभियुक्त सं. 6 चरनजीत कौर के विवाह को स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त, परिवादी अर्थात् मोहिन्दर कौर सक्षम साक्षी 1, जगतराम सक्षम साक्षी 2 और बलबीर राम सक्षम साक्षी 3 द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार उपरोक्त साक्षियों ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1 के चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 के साथ अवैध और व्याभिचारी (जारकर्म) संबंध थे । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त साक्षियों ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 परिवादी का मकान छोड़ने के पश्चात् ढाका बस्ती में अशोक कुमार के साथ रह रही थी । यह तथ्य कि चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 परिवादी से पृथक् रूप से रह रही थी, इस बात को भी स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त, चरनजीत कौर शिकायतकर्ता ने घरेलू हिंसा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया जिसकी प्रतियां अभियुक्त द्वारा स्वयं अभिलेख पर रखी गई हैं जो प्रदर्श क1 और चिह्न बी के रूप में हैं । उपरोक्त दस्तावेज से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त सं. 6 चरनजीत कौर परिवादी से अलग रहती थी और उसके विरुद्ध उसने भरणपोषण का परिवाद फाइल किया था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन याचिका की प्रति भी अभिलेख पर रखी है जिसमें चरनजीत कौर बनाम रूपलाल, जिसे क से चिह्नित किया गया है, के शीर्षक पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विच्छेदन का मामला है । उपरोक्त दस्तावेजों की परिवादी के इस तथ्य से संपुष्टि होती है कि चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6, रूपलाल परिवादी की वैध रूप से विवाहिता पत्नी भी है । इसलिए, रूपलाल और चरनजीत कौर अभियुक्त के संबंध पति और पत्नी के रहे हैं जिसे अभिलेख पर साबित किया गया है । इसके अतिरिक्त, परिवादी द्वारा लिया गया

अन्य साक्ष्य ने उस पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त अशोक कुमार का चरनजीत कौर अभियुक्त के साथ अवैध संबंध रहे हैं । इसके अतिरिक्त, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त के काउंसिल ने उपरोक्त तथ्यों से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया है और न इस बारे में कोई सुझाव दिया गया है जो अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध अभिकथन किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, बलबीर सिंह सक्षम साक्षी 3 ने यह कथन किया है कि उसने परिवादी के साथ अभियुक्त चरनजीत कौर और अशोक कुमार को एक साथ कई बार जाते हुए देखा है । इसके अतिरिक्त, परिवादी द्वारा शेष जिन साक्षियों की परीक्षा की गई है उन्होंने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6, अभियुक्त अशोक कुमार के साथ निवास करती है । परिवादी की माता मोहिन्दर कौर ने भी यह कथन किया है कि कई बार अशोर कुमार अभियुक्त चरनजीत कौर से अवैध संबंध बनाने के लिए उसके मकान पर पहुंचता था और उसके आपत्ति करने पर उसने उसका मकान छोड़ दिया । निःसंदेह, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि ऐसा कोई साक्षी नहीं है जिसने अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1 के साथ चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था । परन्तु परिवादी ने यह दलील दी कि उक्त तथ्य के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य की अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1, चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 के अवैध संबंधों के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने की वजह से संभावना प्रकट नहीं होती है । निःसंदेह, अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार परिवादी और अभियुक्त अलग-अलग रहते हैं और कई वर्षों से उनकी बोलचाल भी बंद थी, इस तरह यह संभव नहीं हो सकता है कि अभियुक्त-अशोक कुमार चरनजीत कौर के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए परिवादी के घर पर आया था । परन्तु साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि रूपलाल परिवादी अपने कुटुंब के साथ मोहिन्दर कौर के मकान से लगे हुए मकान में रहता था । इस तरह, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील में महत्व प्रकट होता है । इसके प्रतिकूल, मोहिन्दर कौर

और परिवादी के अन्य साक्षियों का साक्ष्य और अभिलेख पर प्रकट परिस्थितियां परिवादी के वृत्तांत की संपुष्टि करते हैं । इसके अतिरिक्त, दंड संहिता की धारा 497 के अनुसार "जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषी होगा" । वर्तमान परिवाद में अभिलेख पर यह सिद्ध किया गया है कि चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 रूपलाल परिवादी की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अकाट्य साक्ष्य को देने के पश्चात् परिवादी ने अभिलेख पर यह भी सिद्ध किया है कि अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 6 के साथ जारकर्म किया था और विधि के उपरोक्त उपबंधों के अनुसार उसे दंडित किया जाना चाहिए ।

20. इसके अतिरिक्त, परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि सभी अभियुक्तों ने परिवादी का पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, कलाई की घड़ी, एक मोबाइल नोकिया, 250 यूरो और बीस हजार रुपए नकद चुरा लिए थे । किन्तु जैसा कि प्रतिरक्षा और अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई कि अभियुक्त सं. 2 से 5 के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है कि वे सभी षड्यंत्र रचने में सम्मिलित थे और उन्होंने परिवादी से संबंधित उपरोक्त वस्तु की चोरी की । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे कि उपरोक्त वस्तुओं के स्वामित्व को सिद्ध किया जा सके । इसके अतिरिक्त, स्वीकृततः किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त को उपरोक्त वस्तुएं चोरी करते हुए नहीं देखा था । इसके अतिरिक्त, परिवादी का यह वृत्तांत है कि चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 ने उपरोक्त वस्तुओं को लिया था जब उसने परिवादी के मकान को छोड़ा था । परन्तु अभियुक्त सं. 2 से 5 के बारे में अभिकथित चोरी के संबंध में उनके विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट

अभिकथन नहीं किया गया है और परिवादी के विरुद्ध कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, परिवादी द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त सं. 6 ने तारीख 4 नवंबर, 2010 को लगभग 4 बजे पूर्वाह्न परिवादी के मकान को छोड़ दिया था और किसी भी व्यक्ति ने उस समय अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा था । निःसंदेह, अभियुक्त सं. 6 द्वारा गायब की गई उक्त वस्तुओं के बारे में परिवादी द्वारा डी. डी. आर. सं. 14 तारीख 19 नवंबर, 2014 प्रदर्श सी. 6 द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी परन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त सं. 6 चरनजीत कौर ने परिवादी से संबंधित उपरोक्त वस्तुओं की चोरी की । इसके अतिरिक्त, साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि परिवादी रूपलाल विदेश चला गया था । परिवादी के बारे में यह अभिकथन किया गया कि रूपलाल ने पासपोर्ट जारी करवाने के पश्चात् विदेश चला गया परन्तु स्वीकृततः परिवादी द्वारा जारी कराया गया नया पासपोर्ट की नई प्रति नहीं है जिसके बारे में अभियुक्त सं. 6 द्वारा चोरी किया जाना कहा गया था । इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने चोरी की जैसा कि परिवादी द्वारा अभिकथन किया गया है । इसलिए, परिवादी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 380 और 120ख के संघटकों को अभिलेख पर साबित करने में विफल हुआ है । परन्तु जैसा कि ऊपर चर्चा की गई अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1 ने चरनजीत कौर अभियुक्त सं. 6 के साथ अवैध संबंध बनाए थे और यह बात भी ज्ञात है कि वह रूपलाल परिवादी की पत्नी है । तद्नुसार, अशोक कुमार अभियुक्त सं. 1 दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दोषी पाया गया है । शेष अभियुक्तों के बारे में दंड संहिता की धारा 497/380/120ख के अधीन उन्हें दंडित करने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है और उनके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 497/380/120ख के अधीन विरचित किए गए आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है ।

21. अभियुक्त सं. 1 को अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया जाता है और उक्त दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड की मात्रा के बारे में सुना जाना चाहिए ।"

9. आवेदक के काउंसेल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी के साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है जो विदेश में निवास करता है और वह अपने कथन अभिलिखित करने की तारीख से पिछले सात वर्षों से इटली में रह रहा है और उसने ग्रीन कार्ड प्राप्त किया है और जब तारीख 28 सितंबर, 2010 को वह भारत वापस आया, उसने देखा कि अभियुक्त अशोक कुमार और चरनजीत कौर के एक दूसरे के साथ अवैध संबंध हैं और इसके पश्चात् अभियुक्त चरनजीत कौर जो परिवादी की पत्नी है, ने तारीख 7 अक्तूबर, 2010/4 नवंबर, 2010 को अपना वैवाहिक गृह छोड़ दिया था और वह एक मोबाइल फोन, एक घड़ी, पासपोर्ट, बीस हजार रुपए और 250 यूरो ले गई थी और उसने इस बारे में शिकायत/परिवाद फाइल किया था ।

10. आवेदक के काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि सक्षम साक्षी 2 जगतराम के साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त चरनजीत कौर द्वारा वस्तुओं की चोरी किए जाने के पश्चात् पंचायत की बैठक बुलाई गई थी । यह साक्षी परिवादी/रूपलाल का पिता है । यह भी कथन किया गया है कि सक्षम साक्षी 3 बलबीर राम रूपलाल का भाई है जिसने यह भी कथन किया है कि वह विवाह करने के एक वर्ष पश्चात् विदेश चला गया था और उसने उसकी पत्नी चरनजीत कौर और अशोक कुमार को देखा था । आवेदक के काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन किए बिना प्रत्यर्थी/अभियुक्त को गलत रूप से दोषमुक्त कर दिया था ।

11. आवेदक की ओर से विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् मैं विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता हूं । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि विवाह के एक वर्ष पश्चात् रूपलाल विदेश चला गया था और उसने अपनी पत्नी चरनजीत कौर की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया जो परिवादी रूपलाल से अलग निवास कर रही थी और

उस कारण से उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (संक्षेप में 2005 का अधिनियम कहा गया है) के अधीन आवेदन फाइल किया था तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भी आवेदन फाइल किया जिनका अभियुक्त द्वारा स्वयं अवलंब लिया गया था जिसे प्रदर्श क-1 चिह्न बी के रूप में दिखाया गया है तथा पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद याचिका भी फाइल की गई थी, अतः यह प्रकट है कि वर्तमान परिवाद परिवादी द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र की ओर इंगित करते हुए असद्भावी आशय से फाइल किया गया था कि वह सह-अभियुक्त अशोक कुमार के साथ चली गई है । यद्यपि, वह इस अभिकथन को अकाट्य साक्ष्य देकर साबित करने में विफल हुआ है ।

12. विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि सभी सक्षम साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक/परिवादी रूपलाल ने विवाह के एक वर्ष के पश्चात् भारत छोड़ दिया था और चरनजीत कौर अकेले निवास कर रही थी । सक्षम साक्षी 2 रूपलाल के पिता तथा सक्षम साक्षी 3 रूपलाल का भाई है । उन्होंने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने रूपलाल की अनुपस्थिति में चरनजीत कौर की देखभाल की और बल्कि उन्होंने ये अभिकथन किए हैं कि उसके अशोक कुमार के साथ अवैध संबंध थे जिससे स्वतः यह दर्शित होता है कि वे रूपलाल आवेदक के अभिसाक्ष्य के अनुसार अभिसाक्ष्य दे रहे थे जिसने कभी भी अपनी पत्नी का भरणपोषण की परवाह नहीं की जो बात अभिलेख में उसके कथन में प्रकट नहीं हुई है और इसके पश्चात् वह इटली चला गया । उसने अपनी पत्नी चरनजीत कौर को अपने साथ में रखने का कोई प्रयास नहीं किया जिस बारे में साक्ष्य पूर्ण रूप से चुपचाप है कि छह वर्ष की मध्याक्षेप अवधि में उसने उसे कोई धनीय फायदा कभी भी नहीं दिया या न वीजा देने का कोई प्रयास किया । इस तथ्य के बावजूद कि उसने इटली में ग्रीन कार्ड प्राप्त किया । इससे आवेदक की ओर से असद्भावना प्रकट होती है जिसने विवाह के पश्चात् अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था ।

13. आवेदक का स्वयं यह मानना है कि चरनजीत कौर ने अपने भरणपोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन याचिका

फाइल की तथा 2005 के अधिनियम के अधीन आवेदन फाइल किया, जिसमें उसने आवेदक से अपने अधिकार के बारे में पूछा है । इस प्रकार, इस बात का मूल्यांकन करने पर चरनजीत कौर को रूपलाल ने विदेश जाने के पश्चात् भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और उसने उसके चरित्र के बारे में मिथ्या परिवाद फाइल किया है जिससे यह दर्शित होता है कि वह चरनजीत कौर का पति होते हुए भी अपने दायित्व से बचना चाहता है और उसके लिए अपनी पत्नी पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित था और सभी सुविधाओं को उसे मुहैया कराना चाहिए था ।

14. आवेदक का यह स्वीकृत मामला है कि अशोक कुमार जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 497 के अधीन दोषी ठहराया गया था, अशोक कुमार द्वारा फाइल की गई अपील में निचले अपील न्यायालय ने उसे तारीख 26 सितंबर, 2016 को निर्णय पारित करके दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, मैं विचारण न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, जालंधर के तारीख 12 दिसंबर, 2017 को पारित किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए अभिलिखित कारणयुक्त निष्कर्षों पर हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूं जिस पर दंड संहिता की धारा 497 के अधीन अशोक कुमार के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त करता हूं ।

15. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

सनोज कुमार उर्फ सनोज बिंद

बनाम

बिहार राज्य

[2013 की दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663]

तारीख 15 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र जायसवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(6) – सामूहिक बलात्संग – अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की संपुष्टि – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया और इसकी संपुष्टि घटना के दौरान अभियोक्त्री को हुई क्षति, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से प्राप्त टूटी चूड़ियों से होती है अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 7 जनवरी, 2012 को 8.30 बजे पूर्वाह्न सहायक उप निरीक्षक पुलिस नंदेश्वर ठाकुर ने (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है), किंजेर पुलिस थाना में पीड़िता (अभि. सा. 1) के फर्द बयान अभिलिखित किया था, जो विवाहित महिला है जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है । सदर अस्पताल, जहानाबाद में बैड सं. 1 पर फर्द बयान अभिलिखित किया गया था । फर्द बयान में पीड़िता ने यह बात प्रकट की है कि सायं अर्थात् तारीख 6 जनवरी, 2012 को 5 बजे अपराह्न वह गांव के पूर्वी दिशा की ओर अपने घर से निकलकर शौच करने के लिए गई थी । शौच करने के पश्चात् जब वह वापस लौट रही थी और धान के खलिहान के नजदीक देवीस्थान के उद्यान पर पहुंची अचानक उसका सह-गांववासी साहेन्द्र नेता (दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी) ने उस पर हमला किया और उसने तब चीख-पुकार की । इसके पश्चात् सनोज कुमार (दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी), रंजीत कुमार, बुच कुमार (एक ही ग्राम अर्थात्

ग्राम मिश्राबिघा के सभी निवासी) और तीन-चार अज्ञात व्यक्ति, जो सभी एक ही गांव के निवासी हैं, तथा पुलिस थाना अर्थात् पी. एस. किंजेर जिला अरावल ने एक मफलर की सहायता से उसके मुंह को बलपूर्वक चारों ओर से लपेट दिया और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए थे और उसको उठाकर वे कुछ दूरी पर ले गया । सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-एक करके उससे बलात्संग किया । वह चार अभियुक्त व्यक्तियों को उनके नाम से पहचान सकती है । उसने यह भी कथन किया कि सभी अभियुक्त व्यक्ति ने उससे बलात्संग करने के पश्चात् उसको यह धमकी दी कि यदि वह शोरगुल करेगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी । उसने यह भी कथन किया कि एक ग्रामवासी जो शौच करने के लिए आया हुआ था उसने घटना को देखने के पश्चात् शोरगुल किया और इसके पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्ति ग्राम के पूर्वी दिशा की ओर भाग गए । तत्पश्चात् पीड़िता की मम्मी (सास) और सह ग्रामवासी के साथ जितेन्द्र नाम के व्यक्ति द्वारा उसे उठाकर उसके मकान पर ले गया । उसके चाचा ने ग्रामवासियों की मदद से उसे जहानाबाद अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे उपचाराधीन रखा गया है । उक्त फर्द बयान उसके समक्ष पढ़ा गया था और इसे सही पाए जाने के पश्चात् उसने अपने पड़ोसी जितेन्द्र कुमार के समक्ष उसने हस्ताक्षर किया था । जितेन्द्र कुमार ने भी फर्द बयान पर हस्ताक्षर किए, तथापि, उसकी विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई । उसी दिन अर्थात् तारीख 7 जनवरी, 2012 को फर्द बयान के आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किंजेर पुलिस थाना मामला सं. 1/2012 (1) साहेन्द्र **उर्फ** नेता [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी], (2) सनोज कुमार [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी], (3) रंजीत कुमार, (4) बुच कुमार और अन्य तीन-चार व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(एच)/34 के अधीन अपराध के लिए 10 बजे पूर्वाह्न मामला दर्ज किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् अभि. सा. 6 मोहम्मद असलम अली द्वारा मामले में सम्पूर्ण रूप से अन्वेषण किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 9 फरवरी, 2012 को सभी चारों प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था जो

पहले ही दंड संहिता की धारा 376(2) (जी)/34 के अधीन अभिरक्षा में थे जिस पर तारीख 25 फरवरी, 2012 को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहानाबाद ने अपराध पर संज्ञान लिया था । मामले को सुपुर्द किए जाने के पूर्व दो आरोप पत्र में अभियुक्त व्यक्तियों ने किशोर होने का दावा किया और इस प्रकार उनके मामले को पृथक् कर दिया गया था । पूर्वोक्त दो अपीलार्थियों के मामलों को तारीख 31 जुलाई, 2012 को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था और उस पर सेशन विचारण सं. 461/2012 संख्या डाली गई थी । तारीख 13 सितंबर, 2012 को दंड संहिता की धारा 376(जी.)/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिस पर अपीलार्थियों द्वारा इनकार किया गया और उन्होंने विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध किया तथा कुल मिलाकर छह साक्षियों की परीक्षा की । छह साक्षियों में से अभि. सा. 1 पीड़िता है जो विवाहित स्त्री है जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है । उसका विवाह ग्राम मिश्राबिघा, पुलिस थाना किंजेर, जिला अरावल में हुआ था । अभि. सा. 2 चिंटू राम पीड़िता के पति का छोटा भाई है और अभि. सा. 3 चन्द्रदेव राम पीड़िता का ससुर है जबकि अभि. सा. 4 प्रकाश कुमार पाटीदार है और पीड़िता के पति का बड़ा भाई है । अभि. सा. 5 डा. रेनू सिंह चिकित्साधिकारी है जिन्होंने पीड़िता की क्षतियों की परीक्षा की थी और अभि. सा. 6 मोहम्मद असलम अली मामले में अन्वेषण अधिकारी है । अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् तारीख 23 अप्रैल, 2013 को अपीलार्थियों ने अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों और साक्ष्य को प्रश्नगत किया था जो उनके विरुद्ध लाए गए थे । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन उनके कथन अभिलिखित किए गए थे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उनके कथन में अपीलार्थी साहेन्द्र यादव **उर्फ** नेता [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] ने यह दावा किया कि पुरानी दुश्मनी की वजह से उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है जबकि अपीलार्थी सनोज कुमार **उर्फ** सनोज बिंद [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013] ने यह दावा किया मानों उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया था और उसने यह भी कथन किया कि उसके दो बच्चे हैं । सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् विद्वान्

विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में उन्हें दोषी ठहराया है और दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित किया जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन पूर्वोक्त दो अपीलें फाइल करके इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के अतिरिक्त न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा की और उस पर विचार करने के पश्चात् प्रथमदृष्टया न्यायालय यह अभिव्यक्त करना चाहता है कि यह बर्बरतापूर्ण आघात लगने वाला मामला था और एक विवाहित महिला जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है, उससे जंगली रीति में बलात्संग किया गया था । तथापि, कार्रवाई से पूर्व साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक है जो अभिलेख पर लाया गया है । पीड़िता जिसकी अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना तारीख 6 जनवरी, 2012 को 5 बजे अपराह्न सायं में घटित हुई थी । वह उस समय शौच करने के पश्चात् अपने घर की ओर लौट रही थी और लौटते हुए रास्ते पर जब वह धान के खलिहान के नजदीक देवीस्थान के उद्यान में पहुंची तब अपीलार्थी साहेन्द्र [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] खलिहान के पीछे की ओर से आया और उसने उस पर हमला किया । उसने चीख-पुकार की । उसी बीच में अपीलार्थी सनोज बिंद [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013] धान के खलिहान के पीछे की ओर से आया और अपने मफलर की सहायता से उसने उसके मुंह को बांध दिया । तत्पश्चात्, साहेन्द्र यादव [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी], सनोज यादव [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी], रंजीत यादव और बुच यादव ने उसके हाथ और पैर बांध दिए तथा देवीस्थान के उद्यान से वे लगभग 100 गज दूरी पर उसे उठाकर ले गए उस समय जबकि वह अनुतोष चाहने की कोशिश कर रही थी और उसे निरन्तर उसकी मृत्यु करने की धमकी दी जा रही थी । अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे अरहर के खेत में धक्का दे दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए तथा सभी चारों अभियुक्तों ने एक-एक करके बलपूर्वक उससे

बलात्संग किया । उसने आगे यह भी कथन किया है कि चूंकि वह अपने ससुराल के गांव में थी उसे अरहर के खेत के स्वामी के बारे में पता नहीं है । जब उससे बलात्संग किया जा रहा था एक ग्रामवासी अर्थात् बिरेन्द्र यादव वहां से गुजर रहा था जो शौच करने के लिए जा रहा था । उसने शोरगुल सुनने के पश्चात् सभी चारों अभियुक्त उसे छोड़कर पूर्वी दिशा की ओर भाग खड़े हुए । बिरेन्द्र यादव द्वारा शोर करने पर ग्रामवासी और पीड़िता की सास चिन्तादेवी घटनास्थल पर पहुंचे । उसने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका पति और ससुर अजमेर (राजस्थान) में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे तथा घटना की तारीख को वे अजमेर में थे । पीड़िता को ग्रामवासियों द्वारा घटनास्थल से उठाया गया और उसके ससुराल के मकान में उसे लाया गया । तत्पश्चात्, उसे चिकित्सा उपचार दिया गया था, और उसका पाटीदार उसके दरवाजे के नजदीक आटो-रिक्शा लाया था । आटो-रिक्शा के ड्राइवर को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा धमकाया गया था और उसके पश्चात् ड्राइवर भाग खड़ा हुआ । घटना की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसके चाचा शम्भुराम और भाई सतीश कुमार 50 ग्रामवासियों के साथ उसके जन्मस्थान के गांव कोरी एक कमान्डर जीप लेकर उसके ससुराल के मकान पर पहुंचे । उसने यह भी कथन किया है कि सूचना प्राप्त करने के पश्चात् 10 मिनट के भीतर पुलिस उसके ससुराल के मकान पर पहुंची । चूंकि उसकी हालत गंभीर थी, पुलिस ने सर्वप्रथम उसे सदर अस्पताल, जहानाबाद ले गई जहां उसका उपचार किया गया था और वह उस अस्पताल में लगभग 8 दिन रही । उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि उसने सदर अस्पताल में पुलिस को अपना फर्द बयान दिया । उसने फर्द बयान जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया था उसकी भी पहचान की । उसने दो अपीलार्थियों की भी शनाख्त की थी जो कठघरे में मौजूद थे । इस साक्षी की विस्तृत रूप से परीक्षा की, तथापि, इस पर कोई संदेह प्रकट करने के लिए कुछ भी सार नहीं निकल सका । न्यायालय के प्रश्न पर उसने यह उत्तर दिया कि घटना के पश्चात् उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी और सूजन आने के कारण उसका चेहरा बदल गया था । उसके दोनों हाथों पर भी सूजन थी । इसी तरह अभि. सा. 2 चिंटू राम जो पीड़िता के पति का

छोटा भाई अर्थात् उसका देवर है, ने यह कथन किया है कि उसे पीड़िता द्वारा घटना के बारे में बताया गया था । उसने कठघरे में दोनों अपीलार्थियों की पहचान की थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अपनी भाभी (पीड़िता) के दोनों स्तनों पर दांत से काटे हुए चिह्न भी देखे थे तथा उसके दोनों होठों पर सूजन भी थी । इस साक्षी को मामले में मिथ्या फंसाए जाने के बारे में सुझाव भी दिया गया था । उसके साक्ष्य की परीक्षा करने पर विशिष्ट रूप से उसकी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पीड़िता के शरीर पर कारित की गई क्षति के बारे में उसके वृत्तान्त को दोहराया है । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि चिकित्सा रिपोर्ट उसके पेन से बनाई गई थी और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे प्रदर्श के रूप में चिह्न से दिखाया गया था । निःसंदेह, अपनी रिपोर्ट अभि. सा. 5 ने अपनी राय अभिलिखित की थी कि बलात्संग की संभावना अस्वीकार नहीं की जा सकती, परन्तु प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके द्वारा बलात्संग किए जाने को इंगित करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी स्पष्ट किया है कि यद्यपि रिपोर्ट में बलात्संग की संभावना का अनुमान लगाया गया था परन्तु निष्कर्षों से निश्चित तौर पर बलात्संग किया जाना उपदर्शित होता है । इस प्रकार, मौखिक साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा सारभूत रूप से संपुष्टि हुई है । अन्वेषक अधिकारी अर्थात् मोहम्मद असलम अली जिसकी अभि. सा. 6 के रूप में परीक्षा की गई थी, उसने अभियोजन पक्षकथन का भी समर्थन किया । तारीख 7 जनवरी, 2012 को मोहम्मद असलम अली (अभि. सा. 6), किंजेर पुलिस थाना में भारसाधक अधिकारी के रूप में तैनात था । उसने अपने साक्ष्य में औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है, साबित की है और उसने विस्तृत रूप से इस बारे में वर्णन किया है जो कुछ घटनास्थल पर उसकी जानकारी में आया है । उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस बिंदू की ओर भी ध्यान दिलाया है कि घटना के स्थान पर घास और झाड़ियों को कुचला गया था जो स्थान घटना का स्थान था, उसने टूटी हुई चूड़ियों तथा एक जोड़े चप्पल का भी उल्लेख किया

है । घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् उसने साक्षियों की परीक्षा की खासतौर पर चन्द्र देव राम (अभि. सा. 3), प्रकाश कुमार (अभि. सा. 4), चिंटू राम (अभि. सा. 2) हैं । तत्पश्चात्, तारीख 10 जनवरी, 2012 को साहेन्द्र यादव (दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी) को गिरफ्तार किया गया था जबकि उसने यह सूचना प्राप्त की थी कि तारीख 13 जनवरी, 2012 को अपीलार्थी सनोज बिंद (डी. बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी) और बुच यादव (जिसका मामला अलग किया गया था) उसने न्यायालय में अभ्यर्पण किया था । उसने यह स्पष्ट किया है कि उसने फर्द बयान पर साक्ष्य के रूप में जितेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए थे परन्तु उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि चप्पल जो घटना के स्थान पर पाए गए थे जितेन्द्र यादव के थे, उसका उपनाम साहेन्द्र यादव **उर्फ** नेता भी था (दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी) । अभि. सा. 6 अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य की परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि घटना का स्थान रौंदा जाना जानकारी में आया था और चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े भी वहां पर पाए गए थे । सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर अभियोजन पक्षकथन में किसी संदेह के प्रकट होने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है । सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् अपीलार्थियों से अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों और साक्ष्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया था । निःसंदेह, उन्होंने इनकार किया और मिथ्या रूप से फंसाए जाने का दावा किया, परन्तु प्रतिरक्षा के संबंध में अभिलेख पर कोई स्पष्ट सामग्री नहीं लाई गई थी जिससे कि ऐसी प्रतिरक्षा का अवलंब लिया जा सके । इसके प्रतिकूल साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों की दोषिता के बारे में और अपराध करने में वीभत्स और घृणित कार्य किए जाने पर जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध किया गया । तद्नुसार, न्यायालय ने दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में कोई गलती नहीं पाई है । (पैरा 12, 13, 14, 18, 19 और 20)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अनिमेश कुमार मिश्रा, न्यायमित्र और नित्यानंद नीरज

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री शिवेस चन्द्र मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक और अजय मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – अपीलार्थी साहेन्द्र यादव **उर्फ** साहेन्द्र **उर्फ** नेता **उर्फ** नाटा (दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 747/2013) की ओर से श्री नित्यानंद नीरज, विद्वान् काउंसेल हाजिर हुए, तथापि अपीलार्थी सनोज कुमार **उर्फ** सनोज बिंद (दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013) की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ, श्री अनिमेश कुमार मिश्रा, विद्वान् काउंसेल, जो न्यायालय में मौजूद था, न्यायालय से न्यायमित्र के रूप में सहायता करवाने का अनुरोध किया और वह उसके लिए सहमत हुआ ।

2. पूर्वोक्त दोनों अपीलों में अपीलार्थियों का एक साथ विचारण किया गया था और 2012 के सेशन विचारण सं. 461 में एक निर्णय पारित करके दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया और इस प्रकार दोनों अपीलें "सुनवाई के लिए" शीर्ष के अन्तर्गत एक साथ लिए गए थे और एक ही निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है ।

3. दोनों अपीलार्थियों को तारीख 23 मई, 2013 को निर्णय पारित करके दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भा. द. स. कहा गया है) की धारा 376 (2) (जी) के अधीन अपराध किए जाने के लिए सिद्धदोष किया गया था और तारीख 30 मई, 2013 को आदेश पारित करके दोनों अपीलार्थियों को आजीवन कारावास भोगने तथा अलग-अलग 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । जुर्माने की रकम अभियोक्त्री (पीड़िता) को संदाय किए जाने के लिए निदेशित किया गया था । अपीलार्थियों को श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, जहानाबाद (इसमें इसके पश्चात् विचारण न्यायाधीश कहा गया है) द्वारा सेशन विचारण सं. 461/2012 (किंजेर पुलिस थाना मामला सं.01/2012 से उद्भूत) में उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया ।

4. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 7 जनवरी, 2012 को 8.30 बजे पूर्वाह्न सहायक उप निरीक्षक पुलिस नंदेश्वर ठाकुर ने (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है), किंजेर पुलिस थाना में पीड़िता (अभि. सा. 1) के फर्द बयान अभिलिखित किया था, जो विवाहित महिला है जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है । सदर अस्पताल, जहानाबाद में बैड सं. 1 पर फर्द बयान अभिलिखित किया गया था । फर्द बयान में पीड़िता ने यह बात प्रकट की है कि सायं अर्थात् तारीख 6 जनवरी, 2012 को 5 बजे अपराह्न वह गांव के पूर्वी दिशा की ओर अपने घर से निकलकर शौच करने के लिए गई थी । शौच करने के पश्चात् जब वह वापस लौट रही थी और धान के खलिहान के नजदीक देवीस्थान के उद्यान पर पहुंची अचानक उसका सह-गांववासी साहेन्द्र नेता [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी] ने उस पर हमला किया और उसने तब चीख-पुकार की । इसके पश्चात् सनोज कुमार [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी], रंजीत कुमार, बुच कुमार (एक ही ग्राम अर्थात् ग्राम मिश्राबिघा के सभी निवासी) और तीन-चार अज्ञात व्यक्ति, जो सभी एक ही गांव के निवासी हैं, तथा पुलिस थाना अर्थात् पी. एस. किंजेर जिला अरावल ने एक मफलर की सहायता से उसके मुंह को बलपूर्वक चारों ओर से लपेट दिया और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए थे और उसको उठाकर वे कुछ दूरी पर ले गए । सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-एक करके उससे बलात्संग किया । वह चार अभियुक्त व्यक्तियों को उनके नाम से पहचान सकती है । उसने यह भी कथन किया कि सभी अभियुक्त व्यक्ति ने उससे बलात्संग करने के पश्चात् उसको यह धमकी दी कि यदि वह शोरगुल करेगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी । उसने यह भी कथन किया कि एक ग्रामवासी जो शौच करने के लिए आया हुआ था उसने घटना को देखने के पश्चात् शोरगुल किया और इसके पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्ति ग्राम के पूर्वी दिशा की ओर भाग गए । तत्पश्चात् पीड़िता की मम्मी (सास) और सह ग्रामवासी के साथ जितेन्द्र नाम के व्यक्ति द्वारा उसे उठाकर उसके मकान पर ले गया । उसके चाचा ने ग्रामवासियों की मदद से उसे जहानाबाद अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे उपचाराधीन रखा गया है । उक्त फर्द बयान उसके समक्ष पढ़ा गया था और इसे सही पाए जाने के पश्चात् उसने अपने पड़ोसी जितेन्द्र कुमार के समक्ष उसने हस्ताक्षर किया था । जितेन्द्र

कुमार ने भी फर्द बयान पर हस्ताक्षर किए, तथापि, उसकी विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई ।

5. उसी दिन अर्थात् तारीख 7 जनवरी, 2012 को फर्द बयान के आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किंजेर पुलिस थाना मामला सं. 1/2012 (1) साहेन्द्र **उर्फ** नेता [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी], (2) सनोज कुमार [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी], (3) रंजीत कुमार, (4) बुच कुमार और अन्य तीन-चार व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(एच)/34 के अधीन अपराध के लिए 10 बजे पूर्वाह्न मामला दर्ज किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् अभि. सा. 6 मोहम्मद असलम अली द्वारा मामले में सम्पूर्ण रूप से अन्वेषण किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 9 फरवरी, 2012 को सभी चारों प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था जो पहले ही दंड संहिता की धारा 376(2) (जी)/34 के अधीन अभिरक्षा में थे जिस पर तारीख 25 फरवरी, 2012 को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहानाबाद ने अपराध पर संज्ञान लिया था । मामले को सुपुर्द किए जाने के पूर्व दो आरोप पत्र में अभियुक्त व्यक्तियों ने किशोर होने का दावा किया और इस प्रकार उनके मामले को पृथक् कर दिया गया था । पूर्वोक्त दो अपीलार्थियों के मामलों को तारीख 31 जुलाई, 2012 को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था और उस पर सेशन विचारण सं. 461/2012 संख्या डाली गई थी । तारीख 13 सितंबर, 2012 को दंड संहिता की धारा 376(जी.)/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिस पर अपीलार्थियों द्वारा इनकार किया गया और उन्होंने विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध किया तथा कुल मिलाकर छह साक्षियों की परीक्षा की । छह साक्षियों में से अभि. सा. 1 पीड़िता है जो विवाहित स्त्री है जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है । उसका विवाह ग्राम मिश्राबिघा, पुलिस थाना किंजेर, जिला अरावल में हुआ था । अभि. सा. 2 चिंटू राम पीड़िता के पति का छोटा भाई है और अभि. सा. 3 चन्द्रदेव राम पीड़िता का ससुर है जबकि अभि. सा. 4 प्रकाश कुमार पाटीदार है और पीड़िता के पति का बड़ा भाई है ।

अभि. सा. 5 डा. रेनू सिंह चिकित्साधिकारी है जिन्होंने पीड़िता की क्षतियों की परीक्षा की थी और अभि. सा. 6 मोहम्मद असलम अली मामले में अन्वेषण अधिकारी है ।

7. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् तारीख 23 अप्रैल, 2013 को अपीलार्थियों ने अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों और साक्ष्य को प्रश्नगत किया था जो उनके विरुद्ध लाए गए थे । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन (इसमें इसके पश्चात् द. प्र. स. कहा गया है) उनके कथन अभिलिखित किए गए थे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उनके कथन में अपीलार्थी साहेन्द्र यादव **उर्फ** नेता [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] ने यह दावा किया कि पुरानी दुश्मनी की वजह से उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है जबकि अपीलार्थी सनोज कुमार **उर्फ** सनोज बिंद [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013] ने यह दावा किया मानों उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया था और उसने यह भी कथन किया कि उसके दो बच्चे हैं । सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में उन्हें दोषी ठहराया है और दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित किया जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन पूर्वोक्त दो अपीलें फाइल करके इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया है ।

8. अपीलार्थी साहेन्द्र यादव [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री नित्यानंद नीरज ने सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलंब लेने के पश्चात् यह दलील दी है कि अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि पीड़िता के पति और अपीलार्थी के बीच पैसे के संव्यवहार के बारे में विवाद था और घटना से कुछ दिन पूर्व विवाद भी उत्पन्न हुआ था और अगली तारीख को वर्तमान मिथ्या मामला संस्थित किया गया था । उन्होंने यह निवेदन किया कि यही एक कारण था कि साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करते हुए यह सुझाव दिया गया था कि क्या विवाद का कारण मिथ्या रूप से फंसाया जाना है जो घटना के एक दिन पूर्व घटित हुआ था । इसके अतिरिक्त, यह भी दलील दी गई कि कई साक्षी के पास कोई स्पष्ट कारण देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई थी और इस प्रकार

उन्होंने यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है तो भी विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित कर दिया ।

9. [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी] अपीलार्थी सनोज कुमार **उर्फ** सनोज बिंद की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री अनिमेश कुमार मिश्रा ने यह निवेदन किया कि जितेन्द्र कुमार का नाम पीड़िता ने स्वयं बताया था कि वह जितेन्द्र ही था जिसने ग्रामवासियों और अन्य कुटुंब के सदस्यों की सहायता से घटनास्थल से पीड़िता को उठाकर उसके मकान पर ले गया, तथापि, उक्त जितेन्द्र कुमार की अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई थी । उन्होंने यह निवेदन किया कि जितेन्द्र कुमार ने साक्षी के रूप में फर्द बयान पर हस्ताक्षर भी किए थे । यह भी दलील दी गई कि यह अधिसंभाव्य है कि एक ओर अभियोजन पक्ष ने मामले में यह बताया कि बलात्संग करने के पश्चात् यह बात ध्यान में आई कि ग्रामवासियों में से एक व्यक्ति वहां पहुंचा । सभी अभियुक्त व्यक्ति वहां से भाग खड़े हुए, तथापि, दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने मामले में यह भी प्रकट किया है कि जब इत्तिलाकर्ता के नातेदार ने पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए टेम्पो किराए पर लिया तब अपीलार्थियों ने टेम्पो ड्राइवर को यह कहते हुए धमकाया कि वह घटनास्थल से चले जाएं । श्री मिश्रा ने यह निवेदन किया कि ऐसी स्थिति से अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । उन्होंने यह भी दोहराया कि अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि कई साक्षियों का कथन अभिलिखित किया गया था, परन्तु विचारण के दौरान पीड़िता का केवल नातेदार अभियोजन साक्षी के रूप में यह अभिसाक्ष्य देने के लिए आगे आया । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी सानेन्द्र यादव [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] को जितेन्द्र यादव के नाम से भी जाना जाता था परन्तु पीड़िता ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि सानेन्द्र के भाई के रूप में अर्थात् जितेन्द्र घटनास्थल पर भी पहुंचा था जबकि अभियुक्त व्यक्ति पहले ही वहां से भाग खड़े हुए थे । श्री मिश्रा, न्यायमित्र के अनुसार इससे अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर संदेह पैदा होता है । तद्नुसार, यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष सभी

युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है ।

10. श्री अजय मिश्रा, विद्वान् अपर लोक अभियोजक [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] ने यह निवेदन किया कि यह बर्बरतापूर्ण सामूहिक बलात्संग का मामला है जिसे साक्ष्यों के सभी कोणों द्वारा सिद्ध किया गया है । उन्होंने यह निवेदन किया कि ऐसे वीभत्स मामले में यह प्रकट होता है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने उदारवादी मत अपनाया है अन्यथा ऐसे मामलों में आजीवन कारावास का दंड अपीलार्थियों के अंतिम सांस लेने तक अधिरोपित किया जाना अपेक्षित था, तथापि, ऐसे दंड को अधिरोपित करने के बजाय विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने केवल आजीवन कारावास का दंड अधिरोपित किया है । श्री मिश्रा, विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया है कि अभियोक्त्री का सम्पूर्ण साक्ष्य इस बात के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्षकथन सच्चाई से भरा हुआ है । अभियोक्त्री के साक्ष्य के अतिरिक्त चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी उपरोक्त बात सिद्ध हुई है और अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी ने घटना के स्थान का भी उल्लेख किया है कि वह स्थान एक खेत था जिसे जोता गया था । घटना के स्थान पर अन्वेषक अधिकारी ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी देखे थे और अपीलार्थियों में से एक अपीलार्थी की एक जोड़ी चप्पल भी देखीं । उन्होंने यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित करके ठीक ही किया है ।

11. श्री सिवेश चन्द्र मिश्रा, विद्वान् अपर लोक अभियोजक दांडिक [अपील (डी.बी.) सं. 663/2013] ने श्री अजय मिश्रा, विद्वान् अपर लोक अभियोजक के निवेदनों को अंगीकार करते हुए आगे यह दलील दी है कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन पीड़िता के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है जिसे चिकित्सा साक्ष्य तथा अन्य संपुष्ट साक्ष्य द्वारा समर्थन मिला है । उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि क्षति रिपोर्ट से स्वतः इस बारे में भी परिवेक्षित होता है कि कैसे जंगली रीति में अपीलार्थी ने अन्य लोगों के साथ एक विवाहित महिला जिसकी आयु 22 वर्ष थी, बलात्संग किया । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि बलात्संग अत्यधिक वीभत्स रीति में

किया गया था कि घटना के पश्चात् पीड़िता अपने होशो-हवास खो चुकी थी और बेहोशी की हालत में उसे ग्रामवासियों और नातेदार द्वारा घटनास्थल से उठाया गया था और उसके मकान पर लाया गया था । उसने यह भी निवेदन किया कि मामला यहां पर समाप्त नहीं हो जाता है । जब कुटुंब के सदस्य ने किराए पर लिए गए टेम्पो के माध्यम से पीड़िता को अस्पताल ले जाने की कोशिश की तब अपीलार्थियों द्वारा टेम्पो ड्राइवर को धमकाया गया था और जिस वजह से टेम्पो ड्राइवर घटनास्थल छोड़कर चला गया और पीड़िता को केवल जीप में अस्पताल ले जाया गया था जिसे कुटुंब के सदस्य दूसरे ग्राम से लाए थे ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के अतिरिक्त हमने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा की और उस पर विचार करने के पश्चात् प्रथमदृष्ट्या हम यह अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि यह बर्बरतापूर्ण आघात लगने वाला मामला था और एक विवाहित महिला जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है, उससे जंगली रीति में बलात्संग किया गया था । तथापि, कार्रवाई से पूर्व साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक है जो अभिलेख पर लाया गया है ।

13. पीड़िता जिसकी अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना तारीख 6 जनवरी, 2012 को 5 बजे अपराह्न सायं में घटित हुई थी । वह उस समय शौच करने के पश्चात् अपने घर की ओर लौट रही थी और लौटते हुए रास्ते पर जब वह धान के खलिहान के नजदीक देवीस्थान के उद्यान में पहुंची तब अपीलार्थी साहेन्द्र [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013] खलिहान के पीछे की ओर से आया और उसने उस पर हमला किया । उसने चीख-पुकार की । उसी बीच में अपीलार्थी सनोज बिंद [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013] धान के खलिहान के पीछे की ओर से आया और अपने मफलर की सहायता से उसने उसके मुंह को बांध दिया । तत्पश्चात्, साहेन्द्र यादव [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी], सनोज यादव [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी], रंजीत यादव और बुच यादव ने उसके हाथ और पैर बांध दिए तथा देवीस्थान के उद्यान से वे लगभग 100 गज

दूरी पर उसे उठाकर ले गए उस समय जबकि वह अनुतोष चाहने की कोशिश कर रही थी और उसे निरन्तर उसकी मृत्यु करने की धमकी दी जा रही थी । अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे अरहर के खेत में धक्का दे दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए तथा सभी चारों अभियुक्तों ने एक-एक करके बलपूर्वक उससे बलात्संग किया । उसने आगे यह भी कथन किया है कि चूंकि वह अपने ससुराल के गांव में थी उसे अरहर के खेत के स्वामी के बारे में पता नहीं है । जब उससे बलात्संग किया जा रहा था एक ग्रामवासी अर्थात् बिरेन्द्र यादव वहां से गुजर रहा था जो शौच करने के लिए जा रहा था । उसने शोरगुल सुनने के पश्चात् सभी चारों अभियुक्त उसे छोड़कर पूर्वी दिशा की ओर भाग खड़े हुए । बिरेन्द्र यादव द्वारा शोर करने पर ग्रामवासी और पीड़िता की सास चिन्तादेवी घटनास्थल पर पहुंचे । उसने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका पति और ससुर अजमेर (राजस्थान) में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे तथा घटना की तारीख को वे अजमेर में थे । पीड़िता को ग्रामवासियों द्वारा घटनास्थल से उठाया गया और उसके ससुराल के मकान में उसे लाया गया । तत्पश्चात्, उसे चिकित्सा उपचार दिया गया था, और उसका पाटीदार उसके दरवाजे के नजदीक आटो-रिक्शा लाया था । आटो-रिक्शा के ड्राइवर को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा धमकाया गया था और उसके पश्चात् ड्राइवर भाग खड़ा हुआ । घटना की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसके चाचा शम्भुराम और भाई सतीश कुमार 50 ग्रामवासियों के साथ उसके जन्मस्थान के गांव कोरी एक कमान्डर जीप लेकर उसके ससुराल के मकान पर पहुंचे । उसने यह भी कथन किया है कि सूचना प्राप्त करने के पश्चात् 10 मिनट के भीतर पुलिस उसके ससुराल के मकान पर पहुंची । चूंकि उसकी हालत गंभीर थी, पुलिस ने सर्वप्रथम उसे सदर अस्पताल, जहानाबाद ले गई जहां उसका उपचार किया गया था और वह उस अस्पताल में लगभग 8 दिन रही । उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि उसने सदर अस्पताल में पुलिस को अपना फर्द बयान दिया । उसने फर्द बयान जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया था उसकी भी पहचान की । उसने दो अपीलार्थियों की भी शनाख्त की थी जो कठघरे में मौजूद थे । इस साक्षी की विस्तृत रूप से परीक्षा की, तथापि, इस पर

कोई संदेह प्रकट करने के लिए कुछ भी सार नहीं निकल सका । न्यायालय के प्रश्न पर उसने यह उत्तर दिया कि घटना के पश्चात् उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी और सूजन आने के कारण उसका चेहरा बदल गया था । उसके दोनों हाथों पर भी सूजन थी ।

14. इसी तरह अभि. सा. 2 चिंटू राम जो पीड़िता के पति का छोटा भाई अर्थात् उसका देवर है, ने यह कथन किया है कि उसे पीड़िता द्वारा घटना के बारे में बताया गया था । उसने डाक में दोनों अपीलार्थियों की पहचान की थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अपनी भाभी (पीड़िता) के दोनों स्तनों पर दांत से काटे हुए चिह्न भी देखे थे तथा उसके दोनों होठों पर सूजन भी थी । इस साक्षी को मामले में मिथ्या फंसाए जाने के बारे में सुझाव भी दिया गया था । उसके साक्ष्य की परीक्षा करने पर विशिष्ट रूप से उसकी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पीड़िता के शरीर पर कारित की गई क्षति के बारे में उसके वृत्तान्त को दोहराया है ।

15. अभि. सा. 3 चन्द्र देव राम पीड़िता का दादा (ग्रांड फादर-इन-ला) है । निःसंदेह, घटना के समय पर वह घटना के स्थान पर मौजूद नहीं था, परन्तु उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि हल्ला सुनने के पश्चात् वह पीड़िता के मकान पर गया और उन्होंने देखा कि उनकी पौत्र वधु मृत्यु की दशा में पड़ी हुई थी । उसने यह भी कथन किया कि कूरी ग्राम के नातेदार जीप लेकर आए थे जिस पर पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया । उसने अभियोजन वृत्तांत का भी समर्थन किया है कि पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए टेम्पो भी लाया गया था तथा टेम्पो ड्राइवर को अपीलार्थी सनोज बिंद [दांडिक अपील (डी.बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी] और बुच यादव जिसका मामला अलग कर दिया गया था क्योंकि उसने किशोर होने का दावा किया । उसने यह भी कथन किया कि जब उसने पीड़िता को देखा तो उसने उसके प्राइवेट भाग और मुंह और छाती पर दातों से कटा हुआ भाग देखा । उसने दोनों अपीलार्थियों को डोक में देखा था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी प्राइवेट, मुंह, नाक और स्तन और पीड़िता के हाथों से रक्त बह रहा था । उसे मिथ्या फंसाए जाने के बारे में सुझाव दिया गया था जिस बात से उसने इनकार किया ।

16. अभि. सा. 4 प्रकाश कुमार जो पाटीदार था और भाईसुर (पीड़िता के पति का बड़ा भाई) था । उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि जब वह पीड़िता के मकान पर गया तो उसने पीड़िता को बेहोशी ही हालत में देखा था और उसने उसके चेहरे पर क्षतियां भी देखीं थीं ।

17. अभि. सा. 5 डा. रेनू सिंह तारीख 7 जनवरी, 2012 को सदर अस्पताल, जहानाबाद में चिकित्सा अधिकारी के पद पर था और 12.22 बजे अपराह्न उसने पीड़िता की परीक्षा की और निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया :-

"(i) ऊंचाई 5 फीट 2 इंच, भार 49 किलोग्राम और 28 दांत ।

(ii) बाहरी क्षतियां - ऊपरी होंठ पर सूजन, ऊपरी होंठ पर कुछ कटा हुआ भाग, चेहरे पर कई छोटे कटाव, स्तन काफी बढ़े हुए थे और बाएं स्तन पर गुमटा, सहायक बाल मौजूद थे ।

(iii) आंतरिक परीक्षा - जंघास्थि के बाल मौजूद थे, योनिच्छद नहीं पाया गया था, योनि से रक्त बह रहा था, योनि के अन्दर दो अंगुलियां जा सकती थीं, योनिकस्राव पैथोलोजिकल परीक्षा के लिए गया था ।

(iv) पैथोलोजिक रिपोर्ट डा. अशोक कुमार द्वारा दी गई जिसके अनुसार -

सुक्राणु नहीं पाए गए

डी. बी. सी. मौजूद नहीं था

इपीथेलियल सैल बहुत कम मात्रा में थे

आर. बी. सी. विद्यमान नहीं था

राय - उपरोक्त शारीरिक और पैथोलोजिकल निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बलात्संग की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।"

18. अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि चिकित्सा रिपोर्ट उसके पेन से बनाई गई थी और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे

प्रदर्श के रूप में चिह्न से दिखाया गया था । निःसंदेह, अपनी रिपोर्ट अभि. सा. 5 ने अपनी राय अभिलिखित की थी कि बलात्संग की संभावना अस्वीकार नहीं की जा सकती, परन्तु प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके द्वारा बलात्संग किए जाने को इंगित करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी स्पष्ट किया है कि यद्यपि रिपोर्ट में बलात्संग की संभावना का अनुमान लगाया गया था परन्तु निष्कर्षों से निश्चित तौर पर बलात्संग किया जाना उपदर्शित होता है । इस प्रकार, मौखिक साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा सारभूत रूप से संपुष्टि हुई है ।

19. अन्वेषक अधिकारी अर्थात् मोहम्मद असलम अली जिसकी अभि. सा. 6 के रूप में परीक्षा की गई थी, उसने अभियोजन पक्षकथन का भी समर्थन किया । तारीख 7 जनवरी, 2012 को मोहम्मद असलम अली (अभि. सा. 6), किंजेर पुलिस थाना में भारसाधक अधिकारी के रूप में तैनात था । उसने अपने साक्ष्य में औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है, साबित की है और उसने विस्तृत रूप से इस बारे में वर्णन किया है जो कुछ घटनास्थल पर उसकी जानकारी में आया है । उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस बिंदू की ओर भी ध्यान दिलाया है कि घटना के स्थान पर घास और झाड़ियों को कुचला गया था जो स्थान घटना का स्थान था, उसने टूटी हुई चूड़ियों तथा एक जोड़े चप्पल का भी उल्लेख किया है । घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् उसने साक्षियों की परीक्षा की खासतौर पर चन्द्र देव राम (अभि. सा. 3), प्रकाश कुमार (अभि. सा. 4), चिंटू राम (अभि. सा. 2) हैं । तत्पश्चात्, तारीख 10 जनवरी, 2012 को साहेन्द्र यादव [दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी] को गिरफ्तार किया गया था जबकि उसने यह सूचना प्राप्त की थी कि तारीख 13 जनवरी, 2012 को अपीलार्थी सनोज बिंद [दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 663/2013 में अपीलार्थी] और बुच यादव (जिसका मामला अलग किया गया था) उसने न्यायालय में अभ्यर्पण किया था । उसने यह स्पष्ट किया है कि उसने फर्द बयान पर साक्ष्य के रूप में जितेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए थे परन्तु उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि चप्पल जो घटना

के स्थान पर पाए गए थे जितेन्द्र यादव के थे, उसका उपनाम साहेन्द्र यादव **उर्फ** नेता भी था [दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 747/2013 में अपीलार्थी] । अभि. सा. 6 अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य की परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि घटना का स्थान रौंदा जाना जानकारी में आया था और चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े भी वहां पर पाए गए थे ।

20. सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर अभियोजन पक्षकथन में किसी संदेह के प्रकट होने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है । सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् अपीलार्थियों से अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों और साक्ष्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया था । निःसंदेह, उन्होंने इनकार किया और मिथ्या रूप से फंसाए जाने का दावा किया, परन्तु प्रतिरक्षा के संबंध में अभिलेख पर कोई स्पष्ट सामग्री नहीं लाई गई थी जिससे कि ऐसी प्रतिरक्षा का अवलंब लिया जा सके । इसके प्रतिकूल साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों की दोषिता के बारे में और अपराध करने में वीभत्स और घृणित कार्य किए जाने पर जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध किया गया । तद्नुसार, हमने दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में कोई गलती नहीं पाई है ।

21. तद्नुसार, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा सेशन विचारण सं. 461/2012 (किंजेर पुलिस थाना मामला सं. 01/2012 से उद्भूत) में क्रमशः तारीख 23 मई, 2013 और 30 मई, 2013 को पारित किए गए दोषिसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है और दोनों पूर्वोक्त अपीलें खारिज की जाती हैं ।

22. इस निर्णय के प्रथम और अंतिम पृष्ठ की प्रति विद्वान् न्यायमित्र श्री अनिमेश कुमार मिश्रा और विद्वान् न्यायमित्र को पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा विहित की गई फीस का संदाय किए जाने पर उन्हें सौंपा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य/पा.

लक्ष्मी दामोदर चौहान

बनाम

बिहार राज्य

[1994 की दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 577]

तारीख 26 जून, 2019

न्यायमूर्ति हेमन्त कुमार श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की विश्वनीयता – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही हत्या की गई अतः अभियुक्त संदेह का फायदा पाकर दोषमुक्त किए जाने के दायी हैं ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि सच्चिदानंद चौहान (अभि. सा. 9) ने यह कथन करते हुए सदर अस्पताल के पुरुष सर्जिकल वार्ड में तारीख 20 मार्च, 1992 को 3.30 बजे के. हाट पुलिस थाना के सहायक उप निरीक्षक एस. एन. सिंह के समक्ष अपना फर्द बयान दिया था कि उसी दिन लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न उसके पिता रामेश्वर चौहान श्रमिकों को नियुक्त करने के पश्चात् वासखाल में अपने कृषि फार्म से लौट रहे थे तब अचानक अभिनंदन चौहान, लक्ष्मी चौहान, ब्रज नारायण चौहान, गणेश चौहान, संत कुमार चौहान और रघुवीर चौहान विभिन्न आयुध लाठीनुमा आयुध से सज्जित होकर उन्होंने उसके पिता को घेर लिया । ब्रज नारायण चौहान लाठी से लैस था, लक्ष्मी चौहान के पास फरसा था, गणेश चौहान गारहेल्स से लैस था जबकि अन्य व्यक्ति भिन्न-भिन्न आयुध भी ला रहे थे । नामित अभियुक्त व्यक्ति तथा 4-5 अन्य व्यक्तियों ने इत्तिलाकर्ता के पिता पर हमला किया । यह कथन किया गया है कि उस समय इत्तिलाकर्ता अपने कृषि खेत की ओर जा रहा था और कुछ दूरी पर अपने पिता के हमले को देखकर वह रुक

चौहान ने यह कथन किया कि पिता और पुत्र दोनों की हत्या की जाएगी । इस पर इत्तिलाकर्ता ने यह किया कि वह चिल्लाते हुए अपने घर की ओर दौड़ा । इसके पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्ति भाग गए । यह भी अभिकथन किया गया कि घटना के समय पर सह-ग्रामवासी चन्द्रशेखर चौहान, राजेन्द्र चौहान, सरबन प्रसाद चौहान और अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना देखी । यह अभिकथन किया गया है कि और अभियुक्त व्यक्तियों ने यह सोचा कि इत्तिलाकर्ता का पिता रामेश्वर चौहान की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए वे आगे बढ़े । आगे पहुंचने पर इत्तिलाकर्ता ने यह देखा कि उसके पिता का पूरा शरीर रक्त में डूबा हुआ है फिर भी वे सांस ले रहे थे । ग्रामवासियों की सहायता से उन्हें सदर अस्पताल पूर्णिया ले जाया गया था जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । यह अभिकथन किया गया कि इत्तिलाकर्ता और लक्ष्मी चौहान के बीच भूमि विवाद चल रहा था । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सुनियोजित षड्यंत्र और पूर्व-चिंतन करके लाठी के समान आयुध से उसके पिता पर हमला किया और उनकी हत्या की । इत्तिलाकर्ता के फर्दबयान के आधार पर सच्चिदानंद चौहान अभि. सा. 9 ने के. हाट पुलिस थाना में मामला सं. 155/1992 दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन दर्ज किया था और इसके पश्चात् औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध की गई थी । के. हाट पुलिस थाना के अन्तर्गत मरंग ओ. पी. सिंह से उप निरीक्षक ए. के. सिंह ने अन्वेषण का प्रभार लिया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित 34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया । सभी 6 अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित किया गया था । विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की और कुछ दस्तावेजों पर प्रदर्श भी डाले । अपीलार्थियों में से किसी ने भी अपने प्रतिरक्षा के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथापि, जब 6 अपीलार्थियों के कथन अभिलिखित किए गए थे तब उन्होंने अभियोजन पक्षकथन से

इनकार किया और भूमि संबंधी विवाद होने के कारण मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् और अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 5 से अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्यों का मुख्यतया अवलंब लेते हुए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध तथा दंडादिष्ट कर दिया गया जैसा कि ऊपर कथन किया गया है । अपीलार्थी ने उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने से और पक्षकारों के निवेदन करने पर यह भी प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष ने मुख्यतया इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 के साक्ष्य का अवलंब लिया जिसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का भी दावा किया और इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्षकथन को तीन अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभि. सा. 3, अभि. सा. 1, अभि. सा. 7 के साक्ष्य से समर्थन मिलता है । जहां तक इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 सच्चिदानंद चौहान का संबंध है यद्यपि उसने प्रारंभ में घटना देखे जाने का दावा किया परंतु उसके कथन में भी ऐसा दृष्टांत पर यह कथन किया कि जब वह कुछ दूरी से पहरेदारी कर रहा था तब लक्ष्मी चौहान ने उसकी और निर्दिष्ट करते हुए यह कहा कि दोनों पिता और पुत्र मृतक और अभि. सा. 9 की हत्या कर दी जाएगी और तब वह यह देखेगा कि कौन भूमि को जोतता है । अभि. सा. 9 ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह भयभीत होकर अपने घर की ओर दौड़ कर चला गया और घटनास्थल पर वापस लौटा, उसने देखा कि उस समय सभी अभियुक्त व्यक्ति भाग खड़े हुए थे । इस साक्षी ने इस बात का वृत्तांत सुनाया कि वह अपने आहत पिता को उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । उसने यह भी स्वीकार किया कि दोनों पक्षकारों के एक ही पूर्वज थे और उच्च न्यायालय में भूमि संबंधी विवाद लंबित था तथा भूमि विवाद दान विलेख के संपन्न होने के कारण हुआ था जो लगभग 4.45 एकड़ भूमि का क्षेत्र था जो उसकी दादी ने उसके पिता के पक्ष में किया था । इस साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि वह वास्तविक

घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभि. सा. 1 भुवनेश्वरी के अभिसाक्ष्य के बारे में यह भी सुस्पष्ट है कि इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 द्वारा प्रथम इत्तिलाकर्ता रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उसके नाम को नहीं दर्शाया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 3 में यह कथन किया है कि वह हल्ला सुनकर घटना के स्थान पर पहुंची परंतु जैसे ही वह पहुंची अभियुक्त व्यक्ति भाग खड़े हुए थे । इस प्रकार वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है । अभि. सा. 3 सरबन प्रसाद चौहान अभि. सा. 1 के दामाद का भाई है । उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा सं. 3 में यह कथन किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उसके घटनास्थल में पहुंचने के पूर्व भाग खड़े हुए थे । उसने फरसे से दो-तीन प्रहार करने, भाले से प्रहार करने और लाठी से प्रहार करने के बारे में स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है । उसके कथन के अतिरिक्त कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा अभियुक्त व्यक्ति भाग खड़े हुए थे । न्यायालय की यह राय है कि अभि. सा. 3 इस कारण से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है कि उसके द्वारा किए गए हमले का वर्णन कि अभि. सा. 8 डा. डी. के. पटेल के साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है जिन्होंने शवपरीक्षण परीक्षा की थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-1) के परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि क्षति सं. 4 को छोड़कर 6 क्षतियों में से जो शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर नहीं थी । क्षति सं. 4 वक्ष के दाहिने निचले भाग पर गुमटे के रूप में थी । इसके अतिरिक्त न तो शवपरीक्षण रिपोर्ट और न डाक्टर अभि. सा. 8 का अभिसाक्ष्य में अभिसाक्ष्य में आयुधों की प्रकृति के बारे में उल्लेख किया गया है जिनसे क्षति कारित हो सकी जो मृतका के शरीर पर पाई गई । अभिलेख के परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि मामले का अन्वेषक अधिकारी उप निरीक्षक ए. के. सिंह की अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई है जो प्रतिरक्षा के मामले के गहरे रूप से प्रतिकूल जाता है । परीक्षा न करने के परिणामस्वरूप साक्षियों के कथनों में विभेद और अपने मामले में सुधार करने जिसमें घटना के समय, स्थान और रीति को भी सिद्ध नहीं किया गया है जिस बात को अन्वेषक अधिकारी के समक्ष भी नहीं रखा जा सका । इस प्रकार अत्यधिक प्रतिकूल बात प्रकट हुई है और

परिणामस्वरूप जिसका फायदा प्रतिरक्षा पक्ष को जाता है । कथित तथ्यों से और अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से जिसमें ऊपर विचार किया गया है यह सुस्पष्ट होता है कि पक्षकारों के बीच भूमि संबंधी विवाद स्वीकार किया गया है, अभियोजन पक्ष की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है, मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अत्यधिक विचलन हुआ है और चार अभियोजन साक्षियों में से अर्थात. अभि. सा. 9, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जैसा कि दावा किया गया है । इन सभी बातों का फायदा मामले में अभियुक्त अपीलार्थियों के पक्ष में जाता है, तद्नुसार अपीलार्थियों को संदेह का फायदा दिए जाने पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों परे आरोपों को साबित करने में समर्थ नहीं है । इस प्रकार, यह एक समुचित मामला है जहां सभी अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं । (पैरा 19, 20, 21, 22, 24 और 25)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1994 की दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 577.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री अनुकीर्ति जयपुरियार, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री दुर्गेश नंदन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने दिया ।

न्या. सारथी – उपरोक्त तीनों दांडिक अपीलें 1993 के सेशन मामला सं. 133 में विद्वान् पंचम अपर सेशन न्यायाधीश पुरनया द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 1994 को पारित की गई दोषसिद्धि के निर्णय और 6 अक्तूबर, 1994 को पारित दंड के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके अधीन विद्वान् अपर सेशन न्यायधीश (इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) ने लक्ष्मी चौहान [दांडिक अपील (डी. बी. सं. 577/1994 में अपीलार्थी सं. 1], उमानंद चौहान **उर्फ** अभिनंदन चौहान [दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 577/1994 में अपीलार्थी सं. 2], गणेश चौहान (दांडिक अपील डी. बी. सं. 584/1994 में एकमात्र

अपीलार्थी), रघुवीर चौहान (दांडिक अपील डी. बी. सं. 588/1994 में अपीलार्थी सं. 1), ब्रज नारायण चौहान **उर्फ** विजयी चौहान (दांडिक अपील डी. बी. सं. 588/1994) और संतु चौहान **उर्फ** संत कुमार चौहान (दांडिक अपील डी. बी. सं. 588/1994 में अपीलार्थी सं. 3) इन सभी को दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

2. यहां पर यह कथन किया जा सकता है कि क्योंकि सभी तीनों अपीलें 1993 के सेशन मामला सं. 133 में पंचम अपर सेशन न्यायाधीश पुर्णिया द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 1994 को पारित किए गए दोषिद्धि के एक ही निर्णय और तारीख 6 अक्तूबर, 1994 को पारित किए गए दंडादेश से उद्भूत हुई हैं । इस प्रकार इन सभी तीनों अपीलों को एक साथ सुना गया था तथा एक ही निर्णय द्वारा इनका विनिश्चय किया जा रहा है ।

3. तारीख 29 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा सुश्री अनुकीर्ति जयपुरियार विद्वान् अधिवक्ता को अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र नियुक्त किया गया था । हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् न्यायमित्र तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना ।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि सच्चिदानंद चौहान (अभि. सा. 9) ने यह कथन करते हुए सदर अस्पताल के पुरुष सर्जिकल वार्ड में तारीख 20 मार्च, 1992 को 3.30 बजे के. हाट पुलिस थाना के सहायक उप निरीक्षक एस. एन. सिंह के समक्ष अपना फर्द बयान दिया था कि उसी दिन लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न उसके पिता रामेश्वर चौहान श्रमिकों को नियुक्त करने के पश्चात् वासखाल में अपने कृषि फार्म से लौट रहे थे तब अचानक अभिनंदन चौहान, लक्ष्मी चौहान, ब्रज नारायण चौहान, गणेश चौहान, संत कुमार चौहान और रघुवीर चौहान विभिन्न आयुध लाठीनुमा आयुध से सज्जित होकर उन्होंने उसके पिता को घेर लिया । ब्रज नारायण चौहान लाठी से लैस था, लक्ष्मी चौहान के पास फरसा था, गणेश चौहान गारहेल्स से लैस था जबकि

अन्य व्यक्ति भिन्न-भिन्न आयुध भी ला रहे थे । नामित अभियुक्त व्यक्ति तथा 4-5 अन्य व्यक्तियों ने इत्तिलाकर्ता के पिता पर हमला किया । यह कथन किया गया है कि उस समय इत्तिलाकर्ता अपने कृषि खेत की ओर जा रहा था और कुछ दूरी पर अपने पिता के हमले को देखकर वह रुक गया । यह अभिकथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता को देखकर लक्ष्मी चौहान ने यह कथन किया कि पिता और पुत्र दोनों की हत्या की जाएगी । इस पर इत्तिलाकर्ता ने यह किया कि वह चिल्लाते हुए अपने घर की ओर दौड़ा । इसके पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्ति भाग गए । यह भी अभिकथन किया गया कि घटना के समय पर सह-ग्रामवासी चन्द्रशेखर चौहान, राजेन्द्र चौहान, सरबन प्रसाद चौहान और अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना देखी । यह अभिकथन किया गया है कि और अभियुक्त व्यक्तियों ने यह सोचा कि इत्तिलाकर्ता का पिता रामेश्वर चौहान की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए वे आगे बढ़े । आगे पहुंचने पर इत्तिलाकर्ता ने यह देखा कि उसके पिता का पूरा शरीर रक्त में डूबा हुआ है फिर भी वे सांस ले रहे थे । ग्रामवासियों की सहायता से उन्हें सदर अस्पताल पुर्णिया ले जाया गया था जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । यह अभिकथन किया गया कि इत्तिलाकर्ता और लक्ष्मी चौहान के बीच भूमि विवाद चल रहा था । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सुनियोजित षड्यंत्र और पूर्व-चिंतन करके लाठी के समान आयुध से उसके पिता पर हमला किया और उनकी हत्या की ।

5. इत्तिलाकर्ता के फर्दबयान के आधार पर सच्चिदानंद चौहान अभि. सा. 9 ने के. हाट पुलिस थाना में मामला सं. 155/1992 दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन दर्ज किया था और इसके पश्चात् औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध की गई थी ।

6. के. हाट पुलिस थाना के अन्तर्गत मरंग ओ. पी. सिंह से उप निरीक्षक ए. के. सिंह ने अन्वेषण का प्रभार लिया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के

साथ पठित 34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया । सभी 6 अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित किया गया था ।

7. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की और कुछ दस्तावेजों पर प्रदर्श भी डाले । अपीलार्थियों में से किसी ने भी अपने प्रतिरक्षा के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथापि, जब 6 अपीलार्थियों के कथन अभिलिखित किए गए थे तब उन्होंने अभ्योजन पक्षकथन से इनकार किया और भूमि संबंधी विवाद होने के कारण मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् और अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 5 से अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्यों का मुख्यतया अवलंब लेते हुए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध तथा दंडादिष्ट कर दिया गया जैसा कि ऊपर कथन किया गया है ।

8. सभी अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होकर विद्वान् न्यायमित्र ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश को आक्षेपित करते हुए यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करने में गलती की है । विद्वान् न्यायमित्र के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति तथा इत्तिलाकर्ता एक ही कुटुंब से संबंधित हैं और उनके एक ही पूर्वज हैं । यह भी दलील दी गई कि इत्तिलाकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच भूमि संबंधी विवाद लंबित है जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और यहां पर जो कुछ भी हुआ वह विवादित भूमि के लंबित रहने के दौरान हुआ है कि अपीलार्थियों को इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । आगे यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 9 के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर जिसे अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 द्वारा समर्थन मिला है । उससे यह प्रकट होता है कि चार अभि. सा. 1 अर्थात् अभि. सा. 3, अभि. सा. 7 या इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 में से कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । यह दलील दी गई कि चिकित्सा और मौखिक साक्ष्य के बीच गंभीर भिन्नता है । अभियोजन पक्ष की ओर से

किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई और अन्वेषक अधिकारी की भी परीक्षा नहीं की गई । इसलिए, प्रतिरक्षा पक्ष के मामले में गंभीर प्रतिकूलता बरती गई है क्योंकि घटना के स्थान को भी सिद्ध नहीं किया गया है ।

9. दूसरी ओर विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि विचारण के दौरान न केवल अभि. सा. 9 इत्तिलाकर्ता बल्कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं, उन्होंने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । सभी चारों अभियोजन साक्षियों के इत्तिलाकर्ता के पिता पर हमला करते देखा था और उनके साक्ष्य का अभि. सा. 8 डाक्टर द्वारा समर्थन किया गया है जिन्होंने शवपरीक्षण का कार्य किया था । यह भी दलील दी गई थी कि इत्तिलाकर्ता के बारे में मृतका और इत्तिलाकर्ता के पिता के पक्ष में दान-विलेख का निष्पादन किया था जो घटना का कारण बनी थी तथा अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक घटना का समय, स्थान और रीति को साबित किया था इसलिए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं था ।

10. पक्षकारों की परस्पर दलीलों की सुनवाई करने के पश्चात् मैंने निचले न्यायालय के अभिलेखों के साथ अभिलेख का भी परिशीलन किया । साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि कुल 10 साक्षियों की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराई गई थी तथा कई दस्तावेजों को प्रदर्शित भी किया गया था जिसमें शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-1), फर्दबयान प्रदर्श-3 दान-विलेख की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श-11, के. हाट पुलिस थाना मामला सं. 218/1987 में आरोप पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (प्रदर्श-15) के. हाट पुलिस थाना मामला सं. 218/2018 में प्रथम इत्तिलाकर्ता की अभिप्रमाणित प्रति (प्रदर्श-16) प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई थी । दस अभियोजन साक्षियों में से अभि. सा. 10 सच्चिदानंद चौहान जो के. हाट पुलिस थाना मामला सं. 55/1992 का इत्तिलाकर्ता है तथा मृतक रामेश्वर चौहान के पुत्र की भी परीक्षा नहीं की गई थी । इस साक्षी के

अभिसाक्ष्य के बारे में अभि. सा. 1 भुवनेश्वरी देवी, अभि. सा. 3 सरबन प्रसाद चौहान और अभि. सा. 3 भोले प्रसाद द्वारा समर्थन किया जाना कहा गया है । उनमें से सभी ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया गया है ।

11. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त अभि. सा. 2 राजेन्द्र चौहान और अभि. सा. 4 नवल किशोर चौहान दोनों साक्षी थे । अभि. सा. 5 बालकृष्ण चौहान जो अभि. सा. 2 का 10 वर्ष का अप्राप्तवय पुत्र था । अभि. सा. 6 उपेन्द्र कुमार चौहान अनुश्रुत साक्षी है और अभि. सा. 1 का पुत्र है । अभि. सा. 8 डाक्टर डी. के. पटेल जिन्होंने मृतक रामेश्वर चौहान के शव का शवपरीक्षण किया था । अभि. सा. 10 विमल कुमार मंडल औपचारिक साक्षी था । यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि इस मामले के अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई थी ।

12. अभि. सा. 9 सच्चिदानंद चौहान जो इत्तिलाकर्ता है, उसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करते हुए अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि जब वह अपने घर से फार्म की ओर जा रहा था तो उसने अभियुक्त व्यक्तियों को कई तरह के आयुधों से सुसज्जित देखा । ये वहां पहुंचे और उसके पिता को चारों ओर से घेर लिया । लक्ष्मी प्रसाद, गणेश के पास गारहेल था, संत कुमार भाला लेकर चल रहा था जबकि अन्य लोग लाठी लेकर चल रहे थे । उन्होंने उसके पिता पर हमला किया । यह कथन किया गया है कि लक्ष्मी चौहान ने अभि. सा. 9 को देखकर यह कहा कि दोनों पिता और पुत्र की हत्या की जाएगी और तब उन्होंने इस बारे में भी देखना चाहा कि किसने भूमि को जोता है । अभि. सा. 9 द्वारा यह कथन किया गया था कि भय के मारे वह अपने मकान की ओर अग्रसर हुआ और अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर लौटा । उस समय अभियुक्त व्यक्ति भाग गए थे । उसने अपने आहत पिता को उठाया जो सांस ले रहे थे परन्तु बेहोश थे और सदर अस्पताल में थे जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी । अभि. सा. 9 द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया कि लक्ष्मी चौहान अभिनंदन चौहान के बीच भूमि संबंधी विवाद था जहां पर वह घटना से पूर्व जा रहे थे । यह भी कथन किया गया कि अभि.

सा. 9 के दादा अर्थात् सुदामा चौहान के दो पुत्र थे अर्थात् दामोदर चौहान और रामेश्वर चौहान (मृतक) । अभियुक्त लक्ष्मी चौहान, ओमनंद चौहान **उर्फ** अभिनंदन चौहान । दोनों दामोदर चौहान के पुत्र हैं । दूसरी ओर अभि. सा. 9 रामेश्वर चौहान (मृतक) का पुत्र है । अभि. सा. 9 द्वारा यह भी अभिकथन किया गया था कि लंबित भूमि विवाद के संबंध में अभि. सा. 9 के पिता ने उच्च न्यायालय में सी. डब्ल्यू. जे. सी. 1508/1988 फाइल किया था जिसमें लक्ष्मी चौहान अभिनंदन चौहान प्रत्यर्थी थे । यह भी कथन किया गया कि साक्षियों से लाभ लेने के लिए विरोधी याचिका अभि. सा. 9 द्वारा फाइल की गई थी । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि विवाद का कारण उसकी दादी द्वारा दान-विलेख का निष्पादन किया जाना था जिसके द्वारा तारीख 10 अक्तूबर, 1985 को उसके पिता के नाम 4.5 एकड़ क्षेत्र नाप की भूमि दान में दी गई थी । यह भी कथन किया गया कि दान दी गई संपत्ति के संबंध में चकबंदी मामला उच्च न्यायालय में लंबित विवाद की विषयवस्तु थी । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 में यह कथन किया है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति उसकी ओर आगे नहीं बढ़ा परंतु लक्ष्मी चौहान ने उसे देखकर यह कहा कि पिता और पुत्र दोनों की हत्या की जएगी । धमकी के परिणामस्वरूप अभि. सा. 9 शिथिल पड़ गया था और अपने घर की ओर दौड़ कर चला गया । वह शीघ्र ही घटनास्थल पर वापस लौटा । पैरा 17 में उसने यह अभिकथन किया है कि ग्राम से लौटते हुए घटनास्थल पर उसने किसी अभियुक्त व्यक्ति को नहीं देखा ।

13. भुवनेश्वरी देवी अभि. सा. 1 जो मृतका की भूमि में श्रमिक के रूप में कार्य करती थी । उसने घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का स्वयं दावा किया है । उसने यह कथन किया है कि वह खेत में कार्य कर रही थी और हल्ला सुनकर वह उस स्थान की ओर दौड़ी जहां हमला हुआ था । लक्ष्मी फरसा ला रहा था, संतु के पास भाला था, गणेश के पास गरहैल था जबकि बाकी तीन अभियुक्त अपने हाथ में लाठी ला रहे थे । रामेश्वर चौहान हमले के परिणामस्वरूप नीचे गिर गया था और वह बेहोश हो गया । यह भी कथन किया गया है कि उसके अतिरिक्त

करपानंद चौहान, भोला चौहान, राजेन्द्र चौहान (अभि. सा. 2) सरबन चौहान, प्रसाद चौहान और सच्चिदानंद चौहान (अभि. सा. 9) भी वहां पहुंचे । रामेश्वर चौहान को अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसका पुत्र उपेन्द्र चौहान मामले में अभियोजन साक्षी है । उसने आगे भी यह कथन किया कि उसकी पुत्री का सरबन चौहान अभि. सा. 3 के भाई सीताराम से विवाह हुआ था । उसने यह कथन किया कि उसने कभी भी उक्त भूमि से पूर्ववर्ती अवसर पर कभी भी मटर नहीं तोड़ी थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंचे । उस समय वह भी वहां पहुंची, हमलावर घटनास्थल से भाग गए थे । उसने यह कथन किया कि रामेश्वर चौहान की पत्नी उसके पास पहुंची थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में यह कथन किया है कि वह यह नहीं कह सकती कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति पिस्तौल ला रहा था या नहीं । उसके पश्चात् यह भी कथन किया गया कि उसने पुलिस को यह बताया था कि संतु के हाथ में पिस्तौल थी ।

14. अभि. सा. 3 सरबन प्रसाद चौहान अभि. सा. 1 भुवनेश्वरी के दामाद का भाई है । अभि. सा. 3 ने यह अभिकथन किया है कि हल्ला सुनकर उसने रामेश्वर पर फरसे से हमला करते हुए देखा । उसके पश्चात् यह कथन किया गया है कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उस पर लाठी, भाला, गारहैल और फरसे से हमला किया गया था । यह कथन किया गया है कि लक्ष्मी फरसा लेकर आया था और गणेश के पास गारहैल था जबकि अन्य लोग लाठी लेकर आ रहे थे । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि घटनास्थल पर उनके पहुंचते ही अभियुक्त व्यक्ति भाग गए । वे रामेश्वर को अस्पताल ले गए जहां उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसके पिता का कथन उसकी मौजूदगी में अभिलिखित नहीं किया गया था । घटना से पूर्व लक्ष्मी की उनके साथ शत्रुता थी । यह कथन किया गया कि भूमि जहां अभि. सा. 3 जा रहा था, उसके पिता से संबंधित

थी । यह कथन किया गया कि घटना के स्थान पर 30-40 व्यक्ति आए थे । उसने यह कथन किया कि उसने लक्ष्मी को फरसा से हमला करते हुए देखा था जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने भाला से हमला किया और गंभीर हमले के परिणामस्वरूप इत्तिलाकर्ता के पिता गंभीर रूप से आहत हुए थे । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि जब वह वहां पहुंचा, रामेश्वर भूमि पर नीचे पड़ा हुआ था ।

15. अभि. सा. 7 भोला कुमार चौहान अभि. सा. 2 का पुत्र है और मृतक रामेश्वर कुमार चौहान का सह-ग्रामवासी है । अभि. सा. 7 ने यह अभिकथन किया है कि वह हल्ला सुनकर घटनास्थल की ओर गया और उसने लक्ष्मी कुमार चौहान, ओम नंद चौहान, गणेश चौहान, ब्रज नारायण चौहान, संतु चौहान और रघुवीर चौहान को देखा जो तरह-तरह के आयुध लाठी, फरसा, गारहैल और भाला से लैस थे और वे दक्षिण दिशा की ओर दौड़ कर चले गए । उसने यह कथन किया कि भीम मंजई की भूमि पर जाते हुए उसने रामेश्वर चौहान को गंभीर रूप से आहत दशा में देखा था । उसे पुरनया अस्पताल ले जाया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अपने कृषि खेत से आते हुए उसने अभियुक्त व्यक्तियों को दक्षिण दिशा की ओर दौड़ते हुए देखा । उसने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् 3-4 व्यक्तियों अर्थात् अभि. सा. 5, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 1, अभि. सा. 4 को देखा ।

16. जैसा कि ऊपर कथन किया गया है कि साक्षी राजेन्द्र चौहान अभि. सा. 2 और नवल चौहान सिंह अभि. सा. 4 को अभियोजन की ओर से पेश किया गया था । स्वीकृततः अभि. सा. 6 उपेन्द्र चौहान अनुश्रुत साक्षी है । विमल कुमार मंडल अभि. सा. 10 एक औपचारिक साक्षी है जिसने इनकी पहचान की । के. हाट पुलिस थाना मामला सं. 155/1992 केस डायरी के पैरा सं. 1 से 87 दरोगा जय सिंह के हस्तलेख में थीं, केस डायरी के पैरा सं. 5, 88 से 107 दरोगा चन्द्र कुमार के हस्तलेख में था और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट सहायक उप निरीक्षक एस. एन. सिंह के हाथों से होना बताया गया । उसने यह कथन किया कि उसने पुलिस थाने में उन तीनों के साथ कार्य किया और उनकी हस्तलेख की पहचान भी की है ।

17. अभि. सा. 5 बालकृष्णन चौधरी जो अभि. सा. 2 का पुत्र है और अभि. सा. 7 का भाई है वह 10 वर्ष आयु का लड़का है । इस साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य देने के लिए इस अप्राप्तवय साक्षी की समर्थता की परीक्षा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था (और सच्चाई बताने के लिए शपथ की परीक्षा करने के लिए सिद्धांतों के अनुसार किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बालक की सक्षमता अभिनिश्चित और सत्यापित की जानी चाहिए । मामले के अभिलेखों से यह भी प्रकट हुआ है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने ऐसी कोई परीक्षा नहीं की, हम उसके अभिसाक्ष्य के ब्यौरे में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं ।

18. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त केवल बाकी अभियोजन साक्षी अभि. सा. 8 डा. जी. के. पटेल है जो पुरनया सदर अस्पताल में सिविल सहायक सर्जन के पद पर तैनात था और उसने रामेश्वर चौहान के शव का शवपरीक्षण किया । उसने यह कथन किया कि रामेश्वर चौहान को तारीख 20 मार्च, 1992 को 1.00 बजे अपराह्न सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसी दिन या 1.35 बजे अपराह्न उपचार करते हुए उसकी मृत्यु हो गई तथा उसके पश्चात् अभि. सा. 8 ने रोगी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था और इसके पश्चात् उसे डाक्टर एन. के. सिंह (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के अधीन दूसरे वार्ड में भेज दिया गया था । उसने यह भी कथन किया कि रोगी होशोहवास में था । उसने शवपरीक्षण की परीक्षा की और उसकी राय में मृत्यु का कारण शव-परीक्षण रिपोर्ट में क्षतियों से आघात पहुंचने के कारण हुई थी ।

19. मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने से और पक्षकारों के निवेदन करने पर यह भी प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष ने मुख्यतया इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 के साक्ष्य का अवलंब लिया जिसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का भी दावा किया और इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्षकथन को तीन अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभि. सा. 3, अभि. सा. 1, अभि. सा. 7 के साक्ष्य से समर्थन मिलता है ।

20. जहां तक इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 सच्चिदानंद चौहान का संबंध है यद्यपि उसने प्रारंभ में घटना देखे जाने का दावा किया परंतु

उसके कथन में भी ऐसा दृष्टांत पर यह कथन किया कि जब वह कुछ दूरी से पहरेदारी कर रहा था तब लक्ष्मी चौहान ने उसकी ओर निर्दिष्ट करते हुए यह कहा कि दोनों पिता और पुत्र अर्थात् मृतक और अभि. सा. 9 की हत्या कर दी जाएगी और तब वह देखेगा कि कौन भूमि को जोतता है । अभि. सा. 9 ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह भयभीत होकर अपने घर की ओर दौड़ कर चला गया और घटनास्थल पर वापस लौटा, उसने देखा कि उस समय सभी अभियुक्त व्यक्ति भाग खड़े हुए थे । इस साक्षी ने इस बात का वृत्तांत सुनाया कि वह अपने आहत पिता को उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । उसने यह भी स्वीकार किया कि दोनों पक्षकारों के एक ही पूर्वज थे और उच्च न्यायालय में भूमि संबंधी विवाद लंबित था तथा भूमि विवाद दान विलेख के संपन्न होने के कारण हुआ था जो लगभग 4.45 एकड़ भूमि का क्षेत्र था जो उसकी दादी ने उसके पिता के पक्ष में किया था । इस साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि वह वास्तविक घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

21. अभि. सा. 1 भुवनेश्वरी के अभिसाक्ष्य के बारे में यह भी सुस्पष्ट है कि इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 9 द्वारा प्रथम इत्तिलाकर्ता रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उसके नाम को नहीं दर्शाया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 3 में यह कथन किया है कि वह हल्ला सुनकर घटना के स्थान पर पहुंची परंतु जैसे ही वह पहुंची अभियुक्त व्यक्ति भाग खड़े हुए थो । इस प्रकार वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है ।

22. अभि. सा. 3 सरबन प्रसाद चौहान अभि. सा. 1 के दामाद का भाई है । उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा सं. 3 में यह कथन किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उसके घटनास्थल में पहुंचने के पूर्व भाग खड़े हुए थे । उसने फरसे से दो-तीन प्रहार करने, भाले से प्रहार करने और लाठी से प्रहार करने के बारे में स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है । उसके कथन के अतिरिक्त कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा अभियुक्त व्यक्ति भाग खड़े हुए थे । हमारी यह राय है कि अभि. सा. 3 इस कारण से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है कि उसके द्वारा किए गए हमले का वर्णन कि अभि. सा. 8 डा. डी. के. पटेल के साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है जिन्होंने शव-

परीक्षण परीक्षा की थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-1) के परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि क्षति सं. 4 को छोड़कर 6 क्षतियों में से जो शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर नहीं थीं । क्षति सं. 4 वक्ष के दाहिने निचले भाग पर गुमटे के रूप में थी । इसके अतिरिक्त न तो शवपरीक्षण रिपोर्ट और न डाक्टर अभि. सा. 8 का अभिसाक्ष्य में अभिसाक्ष्य में आयुधों की प्रकृति के बारे में उल्लेख किया गया है जिनसे क्षति कारित हो सकी जो मृतका के शरीर पर पाई गई ।

23. अभि. सा. 7 भोले कुमार के साक्ष्य के बारे में यह कथन किया गया है कि उसने स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि जैसे ही वह अपनी कृषि भूमि से बाहर आया, उसने अभियुक्त व्यक्ति को भागते हुए देखा । इस प्रकार उसने सुस्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि उसने वास्तविक घटना को नहीं देखा और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

24. अभिलेख के परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि मामले का अन्वेषक अधिकारी उप निरीक्षक ए. के. सिंह की अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई है जो प्रतिरक्षा के मामले के गहरे रूप से प्रतिकूल जाता है । परीक्षा न करने के परिणामस्वरूप साक्षियों के कथनों में विभेद और अपने मामले में सुधार करने जिसमें घटना के समय, स्थान और रीति को भी सिद्ध नहीं किया गया है जिस बात को अन्वेषक अधिकारी के समक्ष भी नहीं रखा जा सका । इस प्रकार अत्यधिक प्रतिकूल बात प्रकट हुई है और परिणामस्वरूप जिसका फायदा प्रतिरक्षा पक्ष को जाता है ।

25. कथित तथ्यों से और अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से जिसमें ऊपर विचार किया गया है यह सुस्पष्ट होता है कि पक्षकारों के बीच भूमि संबंधी विवाद स्वीकार किया गया है, अभियोजन पक्ष की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है, मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अत्यधिक विचलन हुआ है और चार अभियोजन साक्षियों में से अर्थात् अभि. सा. 9, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जैसा कि दावा किया गया है । इन सभी बातों का फायदा मामले में अभियुक्त अपीलार्थियों के पक्ष में जाता है, तद्नुसार अपीलार्थियों को संदेह का फायदा दिया जाने पर यह

अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों परे आरोपों को साबित करने में समर्थ नहीं है । इस प्रकार, यह एक समुचित मामला है जहां सभी अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

26. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा मैं इन सभी तीनों अपीलों को मंजूर करता हूं और तारीख 5 अक्तूबर, 1994 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा तारीख 6 अक्तूबर, 1994 को दंडादेश का आदेश जिन्हें 6 अपीलार्थियों अर्थात् लक्ष्मी चौहान, ओमनंद चौहान, गणेश चौहान, रघुवीर चौहान, ब्रज नारायण चौहान **उर्फ** विजय चौहान और संतु चौहान **उर्फ** संत कुमार चौहान के विरुद्ध सेशन मामला सं. 133/1993 वाले मामले में पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश को अपास्त किया जाता है । तद्नुसार सभी कथित अपीलार्थियों को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर हैं इसलिए उन्हें उनके जमानत बंध-पत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है ।

27. सभी तीनों अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

28. मैं विद्वान् न्यायमित्र सुश्री अनुकीर्ति जया पुरियार अधिवक्ता द्वारा दी गई सहायता का मूल्यांकन करता हूं और मैं यह उचित समझता हूं कि विधिक सेवा समिति उच्च न्यायालय पटना को यह निदेश देता हूं कि सुश्री अनुकीर्ति जयपुरियार को 2,000/- रुपए ससम्मान के साथ संदाय करना सुनिश्चित करें ।

29. इस निर्णय का प्रथम और अंतिम पृष्ठ की प्रति सुश्री अनुकीर्ति जयपुरियार विद्वान् न्यायमित्र को सौंपा जाए, ताकि वह इस न्यायालय के निदेश के अनुसार ऊपर कथित प्राधिकारी के समक्ष दावा कर सके ।

30. मैं हेमन्त कुमार श्रीवास्तव न्यायमूर्ति से सहमत हूं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य/पा.

गीताबाई

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2012 की दांडिक अपील सं. 868)

तारीख 20 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – दहेज मृत्यु – मृत्युकालिक कथन – मृतका की मृत्यु दहन क्षतियों के कारण विवाह के डेढ़ वर्ष पश्चात् हुई, मृतका ने पहले मृत्युकालिक कथन में यह कहा कि उसकी मृत्यु अचानक मिट्टी का तेल गिरने से आग लगने के कारण हुई जबकि दूसरे मृत्युकालिक कथन में उसने यह कहा कि उसके पति और ससुराल वालों ने आग लगाकर उसे जलाया – पहला मृत्युकालिक कथन आरोप पत्र के साथ पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया और दूसरा मृत्युकालिक कथन भी विश्वसनीय न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

स्वीकृतत:, मंजू **उर्फ** नंदिनी का तारीख 4 मई, 2008 को रितेश के साथ विवाह हुआ था । विवाह के डेढ़ वर्ष पश्चात् तारीख 29 नवंबर, 2009 को लगभग 11.00 बजे दोपहर में अपने वैवाहिक गृह पर दाह क्षतियां प्राप्त की थीं और वह हमीदाई अस्पताल भोपाल पर पहुंची थी । बाद में उसे एल. बी. एस. अस्पताल भोपाल पर अंतरित कर दिया गया था जहां तारीख 9 दिसंबर, 2009 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । दाह क्षतियां पहुंचने के पश्चात् जब उसे (मृतका) हमीदिया अस्पताल भोपाल पर ले गए थे तब उसके माता-पिता, भाई, बहन और अन्य नातेदार भी वहां पर पहुंचे । उसके गंभीर हालात को देखकर उसे एल. बी. एस. अस्पताल भोपाल पर अंतरित किया गया था । डाक्टर प्रदीप बिलोरे जो एल. बी. एस. अस्पताल पर नियुक्त थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी । पुलिस के अनुरोध पर नायब तहसीलदार बजरंग बहादुर

(प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने उसी दिन अर्थात् तारीख 29 नवंबर, 2009 को 4.05 बजे उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श घ-5) अभिलिखित किया था । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में यह कहा है कि गैस स्टोव ऊपर रखा हुआ मिट्टी के तेल के कैन के दुर्घटनावश गिरने से उसे आग पकड़ी और क्षतियां पहुंची । अगले दिन अर्थात् 30 नवंबर, 2009 को उसका द्वितीय मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी/21, 10.25 बजे अभिलिखित किया गया था । दूसरे मृत्युकालिक कथन में उसने अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथन किया कि उसकी सास द्वारा मिट्टी का तेल छिड़कने के पश्चात् उसके देवर ने उसे आग लगाई थी । अपीलार्थी हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) के एक पड़ोसी सहित माता-पिता, भाई, बहन और अन्य ने भी कतिपय अभिकथन किए हैं कि मृतका अपीलार्थियों द्वारा की गई दहेज की मांग को पूरा न कर पाने के कारण उससे क्रूरता बरती गई थी । एल. बी. एस. अस्पताल से प्राप्त की गई सूचना को रोजनामचा सन्हा सं. 2309 (प्रदर्श पी-6) रजिस्ट्रीकृत किया गया था । मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् धारा 174 के अधीन मर्ग सं. 1/09 पुलिस थाना शाहजहानबाद भोपाल में दर्ज की गई थी । मृतका के बाल अस्पताल से प्राप्त किए गए थे जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-7 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर नोटिस जारी करके साक्षियों को बुलाया, और पंचनामा लाश पी/4 तैयार किया और डाक्टरों से प्रार्थना की गई कि वे शवपरीक्षण का कार्य करें तथा उन्होंने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 और राय प्राप्त की तथा मृतका के शव (प्रदर्श पी/15) को उसके देवर आशीष के सुपुर्द किया गया जहां पर आशीष मृतका के पिता और भाई के समक्ष मौजूद था क्योंकि घटना पुलिस कोतवाली राजगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित है । सभी व्यक्तियों को पुलिस कोतवाली राजगढ़ में भेजा गया था । उसी समय पुलिस कोतवाली राजगढ़ ने मृतका के भाई से घटना की सूचना भी प्राप्त की । थाना गृह अधिकारी के अनुदेश पर इस सूचना को तारीख 30 नवंबर, 2009 को 10.04 बजे रोजनामचा सन्हा सं. 1587 में दर्ज किया गया था तथा घटना के स्थान को मुहरबंद किया गया था । पुलिस थाना शाहजहानबाद से कागजात प्राप्त करने के पश्चात् मर्ग सं. 26/2009 (प्रदर्श पी/9) दर्ज की गई थी । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और

घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी/3 तैयार किया । कई वस्तुओं को प्रदर्श पी/2 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । पुलिस ने अंगुलियों के चिह्न भी लिए थे और अपीलार्थी के फिंगर प्रिंट के नमूना (प्रदर्श पी/1) भी प्राप्त किए गए थे । संयोग से अंगुलि चिह्न के नमूने और अन्वेषण के दौरान अभिगृहीत वस्तुएं तारीख 10 जून, 2010 के पत्र (प्रदर्श पी/10 और पी/11) के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर भेजे गए । विश्लेषण के पश्चात् फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) प्रस्तुत की । उन्होंने यह राय दी है कि अपीलार्थी के घर से अभिगृहीत किए गए मिट्टी के तेल का कैन के निचली सतह पर संयोग से अंगुलियों के चिह्न के निशान पाए गए थे जिनका गीताबाई के अंगुलियों के चिह्न से मिलान किया गया था । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया था, देखिए गिरफ्तारी का ज्ञापन प्रदर्श पी-18 से प्रदर्श पी-20 । पुलिस ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अन्वेषण का कार्य पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया था । अपीलार्थियों को आरोपित करके उनका विचारण किया गया और उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । मृतका के पति, सास और देवर द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील की । उक्त न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मृतका ने प्रथम मृत्युकालिक कथन में यह कथन किया है कि गैस स्टोव के ऊपर रखे हुए मिट्टी के तेल के गिरने की वजह से दुर्घटनावश दुर्घटना घटी थी, उसे आग पकड़ गई तथा क्षतियां पहुंचीं । इस प्रकार, उसने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन नहीं किया है और यह कथन किया है कि उसे दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी । जबकि पश्चात्वर्ती द्वितीय मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-21 में उसने यह अभिकथन किया है कि उसके पति ने मोटरसाइकिल की मांग की थी और उसकी पिटाई की थी । घटना की तारीख को उसके पति ने भी उसकी पिटाई की थी और कुछ समय पश्चात्, जब वह खाना बना रही थी, उसकी सास गीताबाई और छोटा देवर चेतन ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । इस प्रकार, द्वितीय मृत्युकालिक कथन में उसने दहेज की मांग पर क्रूरता और हत्या के आरोप लगाए । इस

बारे में यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं है जिन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव (अभि. सा. 18) को मृतका के द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए कैसे उसे बुलाया गया था । अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी आनंद प्रकाश सिंह जिन्होंने मामले का अन्वेषण किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के पुलिस कथन अभिलिखित किए गए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसे इस बारे में पता नहीं है कि तारीख 29 नवंबर, 2009 को प्रथम मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् भी उसने तारीख 30 नवंबर, 2009 को मृतका का मृत्युकालिक कथन पुन: अभिलिखित क्यों किया था । उसने अपने उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश की और यह कथन किया कि द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के बारे में कार्यवाहियां पुलिस थाना शाहजान बाग द्वारा किया जाना हो सकता है, अत: उसे उस बारे में पता नहीं है । उसने इस सीमा तक यह कथन किया है कि वह इस बारे में नहीं जानता है कि क्या विधि में एक बार मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करना अनुज्ञात किया गया है । यह बात नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव अभि. सा. 18 के ग्रहण किए जाने के माध्यम से सुसंगत होगी जिन्होंने द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित किया । उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे अच्छी तरह यह पता था कि उससे पूर्व मृतका का प्रथम मृत्युकालिक कथन नायब तहसीलदार बजरंग बहादुर द्वारा पहले ही अभिलिखित किया गया था । उन्होंने यह कथन किया कि उसने द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए पुलिस से पत्र प्राप्त किया था परंतु ऐसा कोई पत्र उसके द्वारा या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया था । ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि कोई ऐसा पत्र अन्वेषक अधिकारी द्वारा द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव को बुलाने के लिए भी जारी किया गया था । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि प्रथम मृत्युकालिक

कथन पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष ने न्याय के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज को रोकने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है परंतु कोई भी व्यक्ति आसानी से इन कारणों को समझ सकता है । अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा साशय त्रुटि से मृतका के बारे में संदेह उत्पन्न होता है कि अभियोजन पक्ष तब पक्षपातपूर्ण रवैया रहा था वह निष्पक्ष नहीं था जिसे अन्यथा निष्पक्ष न होना भी बताया जाना चाहिए । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतका के माता-पिता और भाई घटना की सूचना प्राप्त करने पर उसके साथ थे । उन्हें यह भी पता था कि उसका प्रथम मृत्युकालिक कथन पर उसने अपने ससुरालियों या अपने पति के विरुद्ध कोई अभिकथन नहीं किया है । उन्होंने द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए पुलिस को राजी कर लिया था और उसे बिना कोई कारण देते हुए अभिलिखित किया गया था । द्वितीय मृत्युकालिक कथन प्रथम मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के 30 घंटे पश्चात् अभिलिखित किया गया था । उसी बीच में माता-पिता, भाई और बहन ने मृतका के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा और उससे बातचीत भी की । अत: उनके पास मृतका को प्रभावित करने के लिए सभी अवसर थे । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि नायब तहसीलदार मनीश श्रीवास्तव को द्वितीय मृत्युकालिक अभिलिखित करने के लिए शासकीय तौर पर बुलाया गया था । प्रथम मृत्युकालिक कथन को अभियोजन पक्ष द्वारा रोका गया था और उसे आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किया गया था । इस प्रकार द्वितीय मृत्युकालिक कथन गंभीर अनियमितताओं से ग्रसित है और उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । अभियोजन पक्षकथन में यह भी प्रकट हुआ है कि मृतका के भाई से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् कोतवाली राजगढ़ की पुलिस ने किसी बाहरी हस्तक्षेप और किसी साक्ष्य के गायब होने से बचने के लिए घटना के स्थान को मुहरबंद किया गया था । अत:, गीताबाई के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं था या किसी अन्य अपीलार्थी के लिए भी ऐसा कोई अवसर नहीं था कि मृतका के शरीर पर

मिट्टी का तेल छिड़कने के पश्चात् उचित स्थान में मिट्टी के तेल के जरकन को रख दिया जाए और उसके पश्चात् आग लगाई गई थी । संयोग से अंगुली के चिह्न जैरीकैन के सतह पर भी पाए गए थे । यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष यह दर्शित करना चाहता है कि जैरीकैन मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए निचली सतह से उठाया गया था परंतु एक अन्य मत से यह भी संभव होता है कि जैरीकैन के नीचे की सतह जो जमीन के संपर्क में रहा है और यदि कोई व्यक्ति जैरीकैन को इस्तेमाल करने के पश्चात् उसे रखता है तो अंगुली के चिह्न भी गायब हो सकते हैं या इस सीमा तक खींचकर निकाले जाते हैं कि वे अस्पष्ट हो गए थे और तुलना किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते । इसलिए, अभियोजन का साक्ष्य अत्यधिक संदेहपूर्ण हो जाता है । प्रथम मृत्युकालिक कथन में उल्लिखित तथ्य कि पूर्व में मृतका की सास ने उसे परेशान किया था और विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि द्वितीय मृत्युकालिक कथन में लिए गए कथन सही हैं परंतु मृतका ने अपने पूर्ववर्ती मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से चित्रण किया है कि अपने वैवाहिक गृह में अंतिम बार जाने के पश्चात् जब वह अपने मातृत्व गृह पर वापस लौटी तब उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी । किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रीति में उसको तंग नहीं किया था, इसलिए, ऐसे अभिकथन के लिए उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व परेशान किए जाने की सीमा के रूप में नहीं माना जा सकता । मृतका के माता-पिता और भाई ने यह अभिकथन किया है कि मृतका का पति ने मोटरसाइकिल की मांग की थी जिसे वे उसे मुहैया नहीं करा सके परंतु अपने द्वितीय मृत्युकालिक कथन में स्वत: मृतका ने यह कथन किया है कि उसकी माता-पिता ने उसके पति को मोटरसाइकिल को दान में दी थी, इसलिए, अपीलार्थियों के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को परेशान करते । इससे साक्षियों के अभिकथन का खंडन नहीं होता है कि मृतका के पति ने मोटरसाइकिल की मांग की थी या इस कारण से उसे परेशान किया गया था । साक्षी हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि घटना

के समय पर जब उसने घर के अंदर प्रवेश किया, मृतका का पति अपने दांत साफ कर रहा था जबकि मृतका ने अपने द्वितीय मृत्युकालिक कथन में यह बात प्रकट की है कि उसकी पिटाई करने के पश्चात् पति उस स्थान से चला गया था । हरपाल सिंह ने यह कथन किया कि जब वह एक महिला के सिसकने की आवाज सुनकर घर के अंदर घुसा तब मृतका का पति अपने दांत साफ कर रहा था । यह घटना लगभग 11.00 बजे घटित हुई, सामान्यतया यह ऐसा समय नहीं है जब कोई व्यक्ति अपने दांतों को साफ कर रहा हो । द्वितीय मृत्युकालिक कथन में मृतका ने यह कथन किया है कि रितेश ने आग बुझाने की कोशिश की थी । उसने सर्वप्रथम पानी का छिड़काव किया और उसके बाद कम्बल से मृतका को ढक दिया । इन सभी तथ्यों से साक्षियों की सत्यता और वास्तविकता के बारे में कतिपय गंभीर संदेह भी पैदा होते हैं तथा अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए दस्तावेज पर एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मस्तिष्क में उन दस्तावेजों की याददाश्त थी । अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए संपूर्ण साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में संदेह की सभी संभाव्यताएं प्रकट होती हैं और अभियोजन का पक्षकथन में संदेहजनक कुछ बातें विद्यमान होती हैं जो मामले को गंभीर रूप से संदेहपूर्ण बनाते हैं और इसलिए निश्चित रूप से अपीलार्थी ऐसे संदेहों का फायदा लेने के हकदार हैं । साक्षियों के पुलिस कथन को अभिलिखित करने में लगभग 20 दिनों का विलंब हुआ था जबकि यह स्वीकार किया गया है कि वे सभी घटना के समय पर घटनास्थल पर मौजूद थे और मृतका की मृत्यु तक पुलिस के संपर्क में रहे परंतु उनके कथन एक महीने से अधिक समय के पश्चात् लेखबद्ध किए गए थे जिस बात का कोई कारण नहीं दिया गया है । पुलिस ने कभी भी उनके कथन लेखबद्ध करने की कोशिश नहीं की जब मृतका के हालात सुस्थिर थी और साक्षी पुलिस के समक्ष उपलब्ध थे और जब पुलिस को यह पता था कि मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में दहेज की मांग, क्रूरता और तंग किए जाने के बारे में निश्चित अभिकथन किए गए थे जो अपीलार्थियों के बारे

में थे । ऐसे अस्पष्टीकृत विलंब से अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता पर भी घातक प्रभाव पड़ता है । (पैरा 12, 19, 23, 25, 29 से 35)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 868.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री एस. के. मीना

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. के. पुरोहित, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – मृतका के पति, पति की माता और छोटे देवर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन यह अपील फाइल की है जिसमें उन्हें 2010 के सेशन विचारण सं. 154 में अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़, बाओरा द्वारा तारीख 18 जुलाई, 2012 को पारित किए गए निर्णय में दंड संहिता की धारा 304ख, 302, 498 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 302/304ख के अधीन आजीवन कारावास का दंड के साथ 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और दंड संहिता की धारा 498ख के अधीन तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास साथ में 1,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष और 6 मास का कठोर कारावास भोगने का दंड दिया गया ।

2. स्वीकृततः, मंजू **उर्फ** नंदिनी का तारीख 4 मई, 2008 को रितेश के साथ विवाह हुआ था । विवाह के डेढ़ वर्ष पश्चात् तारीख 29 नवंबर, 2009 को लगभग 11.00 बजे दोपहर में अपने वैवाहिक गृह पर दाह क्षतियां प्राप्त की थीं और वह हमीदाई अस्पताल भोपाल पर पहुंची थी । बाद में उसे एल. बी. एस. अस्पताल भोपाल पर अंतरित कर दिया गया था जहां तारीख 9 दिसंबर, 2009 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई ।

3. दाह क्षतियां पहुंचने के पश्चात् जब उसे (मृतका) हमीदिया अस्पताल भोपाल पर ले गए थे तब उसके माता-पिता, भाई, बहिन और

अन्य नातेदार भी वहां पर पहुंचे । उसके गंभीर हालात को देखकर उसे एल. बी. एस. अस्पताल भोपाल पर अंतरित किया गया था । डाक्टर प्रदीप बिलोरे जो एल. बी. एस. अस्पताल पर नियुक्त थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी । पुलिस के अनुरोध पर नायब तहसीलदार बजरंग बहादुर (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने उसी दिन अर्थात् तारीख 29 नवंबर, 2009 को 4.05 बजे उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श घ-5) अभिलिखित किया था । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में यह कहा है कि गैस स्टोव ऊपर रखा हुआ मिट्टी के तेल के कैन के दुर्घटनावश गिरने से उसे आग पकड़ी और क्षतियां पहुंचीं । अगले दिन अर्थात् 30 नवंबर, 2009 को उसका द्वितीय मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी/21, 10.25 बजे अभिलिखित किया गया था । दूसरे मृत्युकालिक कथन में उसने अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथन किया कि उसकी सास द्वारा मिट्टी का तेल छिड़कने के पश्चात् उसके देवर ने उसे आग लगाई थी । अपीलार्थी हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) के एक पड़ोसी सहित माता-पिता, भाई, बहिन और अन्य ने भी कतिपय अभिकथन किए हैं कि मृतका अपीलार्थियों द्वारा की गई दहेज की मांग को पूरा न कर पाने के कारण उससे क्रूरता बरती गई थी ।

4. एल. बी. एस. अस्पताल से प्राप्त की गई सूचना को रोजनामचा सन्हा सं. 2309 (प्रदर्श पी-6) रजिस्ट्रीकृत किया गया था । मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् धारा 174 के अधीन मर्ग सं. 1/09 पुलिस थाना शाहजहानबाद भोपाल में दर्ज की गई थी । मृतका के बाल अस्पताल से प्राप्त किए गए थे जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-7 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर नोटिस जारी करके साक्षियों को बुलाया, और पंचनामा लाश पी/4 तैयार किया और डाक्टरों से प्रार्थना की गई कि वे शवपरीक्षण का कार्य करें तथा उन्होंने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 और राय प्राप्त की तथा मृतका के शव (प्रदर्श पी/15) को उसके देवर आशीष के सुपुर्द किया गया जहां पर आशीष मृतका के पिता और भाई के समक्ष मौजूद था क्योंकि घटना पुलिस कोतवाली राजगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित है । सभी व्यक्तियों को पुलिस कोतवाली राजगढ़ में भेजा गया था ।

5. उसी समय पुलिस कोतवाली राजगढ़ ने मृतका के भाई से घटना की सूचना भी प्राप्त की । थाना गृह अधिकारी के अनुदेश पर इस सूचना को तारीख 30 नवंबर, 2009 को 10.04 बजे रोजनामचा सन्हा सं. 1587 में दर्ज किया गया था तथा घटना के स्थान को मुहरबंद किया गया था । पुलिस थाना शाहजहानाबाद से कागजात प्राप्त करने के पश्चात् मर्ग सं. 26/2009 (प्रदर्श पी/9) दर्ज की गई थी । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी/3 तैयार किया । कई वस्तुओं को प्रदर्श पी/2 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । पुलिस ने अंगुलियों के चिह्न भी लिए थे और अपीलार्थी के फिंगर प्रिंट के नमूना (प्रदर्श पी/1) भी प्राप्त किए गए थे । संयोग से अंगुलि चिह्न के नमूने और अन्वेषण के दौरान अभिगृहीत वस्तुएं तारीख 10 जून, 2010 के पत्र (प्रदर्श पी/10 और पी/11) के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर भेजे गए । विश्लेषण के पश्चात् फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) प्रस्तुत की । उन्होंने यह राय दी है कि अपीलार्थी के घर से अभिगृहीत किए गए मिट्टी के तेल का कैन के निचली सतह पर संयोग से अंगुलियों के चिह्न के निशान पाए गए थे जिनका गीताबाई के अंगुलियों के चिह्न से मिलान किया गया था । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया था, देखिए गिरफ्तारी का ज्ञापन प्रदर्श पी-18 से प्रदर्श पी-20 । पुलिस ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अन्वेषण का कार्य पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया था ।

6. अपीलार्थियों को आरोपित करके उनका विचारण किया गया और उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया जैसा कि ऊपर पैरा 1 में कहा गया है ।

7. अपीलार्थियों ने इन आधारों पर इस अपील को अधिमानता दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध विधि और तथ्यों के प्रतिकूल हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रदर्श घ/5 पर विचार न करके और उसका मूल्यांकन न करके बहुत भारी भूल की है, मृतका का प्रथम मृत्युकालिक

कथन घटना की तारीख को अर्थात् 29 अक्तूबर, 2009 को अभिलिखित किया गया था । जिस पर यह मूल्यांकन नहीं किया गया कि पति स्वयं मृतका (पत्नी) को स्वयं उसी दिन अस्पताल पर ले गया था और उसे उपचार दिलाने की कोशिश की जिससे यह दर्शित होता है कि उसका उसकी हत्या करने का कोई आशय या हेतु नहीं था और उसमें तात्विक लोप और अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में प्रकट विभेदों की अनदेखी की गई थी । इस मामले में अपीलार्थियों के प्रति अन्वेषण पक्षपातपूर्ण, अऋजु रहा है और उनके साथ अन्याय हुआ है । अभियोजन पक्षकथन पर इस तथ्य के बावजूद भी विश्वास किया गया था कि अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित था । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के प्रतिरक्षा पर विचार नहीं किया । अभियोजन पक्ष कोई विश्वसनीय साक्ष्य भी पेश नहीं कर सका जिससे मामला संदेह के परे साबित होता हो । यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से दंड संहिता की धारा 302, 304ख और 498क के अधीन अपराध गठित नहीं होता है । इन आधारों पर विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया है कि अपीलार्थियों की अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है ।

8. मृतका के द्वितीय मृत्युकालिक कथन पर और माता-पिता, भाई, बहन और खास तौर पर अपीलार्थी के पड़ोसी हरपाल सिंह के कथनों की ओर अपनी दलील देते हुए विद्वान् लोक अभियोजक ने विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है और अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है ।

9. जैसा कि ऊपर पैरा 2 में कथन किया गया है । अपीलार्थियों ने मृतका नंदिनी के विवाह के तथ्य पर विवाद नहीं किया है और उसकी मृत्यु दाह क्षतियों के कारण हुई थी । इसलिए, यह स्पष्ट है कि नंदिनी की मृत्यु नैसर्गिक नहीं थी ।

10. अब इस बारे में प्रश्न शेष रह जाता है कि मृत्यु की प्रकृति क्या थी । क्या यह मानवघाती है या दुर्घटनावश ?

11. अभियोजन पक्ष द्वारा यह विवाद नहीं किया गया है कि मृतका के उपचार के दौरान उसके दो मृत्युकालिक कथन प्रदर्श डी-5 और प्रदर्श पी-21 अभिलिखित किए गए थे । प्रदर्श डी-5 प्रथम बार और घटना की तारीख को अर्थात् 29 नवंबर, 2009 को 4.05 बजे अभिलिखित किया गया था और प्रदर्श पी/21 दूसरा अगले दिन अर्थात् 30 नवंबर, 2009 को 10.25 बजे अभिलिखित किया गया है । दोनों डी. डी. एस. को एक ही श्रेणी के नायब तहसीलदार अर्थात् कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया गया था ।

12. मृतका ने प्रथम मृत्युकालिक कथन में यह कथन किया है कि गैस स्टोव के ऊपर रखे हुए मिट्टी के तेल के गिरने की वजह से दुर्घटनावश दुर्घटना घटी थी, उसे आग पकड़ गई तथा क्षतियां पहुंचीं । इस प्रकार, उसने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन नहीं किया है और यह कथन किया है कि उसे दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी । जबकि पश्चात्वर्ती द्वितीय मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-21 में उसने यह अभिकथन किया है कि उसके पति ने मोटरसाइकिल की मांग की थी और उसकी पिटाई की थी । घटना की तारीख को उसके पति ने भी उसकी पिटाई की थी और कुछ समय पश्चात्, जब वह खाना बना रही थी, उसकी सास गीताबाई और छोटा देवर चेतन ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । इस प्रकार, द्वितीय मृत्युकालिक कथन में उसने दहेज की मांग पर क्रूरता और हत्या के आरोप लगाए ।

13. अब प्रथम प्रश्न जो विवेक में आया है कि इन दो मृत्युकालिक कथनों का अवलंब लिया जाना चाहिए ।

14. विचारण न्यायालय ने द्वितीय मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया है, तथापि, उस पर कोई विनिर्दिष्ट कारण समनुदेशित नहीं किया गया है । पश्चात्वर्ती डी. डी. का अवलंब लेकर विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के पड़ोसी हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) के कथन का समर्थन किया है और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 का भी समर्थन लिया गया है । इस रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ है कि गीताबाई के अंगुलियों के चिह्न मकान से अभिगृहीत मिट्टी के तेल पर

पाए गए थे, परंतु इससे हमें कुछ भी प्रतीत नहीं होता है और हमने सोचा कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने केवल सरसरी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अभियोजन के साक्ष्य पर भी विचार करते हुए न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त निष्कर्ष में पहुंचने के लिए बेकार के तत्वों को अलग किया गया । अभियोजन पक्ष इस सीमा तक अपराध के सभी संघटकों को साबित कर सका है जिससे सभी आवश्यक परिधियों की पृष्ठभूमि में ऐसे घृणित अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया जो परिधियां अधिनियमित विधि और उच्चतम न्यायालय तथा कई उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गई विधि की पृष्ठभूमि में तय किए गए हैं ।

15. साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए अग्रसर होने की पूर्व दोनों मृत्युकालिक कथनों और उनके मूल प्ररूप पर दृष्टि डालेंगे । मृत्युकालिक कथन प्रदर्श डी-5 जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किया गया था जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है –

(देशी भाषा को हटा दिया गया, ई. डी.)

16. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-21 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है –

17. मृत्युकालिक कथन प्रदर्श डी-5 तारीख 29 नवंबर, 2009 को 4.03 बजे अभिलिखित किया गया था । संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य इस बारे में रहस्यपूर्ण तरीके से चुप है कि क्यों द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी । विशिष्ट रूप से जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उसे पहले ही अभिलिखित किया गया था ।

18. प्रतिरक्षा द्वारा उनके प्रभाव को इस्तेमाल में लेने पर संदेह अभिव्यक्त किया गया था, मृतका के माता-पिता और भाई ने द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए अन्वेषक अभिकरण पर दबाव डाला था । यद्यपि ओम प्रकाश और शारदा तथा भाई सुनील के माता-पिता ने इस तथ्य को छिपा दिया था परंतु भाई अनिल (अभि. सा. 5)

इस बात को छिपा नहीं सका । उसने प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह स्वीकार किया है कि उसके प्रथम मृत्युकालिक कथन में नंदिनी ने यह प्रकट किया था कि उसे दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी ; परंतु उन्होंने यह चाहा है कि उसका मृत्युकालिक कथन पुन: अभिलिखित किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए पुलिस को राजी कर लिया और उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करके पुन: प्राप्त किया गया ।

19. इस बारे में यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं है जिन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव (अभि. सा. 18) को मृतका के द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए कैसे उसे बुलाया गया था । अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी आनंद प्रकाश सिंह जिन्होंने मामले का अन्वेषण किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के पुलिस कथन अभिलिखित किए गए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में यह कथन किया है कि उसे इस बारे में पता नहीं है कि तारीख 29 नवंबर, 2009 को प्रथम मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् भी उसने तारीख 30 नवंबर, 2009 को मृतका का मृत्युकालिक कथन पुन: अभिलिखित क्यों किया था । उसने अपने उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश की और यह कथन किया कि द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के बारे में कार्यवाहियां पुलिस थाना शाहजान बाग द्वारा किया जाना हो सकता है, अत: उसे उस बारे में पता नहीं है । उसने इस सीमा तक यह कथन किया है कि वह इस बारे में नहीं जानता है कि क्या विधि में एक बार मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करना अनुज्ञात किया गया है । यह बात नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव अभि. सा. 18 के ग्रहण किए जाने के माध्यम से सुसंगत होगी जिन्होंने द्वितीय मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित किया । उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 और 4 में यह स्वीकार किया है कि उसे अच्छी तरह यह पता था कि उससे पूर्व मृतका का प्रथम मृत्युकालिक कथन नायब तहसीलदार

बजरंग बहादुर द्वारा पहले ही अभिलिखित किया गया था । उन्होंने यह कथन किया कि उसने द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए पुलिस से पत्र प्राप्त किया था परंतु ऐसा कोई पत्र उसके द्वारा या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया था । ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि कोई ऐसा पत्र अन्वेषक अधिकारी द्वारा द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव को बुलाने के लिए भी जारी किया गया था ।

20. एक बात का यहां उल्लेख किया जाना चाहिए कि दोनों मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया है, उनकी एक ही श्रेणी और प्रास्थिति है । नायब तहसीलदार बजरंग बहादुर (डी. डब्ल्यू. 1) की निष्ठा ईमानदारी, निष्पक्षता पर कोई प्रभाव नहीं डालती, जिन्होंने प्रथम मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया । इसलिए, प्रथम मृत्युकालिक कथन को हटाया नहीं जा सकता । ऐसा कोई कारण नहीं है कि केवल इस कारण से मृतका के माता-पिता और भाई ऐसा करना चाहते थे ।

21. दूसरा मृत्युकालिक कथन घटना अर्थात् 30 नवंबर, 2009 के अगले दिन 10.25 बजे लगभग 30 घंटे के पश्चात् अभिलिखित किया गया था । विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उस समय मृतका के माता-पिता, भाई और बहिन को प्रथम मृत्युकालिक कथन का पता होगा और संपूर्ण मध्यक्षेप अवधि अर्थात् तारीख 29 नवंबर, 2009 4.05 बजे से 30 नवंबर, 2009, 10.05 बजे वे मृतका के साथ रहे और उन्होंने उससे बातचीत की ।

22. द्वितीय मृत्युकालिक कथन तारीख 30 नवंबर, 2009 में यह उल्लेख किया गया है कि मृतका के पति ने घटना के एक दिन पूर्व उसको पीटा था "परसों रितेश ने मुझे मारा, परसों नहीं कल, 28 नवंबर, 2009 को" । "कल" शब्द से परसों अभिप्रेत है जैसा कि मृतका ने कथन किया है कि "कल" से 28 नवंबर, 2009 अभिप्रेत है, इससे यह अभिप्रेत है कि द्वितीय मृत्युकालिक कथन तारीख 29 नवंबर, 2009 को अभिलिखित किया गया था न कि 30 नवंबर, 2009 को । क्योंकि यह

बात दस्तावेज में स्वत: उपदर्शित हुई है । इससे द्वितीय मृत्युकालिक कथन की सत्यता के बारे में संदेह भी उत्पन्न होता है ।

23. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि प्रथम मृत्युकालिक कथन पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष ने न्याय के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज को रोकने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है परंतु कोई भी व्यक्ति आसानी से इन कारणों को समझ सकता है । अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा साशय त्रुटि से मृतका के बारे में संदेह उत्पन्न होता है कि अभियोजन पक्ष तब पक्षपातपूर्ण रवैया रहा था वह निष्पक्ष नहीं था जिसे अन्यथा निष्पक्ष न होना भी बताया जाना चाहिए ।

24. निर्विवादत: मृतका को पहले हमीदायी अस्पताल ले जाया गया था । उसके माता-पिता, भाई और बहिन भी वहां पहुंचे थे परंतु यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि अभियोजन पक्ष द्वारा हमीदायी अस्पताल के कोई अभिलेख पेश नहीं किए गए जिससे कि इस बारे में पता चलता कि संबंधित सभी अभियुक्त-व्यक्तियों का प्रथम वृत्तांत क्या था । ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को रोके रखने से अभियोजन पक्षकथन की सत्यता के बारे में संदेह पैदा होता है ।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतका के माता-पिता और भाई घटना की सूचना प्राप्त करने पर उसके पास पहुंच गए थे । उन्हें यह भी पता था कि उसके प्रथम मृत्युकालिक कथन में उसने अपने ससुराल वालों या अपने पति के विरुद्ध कोई अभिकथन नहीं किया है । उन्होंने द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए पुलिस को राजी कर लिया था और उसे बिना कोई कारण देते हुए अभिलिखित किया गया था । द्वितीय मृत्युकालिक कथन प्रथम मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के 30 घंटे पश्चात् अभिलिखित किया गया था । उसी बीच में माता-पिता, भाई और बहिन ने मृतका के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा और उससे बातचीत भी की । अत: उनके पास मृतका को प्रभावित करने के लिए सभी अवसर थे । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि नायब तहसीलदार मनीश श्रीवास्तव को द्वितीय मृत्युकालिक अभिलिखित करने के लिए शासकीय तौर पर

बुलाया गया था । प्रथम मृत्युकालिक कथन को अभियोजन पक्ष द्वारा रोका गया था और उसे आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किया गया था । इस प्रकार द्वितीय मृत्युकालिक कथन गंभीर अनियमितताओं से ग्रसित है और उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

26. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पड़ोसी हरपाल सिंह अभि. सा. 9 के कथन से अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथनों में समर्थन मिलता है । हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) ने न्यायालय को आश्वास्त करने की कोशिश की कि घटना की तारीख को लगभग 10.00 बजे उसने अपीलार्थियों के मकान से किसी स्त्री के सिसकने की आवाज सुनी । वह उनके मकान की ओर गया ; परंतु उसने चैनल गेट को बंद पाया था । अपीलार्थी चेतन चैनल गेट के निकट खड़ा था और अपने पीछे की ओर से उस पर दबाव डाल रहा था जिससे कि खुलने से रुक जाए, परंतु उसने दरवाजे को धक्का दिया और इस वजह से वह खुल गया तथा वह घर के अंदर घुस गया । अपीलार्थी चेतन ने इस बारे में उससे पूछताछ की कि वह क्यों यहां पर पहुंचा है या कोई सुटिंग देखने यहां पर तो नहीं आया है ? घर में प्रविष्ट करने के पश्चात् उसने देखा कि अपीलार्थी रितेश (मृतका का पति) अपने दांतों पर ब्रुश कर रहा है और गीता की सास जैकेट पहन रही थी तथा मृतका चबूतरे में लेटी हुई थी तथा वहां पर उसके शरीर में 99 प्रतिशत जली हुई क्षतियां थीं । उसने रितेश से इस बारे में पूछा कि यहां पर क्या घटित हुआ है । उसने यह कथन किया कि जब वह खाना बना रही थी तब एल. पी. जी. सिलेण्डर फट गया और उसे दाह क्षतियां पहुंचीं । उसने यह उत्तर दिया कि मिट्टी तेल की गंध अधिक रूप में फैली हुई थी और उन्होंने यह कहा कि यह मामला एल. पी. जी. सिलेण्डर के फटने का है । उसने मृतका से बातचीत नहीं की क्योंकि वह बोलने और बाहर आने की स्थिति में नहीं थी और ऐसा हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) ने संपूर्ण कथन में कहा है और विचारण न्यायालय ने इस कथन को वेदवाक्य के रूप में लिया है ।

27. हरपाल सिंह सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है और पुलिस विभाग में रहते हुए 51 वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए । उसने यह स्वीकार किया है कि उसका कोई संबंध नहीं था या अपीलार्थियों के साथ

बातचीत करने में भी उसका कोई संबंध नहीं रहा । उसने यह कथन किया कि संपूर्ण घटनाक्रम को देखने के पश्चात् भी वह वापस लौटा और अपने मकान में जाकर खामोशी से बैठ गया । उसने न तो अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की और न मृतका को जीवन बचाने के लिए कोई मदद की, न तो उसे अस्पताल ले जाया गया और न कोई चिकित्सा मुहैया कराई गई या दूसरी सहायता के रूप में पुलिस को सूचना नहीं दी गई । वह साधारण रूप से अपने पड़ोसी के घर के अंदर चला गया । इस संबंध में कोई बातचीत भी नहीं हुई थी और घर वापस लौटकर वह बैठ गया था । उसने पुलिस को कोई सूचना देने के लिए कोई कार्यवाही भी नहीं की । अगले कई दिनों के पश्चात् भी वह खामोश बना रहा और वस्तुत: कभी भी उसने पुलिस को सूचना नहीं दी । वह पुलिस के लोग थे जिन्होंने उससे संपर्क किया और केवल उसके पश्चात् उसने पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में तथाकथित सही बातों के बारे में बताया । घटना के लगभग एक मास पश्चात् इस साक्षी का ऐसा आचरण अत्यधिक अनैसर्गिक है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को अभिलिखित करने में विलंब हुआ है जिससे उसका कथन गंभीर रूप से संदेहास्पद बनता है ।

28. गीताबाई के अंगुली के चिह्न जैरीकैन पर पाए गए थे और विचारण न्यायालय द्वारा अंगुली का चिह्न भी लिया गया था क्योंकि परिस्थितियां अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देती है परंतु कोई विश्वास देने वाला साक्ष्य नहीं है कि अंगुली के चिह्न किसी विशेषज्ञ के द्वारा लिए गए थे । वी. एस. ठाकुर (अभि. सा. 11) जो अपराध यूनिट जिला राजगढ़ में वैज्ञानिक के पद पर तैनात था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 10 में यह स्वीकार किया है कि वह अंगुली चिह्न लेने का विशेषज्ञ नहीं है । संयोग से अंगुली के चिह्न उससे पूर्व बढ़ा दिए गए थे परन्तु कोई पंचनामा या ज्ञापन ऐसे अंगुली चिन्हों के लेने के संबंध में तैयार नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और यह दर्शित करने के लिए किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई कि उसने कैसे घटनास्थल से ऐसे अंगुली के चिह्न लिए थे ।

यहां पर यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि संयोग से मिट्टी के तेल के जैरीकैन से अंगुली के चिह्न लिए गए थे जिन्हें अपीलार्थियों के रसोईघर के नीचे एल. पी. जी. सिलेण्डर से लिए गए थे । गीताबाई घरेलू महिला है परंतु यह स्वाभाविक है कि वह रसोईघर तथा रसोईघर में रखी गई वस्तुओं को इस्तेमाल में लेती थी । ऐसी स्थिति में उसके अंगुली के चिह्न बर्तनों या संदूकों या कैन आदि में होना अत्यधिक स्वाभाविक है । इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि कैसे पुराने अंगुली चिह्न लिए गए थे । ऐसी स्थिति में यह संदेह पूर्ण हो गया है कि ऐसा घटना के समय पर कैन को इस्तेमाल को करने से भी हो सकता है और इसकी संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता और ऐसा घरेलू महिला द्वारा प्रायिक रूप से इस्तेमाल किए जाने के दौरान हो सकता है ।

29. अभियोजन पक्षकथन में यह भी प्रकट हुआ है कि मृतका के भाई से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् कोतवाली राजगढ़ की पुलिस ने किसी बाहरी हस्तक्षेप और किसी साक्ष्य के गायब होने से बचने के लिए घटना के स्थान को मुहरबंद किया गया था । अतः, गीताबाई के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं था या किसी अन्य अपीलार्थी के लिए भी ऐसा कोई अवसर नहीं था कि मृतका के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने के पश्चात् उचित स्थान में मिट्टी के तेल के जैरीकैन को रख दिया जाए और उसके पश्चात् आग लगाई गई थी । संयोग से अंगुली के चिह्न जैरीकैन के सतह पर भी पाए गए थे । यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष यह दर्शित करना चाहता है कि जैरीकैन मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए निचली सतह से उठाया गया था परंतु एक अन्य मत से यह भी संभव होता है कि जैरीकैन के नीचे की सतह जो जमीन के संपर्क में रहा है और यदि कोई व्यक्ति जैरीकैन को इस्तेमाल करने के पश्चात् उसे रखता है तो अंगुली के चिह्न भी गायब हो सकते हैं या इस सीमा तक खींचकर निकाले जाते हैं कि वे अस्पष्ट हो गए थे और तुलना किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते । इसलिए, अभियोजन का साक्ष्य अत्यधिक संदेहपूर्ण हो जाता है ।

30. प्रथम मृत्युकालिक कथन में उल्लिखित तथ्य कि पूर्व में मृतका की सास ने उसे परेशान किया था और विद्वान् विचारण

न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि द्वितीय मृत्युकालिक कथन में लिए गए कथन सही हैं परंतु मृतका ने अपने पूर्ववर्ती मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से चित्रण किया है कि अपने वैवाहिक गृह में अंतिम बार जाने के पश्चात् जब वह अपने मातृत्व गृह पर वापस लौटी तब उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी । किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रीति में उसको तंग नहीं किया था, इसलिए, ऐसे अभिकथन के लिए उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व परेशान किए जाने की सीमा के रूप में नहीं माना जा सकता ।

31. मृतका के माता-पिता और भाई ने यह अभिकथन किया है कि मृतका का पति ने मोटरसाइकिल की मांग की थी जिसे वे उसे मुहैया नहीं करा सके परंतु अपने द्वितीय मृत्युकालिक कथन में स्वत: मृतका ने यह कथन किया है कि उसकी माता-पिता ने उसके पति को मोटरसाइकिल को दान में दी थी, इसलिए, अपीलार्थियों के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को परेशान करते । इससे साक्षियों के अभिकथन का खंडन नहीं होता है कि मृतका के पति ने मोटरसाइकिल की मांग की थी या इस कारण से उसे परेशान किया गया था ।

32. साक्षी हरपाल सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि घटना के समय पर जब उसने घर के अंदर प्रवेश किया, मृतका का पति अपने दांत साफ कर रहा था जबकि मृतका ने अपने द्वितीय मृत्युकालिक कथन में यह बात प्रकट की है कि उसकी पिटाई करने के पश्चात् पति उस स्थान से चला गया था ।

33. हरपाल सिंह ने यह कथन किया कि जब वह एक महिला के सिसकने की आवाज सुनकर घर के अंदर घुसा तब मृतका का पति अपने दांत साफ कर रहा था । यह घटना लगभग 11.00 बजे घटित हुई, सामान्यतया यह ऐसा समय नहीं है जब कोई व्यक्ति अपने दांतों को साफ कर रहा हो । द्वितीय मृत्युकालिक कथन में मृतका ने यह कथन किया है कि रितेश ने आग बुझाने की कोशिश की थी । उसने सर्वप्रथम पानी का छिड़काव किया और उसके बाद कम्बल से मृतका को ढक दिया ।

34. इन सभी तथ्यों से साक्षियों की सत्यता और वास्तविकता के बारे में कतिपय गंभीर संदेह भी पैदा होते हैं तथा अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए दस्तावेज पर एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मस्तिष्क में उन दस्तावेजों की याददाश्त थी । अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए संपूर्ण साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में संदेह की सभी संभाव्यताएं प्रकट होती हैं और अभियोजन का पक्षकथन में संदेहजनक कुछ बातें विद्यमान होती हैं जो मामले को गंभीर रूप से संदेहपूर्ण बनाते हैं और इसलिए निश्चित रूप से अपीलार्थी ऐसे संदेहों का फायदा लेने के हकदार हैं ।

35. साक्षियों के पुलिस कथन को अभिलिखित करने में लगभग 20 दिनों का विलंब हुआ था जबकि यह स्वीकार किया गया है कि वे सभी घटना के समय पर घटनास्थल पर मौजूद थे और मृतका की मृत्यु तक पुलिस के संपर्क में रहे परंतु उनके कथन लगभग एक महीने से अधिक समय के पश्चात् लेखबद्ध किए गए थे जिस का कोई कारण नहीं दिया गया है । पुलिस ने कभी भी उनके कथन लेखबद्ध करने की कोशिश नहीं की जब मृतका के हालात सुस्थिर थे और साक्षी पुलिस के समक्ष उपलब्ध थे और जब पुलिस को यह पता था कि मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में दहेज की मांग, क्रूरता और तंग किए जाने के बारे में निश्चित अभिकथन किए गए थे जो अपीलार्थियों के बारे में थे । ऐसे अस्पष्टीकृत विलंब से अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता पर भी घातक प्रभाव पड़ता है ।

36. यह भी स्वीकार किया गया है कि विवाह से पूर्व या विवाह के समय पर अपीलार्थियों द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी । मृतका के जीवन पर्यन्त ऐसे कोई अभिकथन नहीं किए गए थे, इसलिए, मृतका की मृत्यु के पश्चात् ऐसे अभिकथन वास्तविकता की अपेक्षा अधिक नैराशय प्रतीत होते हैं ।

37. सभी मुख्य साक्षी अनुराधा (बहन), शारदा (माता), अनिल और सुनील (भाई) तथा ओम प्रकाश (पिता) ने यह कथन किया है कि घटना

के पश्चात् वे मृतका से मिले थे और उससे घटना के बारे में पूछताछ की, उसने यह बताया कि अपीलार्थियों ने मिट्टी के तेल से उसे भीगाया था और उसके बाद उसे आग लगा दी । परंतु उसके पश्चात् भी उन लोगों ने पुलिस से कोई समावेदन नहीं किया और न ही किसी भी पुलिस थाने में विशेषकर पुलिस थाना शाहजहानाबाद, भोपाल में कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । न तो उन्होंने पुलिस कोतवाली राजगढ़ को समावेदन किया । जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन घटना घटित हुई थी । उन्होंने उपचार करने वाले डाक्टर के समक्ष इस तथ्य को प्रकट नहीं किया ।

38. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य में विभेद प्रकट होते हैं जिससे मामला गंभीर रूप से संदेहपूर्ण हो जाता है । हम ऐसे बिखरे हुए साक्ष्य पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं पाते हैं, इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील को मंजूर करते हैं । सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304ख, 302, 498क के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करते हैं ।

39. यदि कोई जुर्माने की रकम जमा की गई है तो उसे अपीलार्थियों को वापस किया जाता है ।

40. यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तत्काल उन्मुक्त किया जाता है ।

41. वाद-संपत्ति के निपटारे के बारे में विद्वान् विचारण न्यायालय का आदेश की एतदद्वारा पुष्टि की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य/पा.

संदीप कुमार और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 408)

तारीख 2 मई, 2019

न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) - धारा 20, 25 और 29 - विनिषिद्ध माल (चरस की बरामदगी) - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विनिषिद्ध माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन के अधिहरण और अन्य साक्ष्यों से यह अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित होता है कि सिद्धदोष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विनिषिद्ध माल का परिवहन किया गया, अतः सिद्धदोष अभियुक्त दोषी ठहराए जाने का हकदार है ।

संक्षिप्त रूप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) के नेतृत्व में एक पुलिस दल, जिसमें हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1), कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2), हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) और चालक एस. पी. ओ. देशराज (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) सम्मिलित थे, तारीख 11 जनवरी, 2016 को अपराह्न 7.37 बजे पुलिस थाना, किहार की दैनिक थाना डायरी में रिपोर्ट जी. डी. सं. 023, तारीख 11 जनवरी, 2016 को अभिलिखित करने के पश्चात् पैट्रोलिंग और नाकाबंदी के लिए एक सरकारी यान में अपराह्न लगभग 7.45 बजे पुलिस स्टेशन से चकोली धारगला की ओर निकला था और वे अन्वेषण किट, इलैक्ट्रानिक तराजू, टार्च और डिजिटल कैमरा से लैस थे । पुलिस दल सर्वप्रथम चकोली गया और वहां कुछ देर के लिए रुका और उसके पश्चात् उन्होंने बंजनू मोड़ पर नाकाबंदी की । अपराह्न लगभग 9 बजे

एक यान तेज गति से धारगला की ओर से आया जिसमें चालक सहित दो व्यक्ति मौजूद थे, जिसे निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) द्वारा इशारा किए जाने पर चालक ने नाके पर रोक दिया । उस समय चालक सकपका गया जिससे पुलिस दल को संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने यान के दस्तावेजों और यान में मौजूद दोनों व्यक्तियों की शनाख्त के संबंध में छानबीन की । तदुपरान्त, यान में मौजूद दोनों व्यक्तियों ने सिद्धदोष व्यक्तियों के रूप में अपनी शनाख्त प्रकट की किन्तु वे यान के दस्तावेज प्रस्तुत करने में हिचकिचा रहे थे, जिससे पुलिस दल को यह और संदेह हुआ कि वे किसी अवैध क्रियाकलाप में संलिप्त हैं और इसलिए निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1) और हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में यान की जांच की और इस जांच के दौरान यान की आगे की सीटों के बीच एक कैरी बैग पाया गया, जिसकी जांच करने पर उसमें से 2.900 किलोग्राम का विनिषिद्ध पदार्थ पाया गया, जिसकी पहचान चरस के रूप में की गई । तदुपरान्त, चरस पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) तैयार किया गया और उसके पश्चात् बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ का वजन किया गया और उसे उस कैरी बैग के साथ, जिसमें वह पाया गया था, एक कपड़े के पार्सल में सीलबंद किया गया तथा उस पर 'आर' की सील लगाई गई तथा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) के द्वारा उसका अभिग्रहण किया गया । 'आर' सील संबंधी सील की छाप को एक कपड़े (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) पर भी लिया गया । स्थल पर ही एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) के स्तंभ 1 से 8 को तीन प्रतियों में भरा गया और उन पर भी सील की प्रतिकृति को अंकित किया गया । रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) भी तैयार किया गया और उसे कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) के माध्यम से पुलिस थाना, किहार भेजा गया तथा उसकी एक प्रति भी एस. डी. पी. ओ. सलूनी को हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) के माध्यम से भेजी गई । पुलिस थाना, किहार में कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) के पहुंचने पर उसके द्वारा लाए गए रुक्के (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.9/बी) के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 2/16, तारीख 11 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी.

डब्ल्यू.9/ए) रजिस्टर की गई और मामले संबंधी फाइल को कांस्टेबल धनबीर सिंह को सौंपा गया ताकि वह उसे उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) को सौंप सके । चरस की बरामदगी के समय, निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने पुलिस थाना, किहार को टेलिफोन से एक संदेश भेजा था जिसमें एक अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल पर भेजने का निदेश दिया गया था । उक्त अनुदेशों को दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. प्रविष्टि सं. 026, तारीख 11 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.10/बी) के द्वारा अपराह्न 9.15 बजे अभिलिखित किया गया और उप निरीक्षक/अपर स्टेशन हाउस अधिकारी सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) अपने निजी यान के माध्यम से घटनास्थल पर पहुंचे । निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने वस्तु-सूची (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/डी) तैयार की और उसे घटनास्थल पर अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) को मामले से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों और वस्तुओं के साथ सौंप दिया । अभि. सा. 13 जगदीश चंद द्वारा घटनास्थल की पहचान किए जाने के आधार पर उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) ने स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.11/ए) तैयार किया । उसके पश्चात् निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) पुलिस थाना किहार लौट आए और उन्होंने पुलिस थाने में पहुंचने संबंधी प्रविष्टि दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 002, तारीख 12 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/सी) द्वारा की । उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) ने साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया और साथ ही सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से परिप्रश्न किए और उन्हें अपराह्न 11.45 बजे ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ) द्वारा गिरफ्तार किया और साथ ही उनकी जामातलाशी संबंधी ज्ञापन [जामातलाशी (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी)] तैयार किए । सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थियों की गिरफ्तारी संबंधी जानकारी उनके नातेदारों को भी दी गई और इस प्रभाव का पृष्ठांकन गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/ई और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ) में भी किया गया । जिसके पश्चात् उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) पुलिस अधिकारियों तथा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों

के साथ पुलिस थाना, किहार वापस आए तथा सी. एच. सी., किहार में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की चिकित्सीय परीक्षा करने के पश्चात् इस संबंध में और पुलिस दल के वापस थाने में आने से संबंधित प्रविष्टि रात्रि 1.30 बजे दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 003, तारीख 12 जनवरी, 2016 द्वारा की गई । मामले से संबंधित वस्तुओं को सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद (अभि. सा. 9) के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने बरामद हुए विनिषिद्ध पदार्थ को सील 'ए' लगाकर पुनः सीलबंद किया तथा पुनः सील बंद किए जाने संबंधी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/डी) तैयार किया, सील 'ए' चिह्न को एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) पर लगाया और साथ ही उसके पृष्ठ भाग पर नमूना सील के चिह्न को भी अंकित किया, जिसे उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया द्वारा तैयार किया गया था (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/सी) । एन. सी. बी. प्ररूप के स्तंभों को सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद (अभि. सा. 9) द्वारा भरा गया और इस प्रभाव की एक प्रविष्टि रात्रि 2.20 बजे दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 005, तारीख 12 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/जी) द्वारा की गई । तत्पश्चात्, मामले से संबंधित वस्तुओं को हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 7) के पास जमा किया, जो एम. एच. सी. प्रभात नाहर (अभि. सा. 8) की अनुपस्थिति में एम. एच. सी. का पदभार संभाल रहा था । हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 7) ने मामले से संबंधित वस्तुओं की प्रविष्टि क्रम सं. 98/16 के रूप में की और उन्हें मालखाने में रख दिया । दस्तावेजों सहित मामले से संबंधित वस्तुएं और मालखाना रजिस्टर के उद्धरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू.7/ए पर हैं । एम. एच. सी. प्रभात नाहर (अभि. सा. 8) द्वारा अपना पदभार ग्रहण कर लेने पर तारीख 12 जनवरी, 2016 को मामले से संबंधित वस्तुओं को उसे सौंप दिया गया और उसने हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 7) से मामले से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें राज्य की न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में आर. सी. सं. 2/2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ए) द्वारा भेजा था तथा उन वस्तुओं के साथ दस्तावेजों, नमूना सीलों, एन. सी. बी. प्ररूप और अभिग्रहण ज्ञापन को भी कांस्टेबल सोहन सिंह (अभि. सा. 6) के माध्यम से भेजा गया, जिसने इन सभी वस्तुओं को राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में जमा करने के पश्चात् उनकी

पावती एम. एच. सी. प्रभात नाहर (अभि. सा. 8) को सौंप दी । एम. एच. सी. प्रभात नाहर ने एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) के स्तंभ 12 को भी भरा । राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा, शिमला से रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स) प्राप्त होने के पश्चात् उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया ने चालान तैयार किया और उसे स्टेशन हाउस अधिकारी को सौंप दिया जिसे न्यायालय में फाइल किया गया । वर्तमान अपील सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा पुलिस थाना किहार, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत 2016 की मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 2, तारीख 11 जनवरी, 2016 के आधार पर फाइल किए गए हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संदीप कुमार और अन्य वाले 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में विशेष न्यायाधीश, चम्बा प्रभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 14 मार्च, 2017/21 मार्च, 2017 को पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । यह मामला स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एन. डी. पी. एस. अधिनियम कहा गया है) की धारा 20, 25 और 29 के उपबंधों के अधीन फाइल किया गया है जिसके द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग), 25 और 29 के उपबंधों के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इसका व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे । इसके अतिरिक्त, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इसका व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे । इसके अतिरिक्त, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के अधीन

दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इसका व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सेशन विचारण के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निःसंदेह रूप से, तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र साक्षी बनाना आवश्यक समझा जाता है जिससे निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त हेतु सुरक्षोपाय उपलब्ध कराए जा सकें और यह ऐसे मामलों में संलिप्त अभियुक्त की निजी स्वतंत्रता के तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है । तथापि, उसी समय यह भी सुस्थापित है कि जहां किन्हीं विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अन्वेषण अधिकारी स्वतंत्र साक्षियों को ढूंढने में समर्थ नहीं है क्योंकि ऐसे साक्षी सभी स्थानों पर सभी समय उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां स्वतंत्र साक्षी न बनाया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक सिद्ध नहीं होगा और दोषसिद्धि शासकीय साक्षियों के साक्ष्य की अतिरिक्त ध्यानपूर्वक और सावधानी से की गई जांच के पश्चात् उनके अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है । पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का केवल इस कारण से परित्याग नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस बल से संबंध रखते हैं । उनके परिसाक्ष्य पर तब तक किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्षी के समान विश्वास करना होगा जब तक कि अभिलेख पर यह साबित नहीं कर दिया जाता कि शासकीय साक्षियों का किसी दुश्मनी या अन्यथा के कारण अभियुक्त को मिथ्या रूप से अपराध में फंसाने का कोई विशेष हित था । सामान्य अनुक्रम में प्रत्येक सक्षम साक्षी, चाहे वह शासकीय साक्षी हो अथवा स्वतंत्र साक्षी, समान बल रखता है । स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति या उनके द्वारा की जाने वाली संपुष्टि की अनुपस्थिति में शासकीय/पुलिस के साक्षियों पर अविश्वास करने संबंधी कोई उपधारणा मौजूद नहीं है । इसके

विपरीत, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ऐसे साक्षियों के ईमानदार साक्ष्य की उपधारणा सामने रखी जाती है । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शासकीय साक्षी अभियोजन अभिकरण का ही भाग है, न्यायालयों ने ऐसे मामलों में, जहां स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाए गए हैं या उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न करने का विकल्प लिया है, वहां अतिरिक्त ध्यान और सावधानी से साक्ष्य की गहन जांच करने का नियम बनाया है । जहां किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र साक्षियों को ढूंढना संभव न हो, वहां दोषसिद्धि शासकीय साक्षियों की विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है । यह भी सुस्थापित है कि अभियोजन साक्षियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे तोते की तरह रटा-रटाया अभिसाक्ष्य दें । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी घटना या तथ्य का अवलोकन, उसे ग्रहण करने, धारण और उसका वर्णन करने की भिन्न-भिन्न क्षमता होती है । अतः, साक्षियों के अभिसाक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभासों, फर्कों या अन्तरों की संभावना सदैव बनी रहती है । तथापि, ऐसे सूक्ष्म विरोधाभास, असंगतता, फर्क और अलंकरण या सुधार, जो तुच्छ प्रकृति के हैं और अभियोजन के पक्षकथन को मूलभूत रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं हैं । केवल ऐसे विरोधाभास ही सारवान् विरोधाभास होंगे जो मामले की जड़ तक जाते हैं और जो साक्षियों की विश्वसनीयता और साथ ही अभियोजन पक्ष की कहानी को डावांडोल करते हैं और इस प्रकार निष्पक्ष विचारण पर संदेह उत्पन्न करते हैं । दांडिक मामलों में, अभिलेख पर तथ्यों को लाना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है । तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 इसका एक अपवाद है और इसे कतिपय ऐसे आपवादिक मामलों हेतु उपबंधित किया गया है, जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए कतिपय ऐसे तथ्यों, जो विशिष्ट रूप से अभियुक्त की अनन्य जानकारी में हैं, को सिद्ध करना असंभव होगा और ऐसे तथ्य केवल अभियुक्त द्वारा ही अभिलेख पर केवल उस दशा में लाए जाएंगे जब वे उसकी निर्दोषिता को साबित करने के लिए उल्लिखित किए जाने अपेक्षित हों

क्योंकि वे तथ्य विनिर्दिष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति की जानकारी में हैं तथा ऐसे किसी मामले में उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर निर्भर करता है । धारा 106 का आशय अभियोजन पक्ष को, सुसंगत संदेह के परे अभियुक्त के दोष को साबित करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करना नहीं है । अपितु, वह ऐसे मामलों को लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से कतिपय अन्य तथ्यों की विद्यमानता के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है और अभियुक्त, ऐसे तथ्यों के संबंध में विशेष जानकारी रखने के कारण ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्थापित करने में असफल रहता है जो न्यायालय को किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सके । (पैरा 17, 18 और 19)

इस न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मोहित (उपरोक्त) वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह संप्रेक्षण किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिया गया कथन सारवान् साक्ष्य नहीं है अपितु इसे अभिलेख पर मौजूद तथ्यों की संपुष्टि करने हेतु विचार में लिया जा सकता है । किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए प्रश्न के उत्तर में लिए गए मिथ्या अभिवाक् को अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में किसी टूटी कड़ी को जोड़ने हेतु विचार में लिया जा सकता है । किन्तु यह अभियोजन पक्ष को अपने पक्षकथन को साबित करने की उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष द्वारा उसके पक्षकथन के आधारिक तथ्यों को साबित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता । अभियोजन पक्ष का संपूर्ण पक्षकथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उसके कथन में किए गए अभिवाक् पर आधारित नहीं हो सकता । यह भी सुस्थापित है कि अभियुक्त द्वारा उसकी विलोम जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किया गया कथन, जो प्रतिपरीक्षा का अवसर दिए बिना तथा बिना शपथ के दिया गया एक कथन है, सारवान्

साक्ष्य नहीं है और अभियुक्त से यह अपेक्षित है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करे । एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधीन कि जाने वाले अपराध गंभीर अपराध हैं अपितु वे इस कारण से जघन्य अपराध भी हैं कि ये न केवल व्यष्टि और उसके कुटुंब को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यापक रूप से समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इस कारण से ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संकट को रोकने के लिए कड़े उपबंधों को अधिनियमित किया गया है और इसलिए किसी विनिषिद्ध पदार्थ को कब्जे में रखने के किसी मामले में, जिसके संबंध में कोई व्यक्ति समाधानप्रद रूप से जवाब देने में असफल रहता है सदोष मानसिक स्थिति की विलोम उपधारण और अपराध के किए जाने के संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के अधीन उपबंध किए गए हैं । (पैरा 20 और 21)

अभियोजन द्वारा एक बार सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिए जाने पर कि विनिषिद्ध पदार्थ सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के अधिभोग वाले यान से बरामद हुआ था, यह जिम्मेदारी अभियुक्त व्यक्तियों पर है कि वे विनिषिद्ध पदार्थ के सचेतन कब्जे की उपधारणा का अभिलेख पर ऐसा स्पष्टीकरण लाकर खण्डन करें, जो निश्चित रूप से चाहे सुसंगत संदेह से परे न हो किन्तु वह कम से कम संभावना के दायरे में आता हो । किन्तु सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी यह स्पष्टीकरण देने की विलोम जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के अधीन अपेक्षित है और जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 के अधीन उपधारणा को आमंत्रित करती है । (पैरा 26)

यह कहना सुसंगत होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने-अपने कथनों में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने यह स्वीकार किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2016 को पुलिस दल चकोली-धरगला की ओर से पैट्रोलिंग और नाकाबन्दी की ड्यूटी कर रहा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है और निरीक्षक-स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने अपराह्न 9 बजे बंजनू मोड़ के पास उन्हें उस समय रुकने का ईशारा

किया था जब वे एक टोयटा इनोवा यान पीबी-08-एटी-0090 पर धरगला की ओर से आ रहे थे । उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यान सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी संदीप कुमार द्वारा चलाया जा रहा था और दूसरा दोषसिद्ध व्यक्ति-अपीलार्थी विपिन कुमार यान की आगे की सीट पर उसके साथ बैठा था । तथापि, उन्होंने अभियोजन के शेष पक्षकथन से इनकार किया है और यह स्पष्टीकरण दिया है कि उनके पास यान से संबंधित दस्तावेज नहीं थे और इसलिए पुलिस के साथ उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने मिथ्या मामला उन पर थोपा है । सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने इस पक्षकथन को स्वीकार किया है कि वे एक यान (टोयटा इनोवा जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक पीबी-08-एटी-0090 था) पर एक साथ यात्रा कर रहे थे जब पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया था । अभिलेख पर यह भी सिद्ध हो गया है कि उक्त यान से, यान की आगे की सीटों के बीच स्थित स्थान पर पड़े एक बैग से 2.900 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी । दोनों सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी दीना नगर, पंजाब के निवासी हैं । दोनों ने अपनी प्रतिरक्षा में एक ही बात कही और विचारण के दौरान किसी भी समय उनके द्वारा यह प्रतिवाद नहीं किया गया कि वे एक दूसरे को जानते नहीं थे और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था । संयुक्त रूप से उनके कब्जे वाले यान से चरस की बरामदगी अभिलेख पर सिद्ध होने के पश्चात् यह स्पष्ट करना उनका दायित्व था कि वह चरस किसकी थी । किसी प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय ने सही रूप से यह उपधारणा बनाई कि बरामद हुए विनिषिद्ध पदार्थ के परिवहन में दोनों व्यक्ति संलिप्त थे । अभिलेख पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यान के दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने से संबंधित एक साधारण कहासुनी में पुलिस ने सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर एक मिथ्या मामला थोपा है और वह भी 2.900 किलोग्राम चरस की बरामदगी का मामला । अभिलेख पर यह साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है कि पुलिस अधिकारियों की सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से कोई दुश्मनी थी या उनके पास उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए कोई न्यायोचित कारण था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा विनिषिद्ध

पदार्थ के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले यान के दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे । अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारियों उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) और निरीक्षक-स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने यान के स्वामित्व को अभिनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही यान के स्वामित्व के संबंध में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा कोई प्रकटन किया गया था । अन्वेषण अधिकारियों के पास यान का रजिस्ट्रीकरण संख्याक उपलब्ध था और यह उनका कर्तव्य था कि वे उसके स्वामी का पता लगाने के लिए संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण से सम्पर्क करते । इस बात का अन्वेषण करना भी आवश्यक था कि तस्करी किए जा रहे विनिषिद्ध पदार्थ का गंतव्य स्थान क्या था जिससे इस तस्करी के रैकेट के सरगना को पकड़ा जा सके और उसे तद्नुसार दंडित किया जा सके क्योंकि इस संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता कि सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी केवल वाहक हैं । इसके अतिरिक्त, यान के स्वामी का पता लगाना भी आवश्यक है क्योंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 60(3) उस समय विनिषिद्ध पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे किसी यान के अधिहरण के लिए उपबंध करती है, जब तक कि यान का स्वामी यह साबित न कर दे कि उसका उपयोग उसकी जानकारी के बिना या स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, और यान के प्रभारी व्यक्ति की मौनानुकूलता से किया गया है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने इस प्रकार के उपयोग को रोकने के लिए सभी सुसंगत पूर्वावधानियां बरती थी । हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि न तो पुलिस ने यान के स्वामी का पता लगाने की चेष्टा की और न ही यान का स्वामी उस पर दावा करने के लिए सामने आया । अतः विचारण न्यायालय ने अपील फाइल होने की अवधि के अवसान के पश्चात् इस कार्य में संलिप्त यान के अधिहरण हेतु आदेश किया है । इस आदेश का निष्पादन 90 दिन के अवसान के पश्चात् विधि के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा । (पैरा 39, 40, 41 और 42)

सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने यह स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर उपस्थित थे । वे दूर स्थित पंजाब के निवासी हैं, जिनका

उस स्थान से कोई संबंध नहीं था जहां से वे आ रहे थे और जहां उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया था । यह भी एक सुस्थापित विधि है कि अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को सिद्ध करना होता है । तथापि, यह भी सुस्थापित है कि वर्तमान मामले जैसे मामलों में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और धारा 54 के उपबंधों के कारण अभियुक्त पर एक प्रतिलोम दायित्व होता है और इसलिए इन धाराओं में उपबंधित किए गए अनुसार अभियोजन के पक्षकथन संबंधी उपधारणा का खण्डन करने का दायित्व अभियुक्तों पर आ जाता है । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में अभियोजन यह सिद्ध करने में समर्थ रहा है कि सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के सचेतन और अनन्य कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी हुई है । इसका खण्डन करने के लिए सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के लिए यह आवश्यक था कि वे अभिलेख पर ऐसी कुछ सामग्री प्रस्तुत करें जो इस बात को न्यायोचित साबित करे कि वे एक अज्ञात क्षेत्र में पर्यटक के रूप में उपस्थित थे या विनिषिद्ध पदार्थ के परिवहन से भिन्न किसी अन्य कारबार के सिलसिले में उपस्थित थे । अभिलेख पर ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है जो यह उपदर्शित करे कि विनिषिद्ध पदार्थों के परिवहन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी संबद्ध क्षेत्र में आए थे जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि अभियोजन ने अकाट्य, विश्वसनीय, निश्चयी और विश्वासोत्पादक साक्ष्य प्रस्तुत करके युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित करने में समर्थ रहा है । अभिलेख पर यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी ऐसे साक्ष्य की अनदेखी की है जो सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के पक्ष में था या उसे अस्वीकार्य के रूप में विचार में लिया है या अभियोजन के पक्ष में किसी असंगत साक्ष्य को विचार में लिया है । अतः, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संदीप कुमार और अन्य वाले मामले में विशेष न्यायाधीश, चम्बा प्रभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में तारीख 14 मार्च, 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है

और सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । (पैरा 44, 45 और 46)

तारीख 21 मार्च, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्येक को तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्येक को तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्येक को तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों में से प्रत्येक को प्रत्येक अपराध के लिए 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इनमें से प्रत्येक का व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे । बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ की मात्रा 2.900 किलोग्राम है और अपराध किए जाने के समय सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की आयु क्रमशः 33 और 36 वर्ष थी तथा उनकी ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि उनके जीवन के इस प्रक्रम पर वे अपने-अपने कुटुंबों का भरणपोषण करने की बाध्यता के अधीन हैं किन्तु उन्हें निरुद्ध रखे जाने के कारण उनके कुटुंबों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त 2016 की दांडिक अपील सं. 554 में खेमचंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में इसी न्यायालय ने 2.100 किलोग्राम के विनिषिद्ध पदार्थ को अपने सचेतन और अनन्य कब्जे में रखने के लिए एक व्यक्ति को तारीख 31 अगस्त, 2018 को 10 वर्ष के कठिन कारावास का दंड दिया था और केवल 1,00,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया था और साथ ही सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंड की मात्रा को कम करने का अनुरोध किया है । इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है

कि अन्वेषण अधिकारी ने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि बरामद की गई चरस का उपापन कहां से किया गया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था तथा इसके परिवहन के लिए प्रयुक्त यान का स्वामी कौन था और वह यान सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के कब्जे में किस प्रकार था । नशे का व्यसन समाज के लिए एक बड़ा खतरा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को नष्ट कर रहा है । फिर भी अन्वेषण अधिकारी ने लापरवाह दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने अन्वेषण को केवल विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभियुक्तों के विरुद्ध चालान तैयार करने तक सीमित रखा और उसने विनिषिद्ध पदार्थ के स्रोत और गंतव्य स्थल के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया । जहां तक अभियुक्त के इस अभिवाक् का संबंध है कि उसके जेल में बंद होने के कारण उसका कुटुंब अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, मान्य नहीं है और सामान्यतः ऐसे मामलों में उसे इस आधार पर दंड की मात्रा को कम करने के लिए विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वह केवल अभियुक्त के लिए सहानुभूति मात्र ही होगा जिसके लिए विधि में कोई स्थान नहीं है और वह भी सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों जैसे व्यक्तियों के लिए जिनके द्वारा परिवहन किए जाने वाले विनिषिद्ध पदार्थों का उपभोग करने से बड़ी संख्या में परिवार कष्ट भोग रहे हैं या नष्ट हो गए हैं और यह एक कठोर दंडादेश अधिरोपित करने के लिए भी एक सुसंगत कारक है । तथापि, उपरोक्त संप्रेक्षणों पर ध्यान न देते हुए हम मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में दंड की मात्रा के संबंध में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में काफी बल पाते हैं । हम इस बात पर भी सहमत हैं कि ऊपर कथित खेमचंद वाले मामले में समान परिस्थितियों के अधीन दंड की मात्रा को कम किया गया था और इसलिए वर्तमान मामले में भी दंड की मात्रा को कम किया जाना चाहिए तथा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को प्रत्येक को 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,00,000/- रुपए का जुर्माने के रूप में संदाय करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाए । यह सत्य है कि वर्तमान मामले में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से

बरामद की गई चरस की मात्रा 2.900 किलोग्राम है । तथापि, इस निर्णय में ऊपर किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए कि वे केवल विनिषिद्ध पदार्थ के वाहक थे और अन्वेषण अधिकारी ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि वे किस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे थे और उन्होंने चरस का क्रय कहां से किया था, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित 13 वर्ष के कठोर कारावास का दंड उनके द्वारा किए गए अपराध की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक प्रतीत होता है । अतः, हम वर्तमान मामले में, अपील के खारिज किए जाने पर ध्यान न देते हुए यह उचित समझते हैं कि सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंड को कम किया जाना चाहिए । अतः, आक्षेपित निर्णय को उपान्तरित करते हुए हम दोनों अभियुक्तों में से प्रत्येक को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास को भोगने और साथ ही प्रत्येक को 1,00,000/- रुपए की राशि का जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश देते हैं । समान रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 और 29 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए भी उन्हें पुनः 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और साथ ही प्रत्येक को जुर्माने के रूप में 1,00,000/- रुपए का संदाय करने का दंड दिया जाता है । तथापि, दोनों सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । (पैरा 47, 48 और 50)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 2 शिमला एल. सी. 702 (एच. पी.) : **राजू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	17
[2018]	(2018) 2 शिमला एल. सी. 1090 (एच. पी.) : **मोहर सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	17
[2018]	(2018) 15 एस. सी. सी. 725 : **शंकर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	18

[2017] (2017) 3 शिमला एल. सी. 1768 (एच. पी.) :
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **मोहित और अन्य** ; 18

[2015] (2015) 12 एस. सी. सी. 247:
मलखान सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 17

[2015] (2015) 17 एस. सी. सी. 554 :
बलदेव सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 17

[2013] (2013) 15 एस. सी. सी. 315 :
गोविन्दा राजू बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 18

[2013] (2013) 14 एस. सी. सी. 420 :
ज्ञानचंद और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य** ; 19

[2013] (2013) 15 एस. सी. सी. 177 :
सुनील महादेव जाधव बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 19

[2012] (2012) 5 एस. सी. सी. 766 :
नील कुमार बनाम **हरियाणा राज्य** ; 19

[2010] (2010) 12 एस. सी. सी. 310 :
मनु साहो बनाम **बिहार राज्य** ; 19

[2010] (2010) 9 एस. सी. सी. 747 :
संतोष कुमार सिंह बनाम **राज्य** ; 19

[2007] (2007) 7 एस. सी. सी. 625 :
गिरिजा प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि
बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 17

[2003] (2003) 12 एस. सी. सी. 257 :
दुर्गा प्रसाद बनाम **राजस्थान राज्य** ; 19

[2003] (2003) 1 एस. सी. सी. 534 :
सहदेवन बनाम **राज्य** ; 19

[2000] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1436 :
सुच्चा सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 19

[1972] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1756 :
गणवन्तलाल बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 19

[1956] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404 :
शंभुनाथ मेहरा बनाम **अजमेर राज्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 408.

2016 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में विशेष न्यायाधीश, चम्बा प्रभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 14 मार्च, 2017/21 मार्च, 2017 को पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती वीना शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री नरिन्दर गुलेरिया (अपर महाधिवक्ता) और जे. एस. गुलेरिया, उपमहाधिवक्ता के साथ विकास राठौर, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने दिया ।

न्या. ठाकुर – वर्तमान अपील सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा पुलिस थाना किहार, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत 2016 की मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 2, तारीख 11 जनवरी, 2016 के आधार पर फाइल किए गए हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संदीप कुमार और अन्य वाले 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में विशेष न्यायाधीश, चम्बा प्रभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 14 मार्च, 2017/21 मार्च, 2017 को पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । यह मामला स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एन. डी. पी. एस. अधिनियम कहा गया है) की धारा 20, 25 और 29 के उपबंधों के अधीन फाइल किया गया है जिसके द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग), 25 और 29 के उपबंधों के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए

तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इसका व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे । इसके अतिरिक्त, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इसका व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे । इसके अतिरिक्त, उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,50,000 रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इसका व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे ।

2. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है ।

3. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार तारीख 11 जनवरी, 2016 को पूर्वाह्न 9 बजे जिला चम्बा में स्थित बंजनू मोड़ नामक स्थान पर सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को 2.900 किलोग्राम की चरस का परिवहन करते हुए पाया गया और उक्त चरस उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे यान सं. पी.बी.-08-0090(टोयटा इनोवा) में उनके अनन्य और सचेतन कब्जे में पाई गई, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ii)(ग), 25 और 29 के अधीन दंडनीय अपराध है ।

4. संक्षिप्त रूप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) के नेतृत्व में एक पुलिस दल, जिसमें हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1),

कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2), हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) और चालक एस. पी. ओ. देशराज (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) सम्मिलित थे, तारीख 11 जनवरी, 2016 को अपराह्न 7.37 बजे पुलिस थाना, किहार की दैनिक थाना डायरी में रिपोर्ट जी. डी. सं. 023, तारीख 11 जनवरी, 2016 को अभिलिखित करने के पश्चात् पैट्रोलिंग और नाकाबंदी के लिए एक सरकारी यान में अपराह्न लगभग 7.45 बजे पुलिस स्टेशन से चकोली धारगला की ओर निकला था और वे अन्वेषण किट, इलेक्ट्रोनिक तराजू, टार्च और डिजिटल कैमरा से लैस थे । पुलिस दल सर्वप्रथम चकोली गया और वहां कुछ देर के लिए रुका और उसके पश्चात् उन्होंने बंजनू मोड़ पर नाकाबंदी की । अपराह्न लगभग 9 बजे एक यान तेज गति से धारगला की ओर से आया जिसमें चालक सहित दो व्यक्ति मौजूद थे, जिसे निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) द्वारा इशारा किए जाने पर चालक ने नाके पर रोक दिया । उस समय चालक सकपका गया जिससे पुलिस दल को संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने यान के दस्तावेजों और यान में मौजूद दोनों व्यक्तियों की शनाख्त के संबंध में छानबीन की । तदुपरान्त, यान में मौजूद दोनों व्यक्तियों ने सिद्धदोष व्यक्तियों के रूप में अपनी शनाख्त प्रकट की किन्तु वे यान के दस्तावेज प्रस्तुत करने में हिचकिचा रहे थे, जिससे पुलिस दल को यह और संदेह हुआ कि वे किसी अवैध क्रियाकलाप में संलिप्त हैं और इसलिए निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1) और हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में यान की जांच की और इस जांच के दौरान यान की आगे की सीटों के बीच एक कैरी बैग पाया गया, जिसकी जांच करने पर उसमें से 2.900 किलोग्राम का विनिषिद्ध पदार्थ पाया गया, जिसकी पहचान चरस के रूप में की गई । तदुपरान्त, चरस पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) तैयार किया गया और उसके पश्चात् बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ का वजन किया गया और उसे उस कैरी बैग के साथ, जिसमें वह पाया गया था, एक कपड़े के पार्सल में सीलबंद किया गया तथा उस पर 'आर' की सील लगाई गई तथा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) के द्वारा

उसका अभिग्रहण किया गया । 'आर' सील संबंधी सील की छाप को एक कपड़े (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) पर भी लिया गया । स्थल पर ही एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) के स्तंभ 1 से 8 को तीन प्रतियों में भरा गया और उन पर भी सील की प्रतिकृति को अंकित किया गया । रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) भी तैयार किया गया और उसे कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) के माध्यम से पुलिस थाना, किहार भेजा गया तथा उसकी एक प्रति भी एस. डी. पी. ओ. सलूनी को हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) के माध्यम से भेजी गई । पुलिस थाना, किहार में कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) के पहुंचने पर उसके द्वारा लाए गए रुक्के (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.9/बी) के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 2/16, तारीख 11 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.9/ए) रजिस्टर की गई और मामले संबंधी फाइल को कांस्टेबल धनबीर सिंह को सौंपा गया ताकि वह उसे उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) को सौंप सके ।

5. चरस की बरामदगी के समय, निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने पुलिस थाना, किहार को टेलीफोन से एक संदेश भेजा था जिसमें एक अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल पर भेजने का निदेश दिया गया था । उक्त अनुदेशों को दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. प्रविष्टि सं. 026, तारीख 11 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/बी) के द्वारा अपराह्न 9.15 बजे अभिलिखित किया गया और उप निरीक्षक/अपर स्टेशन हाउस अधिकारी सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) अपने निजी यान के माध्यम से घटनास्थल पर पहुंचे ।

6. निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने वस्तु-सूची (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/डी) तैयार की और उसे घटनास्थल पर अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) को मामले से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों और वस्तुओं के साथ सौंप दिया । अभि. सा. 13 जगदीश चंद द्वारा घटनास्थल की पहचान किए जाने के आधार पर उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) ने स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) तैयार किया । उसके पश्चात् निरीक्षक/स्टेशन

हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) पुलिस थाना किहार लौट आए और उन्होंने पुलिस थाने में पहुंचने संबंधी प्रविष्टि दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 002, तारीख 12 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/सी) द्वारा की ।

7. उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) ने साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया और साथ ही सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से परिप्रश्न किए और उन्हें अपराह्न 11.45 बजे ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ) द्वारा गिरफ्तार किया और साथ ही उनकी जामातलाशी संबंधी ज्ञापन [जामातलाशी (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी] तैयार किए । सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थियों की गिरफ्तारी संबंधी जानकारी उनके नातेदारों को भी दी गई और इस प्रभाव का पृष्ठांकन गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ) में भी किया गया । जिसके पश्चात् उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) पुलिस अधिकारियों तथा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के साथ पुलिस थाना, किहार वापस आए तथा सी. एच. सी., किहार में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की चिकित्सीय परीक्षा करने के पश्चात् इस संबंध में और पुलिस दल के वापस थाने में आने से संबंधित प्रविष्टि रात्रि 1.30 बजे दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 003, तारीख 12 जनवरी, 2016 द्वारा की गई । मामले से संबंधित वस्तुओं को सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद (अभि. सा. 9) के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने बरामद हुए विनिषिद्ध पदार्थ को सील 'ए' लगाकर पुनः सीलबंद किया तथा पुनः सील बंद किए जाने संबंधी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/डी) तैयार किया, सील 'ए' चिह्न को एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) पर लगाया और साथ ही उसके पृष्ठ भाग पर नमूना सील के चिह्न को भी अंकित किया, जिसे उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया द्वारा तैयार किया गया था (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/सी) । एन. सी. बी. प्ररूप के स्तंभों को सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद (अभि. सा. 9) द्वारा भरा गया और इस प्रभाव की एक प्रविष्टि रात्रि 2.20 बजे दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 005, तारीख 12 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/जी) द्वारा की गई ।

तत्पश्चात्, मामले से संबंधित वस्तुओं को हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 7) के पास जमा किया, जो एम. एच. सी. प्रभात नाहर (अभि. सा. 8) की अनुपस्थिति में एम. एच. सी. का पदभार संभाल रहा था । हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 7) ने मामले से संबंधित वस्तुओं की प्रविष्टि क्रम सं. 98/16 के रूप में की और उन्हें मालखाने में रख दिया । दस्तावेजों सहित मामले से संबंधित वस्तुएं और मालखाना रजिस्टर के उद्धरण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए पर हैं । एम. एच. सी. प्रभात नाहर (अभि. सा. 8) द्वारा अपना पदभार ग्रहण कर लेने पर तारीख 12 जनवरी, 2016 को मामले से संबंधित वस्तुओं को उसे सौंप दिया गया और उसने हैड कांस्टेबल तेज सिंह (अभि. सा. 7) से मामले से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें राज्य की न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में आर. सी. सं. 2/2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ए) द्वारा भेजा था तथा उन वस्तुओं के साथ दस्तावेजों, नमूना सीलों, एन. सी. बी. प्ररूप और अभिग्रहण ज्ञापन को भी कांस्टेबल सोहन सिंह (अभि. सा. 6) के माध्यम से भेजा गया, जिसने इन सभी वस्तुओं को राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में जमा करने के पश्चात् उनकी पावती एम. एच. सी. प्रभात नाहर (अभि. सा. 8) को सौंप दी । एम. एच. सी. प्रभात नाहर ने एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) के स्तंभ 12 को भी भरा ।

8. हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) ने शासकीय डिजिटल कैमरा के माध्यम से फोटो (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13-बी/1 से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13-बी/8) लिए थे । सलूनी स्थित एस. डी. पी. ओ. के निवास पर रुक्के की प्रति को सौंपने के पश्चात् वह पूर्वाह्न लगभग 8.05 बजे वापस पुलिस थाना किहार पहुंचा और उसने इस प्रभाव की प्रविष्टि (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/डी) दैनिक स्टेशन डायरी में जी. डी. सं. 010, तारीख 12 जनवरी, 2016 के माध्यम से पूर्वाह्न 8.05 बजे की थी ।

9. एच. एस. सी. मोतीलाल (अभि. सा. 10) द्वारा रपट सं. 23 और 26, तारीख 11 जनवरी, 2016 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/बी), रपट सं. 3 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/एफ), रपट सं. 5 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/जी) तथा रपट सं. 10 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/डी) अभिलिखित की गई ।

10. तारीख 13 जनवरी, 2016 को उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 57 के अधीन विशेष रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए) तैयार की और उसे एल. सी. मुर्तू (अभि. सा. 4) के माध्यम से एस. डी. पी. ओ., सलूनी को भेजा । एस. डी. पी. ओ., सलूनी ने उसका परिशीलन करने के पश्चात् उस रिपोर्ट को अभिलेख हेतु अपने रीडर कांस्टेबल संजय कुमार (अभि. सा. 5) को सौंप दिया ।

11. एच. एस. सी. राय सिंह (अभि. सा. 12) तारीख 27 जनवरी, 2016 को राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा से मामले संबंधी संपत्ति और रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स.) को लाया और उन्हें तारीख 29 जनवरी, 2016 को एम. एच. सी. को सौंपा ।

12. राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा, शिमला से रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स) प्राप्त होने के पश्चात् उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया ने चालान तैयार किया और उसे स्टेशन हाउस अधिकारी को सौंप दिया जिसे न्यायालय में फाइल किया गया ।

13. विचारण न्यायालय ने प्रथमदृष्ट्या रूप से सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को अपराध में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (ii)(ग), 25 और 29 के उपबंधों के अधीन आरोप विरचित किए जिस संबंध में उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा प्रस्तुत किया । विचारण पूरा होने पर, ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार उन्हें सिद्धदोष ठहराया गया ।

14. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 13 साक्षियों की परीक्षा की । जबकि सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात् अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का विकल्प लिया । उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे तथापि, उन्होंने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया है जिसके संबंध में उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया कि पुलिस के साथ कहा

सुनी हो जाने के कारण उन पर यह मिथ्या मामला थोपा गया है ।

15. सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्रीमती वीना शर्मा ने यह तर्क दिया कि अन्वेषण अधिकारी, सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से विनिषिद्ध पदार्थ की अभिकथित बरामदगी से संबंधित तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र साक्षी को बनाने में असफल रहे यद्यपि घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता संभव थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह और दलील दी कि स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में शासकीय साक्षियों के कथनों को अत्यधिक ध्यानपूर्वक और सावधानी से जांचना आवश्यक होता है तथा विचारण न्यायालय उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) के घटनास्थल पर पहुंचने के समय, निरीक्षक स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) के पुलिस थाने में पहुंचने के समय और साथ ही उस बैग के रंग, जिसमें से अभिकथित रूप से विनिषिद्ध पदार्थ बरामद किया गया था, से संबंधित सारवान् विरोधाभासों और फर्कों को नोटिस करने में असफल रहा है । उनके अनुसार, ये विरोधाभास मामले की जड़ तक जाते हैं तथा अभियुक्त-व्यक्तियों से विनिषिद्ध पदार्थ की अभिकथित बरामदगी के संबंध में संदेह उत्पन्न करते हैं । अंत में, सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि उनकी आयु क्रमशः 33 और 36 वर्ष है तथा उन पर अपने-अपने परिवारों के भरणपोषण की जिम्मेदारी है, जो उनकी अनुपस्थिति के कारण अत्यधिक कठिनाइयां झेल रहे हैं और इसलिए विकल्प के रूप में दंड की मात्रा में कमी करने का अनुरोध किया गया है ।

16. श्री विकास राठौर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के स्थल की प्रकृति और बरामदगी के समय को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र साक्षी बनाना संभव नहीं था और शासकीय साक्षियों के कथनों में कोई सारवान् विरोधाभास नहीं है । इसकी बजाय अभियोजन पक्ष ने अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक साक्षियों को प्रस्तुत करके युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है और विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि

के लिए दिए गए कारणों के आधार पर भी उन्होंने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

17. निःसंदेह रूप से, तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र साक्षी बनाना आवश्यक समझा जाता है जिससे निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त हेतु सुरक्षोपाय उपलब्ध कराए जा सकें और यह ऐसे मामलों में संलिप्त अभियुक्त की निजी स्वतंत्रता के तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है । तथापि, उसी समय यह भी सुस्थापित है कि जहां किन्हीं विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अन्वेषण अधिकारी स्वतंत्र साक्षियों को ढूंढने में समर्थ नहीं है क्योंकि ऐसे साक्षी सभी स्थानों पर सभी समय उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां स्वतंत्र साक्षी न बनाया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक सिद्ध नहीं होगा और दोषसिद्धि शासकीय साक्षियों के साक्ष्य की अतिरिक्त ध्यानपूर्वक और सावधानी से की गई जांच के पश्चात् उनके अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है । पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का केवल इस कारण से परित्याग नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस बल से संबंध रखते हैं । उनके परिसाक्ष्य पर तब तक किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्षी के समान विश्वास करना होगा जब तक कि अभिलेख पर यह साबित नहीं कर दिया जाता कि शासकीय साक्षियों का किसी दुश्मनी या अन्यथा के कारण अभियुक्त को मिथ्या रूप से अपराध में फंसाने का कोई विशेष हित था । सामान्य अनुक्रम में प्रत्येक सक्षम साक्षी, चाहे वह शासकीय साक्षी हो अथवा स्वतंत्र साक्षी, समान बल रखता है । स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति या उनके द्वारा की जाने वाली संपुष्टि की अनुपस्थिति में शासकीय/पुलिस के साक्षियों पर अविश्वास करने संबंधी कोई उपधारणा मौजूद नहीं है । इसके विपरीत, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ऐसे साक्षियों के ईमानदार साक्ष्य की उपधारणा सामने रखी जाती है । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शासकीय साक्षी अभियोजन अभिकरण का ही भाग है, न्यायालयों ने ऐसे मामलों में, जहां स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाए गए हैं या उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न करने का विकल्प लिया है, वहां अतिरिक्त ध्यान और सावधानी से

साक्ष्य की गहन जांच करने का नियम बनाया है । जहां किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र साक्षियों को ढूंढना संभव न हो, वहां दोषसिद्धि शासकीय साक्षियों की विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है । (देखिए **गिरिजा प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], **मलखान सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2], **बलदेव सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[3], **राजू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[4] और **मोहर सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[5])

18. यह भी सुस्थापित है कि अभियोजन साक्षियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे तोते की तरह रटा-रटाया अभिसाक्ष्य दें । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी घटना या तथ्य का अवलोकन, उसे ग्रहण करने, धारण और उसका वर्णन करने की भिन्न-भिन्न क्षमता होती है । अतः, साक्षियों के अभिसाक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभासों, फर्कों या अन्तरों की संभावना सदैव बनी रहती है । तथापि, ऐसे सूक्ष्म विरोधाभास, असंगतता, फर्क और अलंकरण या सुधार, जो तुच्छ प्रकृति के हैं और अभियोजन के पक्षकथन को मूलभूत रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं हैं । केवल ऐसे विरोधाभास ही सारवान् विरोधाभास होंगे जो मामले की जड़ तक जाते हैं और जो साक्षियों की विश्वसनीयता और साथ ही अभियोजन पक्ष की कहानी को डावांडोल करते हैं और इस प्रकार निष्पक्ष विचारण पर संदेह उत्पन्न करते हैं । (देखिए **एस. गोविन्दा राजू** बनाम **कर्नाटक राज्य**[6], शंकर बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[7] और **राजू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) ।

---

[1] (2007) 7 एस. सी. सी. 625.

[2] (2015) 12 एस. सी. सी. 247.

[3] (2015) 17 एस. सी. सी. 554.

[4] (2018) 2 शिमला एल. सी. 702 (एच. पी.).

[5] (2018) 2 शिमला एल. सी. 1090 (एच. पी.).

[6] (2013) 15 एस. सी. सी. 315.

[7] (2018) 15 एस. सी. सी. 725.

19. दांडिक मामलों में, अभिलेख पर तथ्यों को लाना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है । तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 इसका एक अपवाद है और इसे कतिपय ऐसे आपवादिक मामलों हेतु उपबंधित किया गया है, जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए कतिपय ऐसे तथ्यों, जो विशिष्ट रूप से अभियुक्त की अनन्य जानकारी में हैं, को सिद्ध करना असंभव होगा और ऐसे तथ्य केवल अभियुक्त द्वारा ही अभिलेख पर केवल उस दशा में लाए जाएंगे जब वे उसकी निर्दोषिता को साबित करने के लिए उल्लिखित किए जाने अपेक्षित हों क्योंकि वे तथ्य विनिर्दिष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति की जानकारी में हैं तथा ऐसे किसी मामले में उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर निर्भर करता है । धारा 106 का आशय अभियोजन पक्ष को, सुसंगत संदेह के परे अभियुक्त के दोष को साबित करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करना नहीं है । अपितु, वह ऐसे मामलों को लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से कतिपय अन्य तथ्यों की विद्यमानता के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है और अभियुक्त, ऐसे तथ्यों के संबंध में विशेष जानकारी रखने के कारण ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्थापित करने में असफल रहता है जो न्यायालय को किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सके । (देखिए **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मोहित और अन्य**[1], **ज्ञानचंद और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[2], **शंभुनाथ मेहरा** बनाम **अजमेर राज्य**[3], **गणवन्तलाल** बनाम **मध्यप्रदेश राज्य**[4], **सुच्चा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[5], **सहदेवन** बनाम **राज्य**[6], **दुर्गा प्रसाद गुप्ता** बनाम **राजस्थान राज्य**[7], **संतोष कुमार सिंह** बनाम **राज्य**[8], **मनु साहो** बनाम **बिहार राज्य**[9], **नील कुमार**

---

[1] (2017) 3 शिमला एल. सी. 1768 (एच. पी.).

[2] (2013) 14 एस. सी. सी. 420.

[3] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404.

[4] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1756.

[5] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1436.

[6] (2003) 1 एस. सी. सी. 534.

[7] (2003) 12 एस. सी. सी. 257.

[8] (2010) 9 एस. सी. सी. 747.

[9] (2010) 12 एस. सी. सी. 310.

बनाम **हरियाणा राज्य**[1] और **सुनील महादेव जाधव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2]) ।

20. इस न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मोहित** (उपरोक्त) वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह संप्रेक्षण किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिया गया कथन सारवान् साक्ष्य नहीं है अपितु इसे अभिलेख पर मौजूद तथ्यों की संपुष्टि करने हेतु विचार में लिया जा सकता है । किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए प्रश्न के उत्तर में लिए गए मिथ्या अभिवाक् को अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में किसी टूटी कड़ी को जोड़ने हेतु विचार में लिया जा सकता है । किन्तु यह अभियोजन पक्ष को अपने पक्षकथन को साबित करने की उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष द्वारा उसके पक्षकथन के आधारिक तथ्यों को साबित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता । अभियोजन पक्ष का संपूर्ण पक्षकथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उसके कथन में किए गए अभिवाक् पर आधारित नहीं हो सकता । यह भी सुस्थापित है कि अभियुक्त द्वारा उसकी विलोम जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किया गया कथन, जो प्रतिपरीक्षा का अवसर दिए बिना तथा बिना शपथ के दिया गया एक कथन है, सारवान् साक्ष्य नहीं है और अभियुक्त से यह अपेक्षित है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करे ।

21. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधीन किए जाने वाले अपराध गंभीर अपराध हैं अपितु वे इस कारण से जघन्य अपराध भी हैं कि ये न केवल व्यष्टि और उसके कुटुंब को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यापक रूप से समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इस कारण से ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संकट को रोकने के लिए कड़े उपबंधों को

---

[1] (2012) 5 एस. सी. सी. 766.

[2] (2013) 15 एस. सी. सी. 177.

अधिनियमित किया गया है और इसलिए किसी विनिषिद्ध पदार्थ को कब्जे में रखने के किसी मामले में, जिसके संबंध में कोई व्यक्ति समाधानप्रद रूप से जवाब देने में असफल रहता है सदोष मानसिक स्थिति की विलोम उपधारण और अपराध के किए जाने के संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के अधीन उपबंध किए गए हैं ।

22. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 निर्दोषिता साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डालती है और उसमें यह कहा गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाए कि अभियुक्त ने ऐसे विनिषिद्ध पदार्थ, जिसकी उससे बरामदगी की गई है और वह समाधानप्रद रूप से उसके बारे में जवाब देने में असफल रहा है, के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन अपराध किया है ।

23. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 यह भी उपबंध करती है कि अभियुक्त की सदोष मानसिक स्थिति होने संबंधी उपधारणा और यह साबित करने की जिम्मेदारी कि ऐसी कोई मानसिक स्थिति, जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, उपस्थित नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति पर है । अधिनियम की धारा 35 का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि सदोष मानसिक स्थिति में आशय, हेतु, तथ्य की जानकारी और उसमें विश्वास या किसी तथ्य में विश्वास करने का कारण भी सम्मिलित हैं ।

24. निःसंदेह रूप से, अभियुक्त को मौन रहने का अधिकार है क्योंकि उसे, उसके स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता । तथापि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है यह भी सुस्थापित है कि यदि अपराध में फंसाने वाली सामग्री को पूर्णतया स्थापित कर दिया जाता है और अभियुक्त उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

25. अब हम ऊपर चर्चा किए गए अनुसार विधि की सुस्थापित

स्थिति और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत करते हुए आगे कार्यवाही करेंगे ।

26. अभियोजन द्वारा एक बार सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिए जाने पर कि विनिषिद्ध पदार्थ सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के अधिभोग वाले यान से बरामद हुआ था, यह जिम्मेदारी अभियुक्त व्यक्तियों पर है कि वे विनिषिद्ध पदार्थ के सचेतन कब्जे की उपधारणा का अभिलेख पर ऐसा स्पष्टीकरण लाकर खण्डन करें, जो निश्चित रूप से चाहे सुसंगत संदेह से परे न हो किन्तु वह कम से कम संभावना के दायरे में आता हो । किन्तु सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी यह स्पष्टीकरण देने की विलोम जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के अधीन अपेक्षित है और जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 के अधीन उपधारणा को आमंत्रित करती है ।

27. वर्तमान मामले में, हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1), कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2), हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3), निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13), अन्वेषण अधिकारी के साथ, रजिस्ट्रीकरण सं. पीबी-08-एटी-0090 वाले टोयटा इनोवा यान, जिसमें सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी एक साथ यात्रा कर रहे थे, से विनिषिद्ध पदार्थ की बरादमगी के पश्चात् उसकी तलाशी और अभिग्रहण के घटनास्थल साक्षी हैं । उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11), निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) से फोन काल प्राप्त होने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा और उसने निरीक्षक से मामले संबंधी फाइल प्राप्त करने के पश्चात् आगे का अन्वेषण किया । हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा.1), कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2), हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) और निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने अपने-अपने कथनों में पूर्ण रूप से अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि की है और यह कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2016 को अपराह्न 9 बजे बंजनू मोड़ नामक स्थान पर नाकाबंदी करने के पश्चात् उन्होंने एक यान (टोयटा इनोवा पीबी-08-एटी-0090) को धारगला की

ओर से तेज गति से आते हुए देखा था, जिसमें दो व्यक्ति मौजूद थे, निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 134) द्वारा इशारा किए जाने पर चालक ने यान को रोका, चालक को सकपकाते देखकर संदेह होने पर यान में मौजूद व्यक्तियों से परिप्रश्न किए गए जिन्होंने अपनी शनाख्त सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के रूप में की । इसके पश्चात्, उन्होंने यान के दस्तावेजों को दिखाने में हिचकिचाहट दिखाई थी जिसके उपरान्त यान की जांच की गई और उसकी आगे की सीट के बीच वाले स्थान से एक कैरी बैग पाया गया, जिस पर "शक्तिभोग इंडियन ट्रैडिशनल बासमती राइस" शब्द मुद्रित थे, जिसकी जांच करने पर पालिथीन में रखी गई छड़ और गेंद के आकार की चरस बरामद हुई । कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) को स्वतंत्र साक्षियों की तलाश में भेजा गया किन्तु एकाकी स्थान और शीतकाल के दौरान देर रात्रि होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं पाया गया । तदुपरान्त, निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चन्द (अभि. सा. 13), अन्वेषण अधिकारी ने हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह अभि. सा. 1) और हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) को तलाशी और अभिग्रहण का साक्षी बनाया । चरस का पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए), निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद द्वारा तैयार किया गया और उसके पश्चात् इस प्रकार बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ का, पुलिस दल द्वारा उसके साथ लाए गए इलैक्ट्रानिक तराजु से भार सुनिश्चित किया गया जिसे 2.900 किलोग्राम पाया गया । उसे बैग में पुनः पैक किया गया और उक्त बैग को एक कपड़े के पैकेट में सील किया गया तथा उस पर आठ स्थानों पर 'आर' सील मुद्रित की गई और उसका अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी) के द्वारा अभिग्रहण किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने तीन प्रतियों में एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) के स्तंभ 1 से 8 को भी भरा और साथ ही उसमें एन. सी. बी. प्ररूप पर तथा एक पृथक कपड़े (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) पर भी सील 'आर' का नमूना प्राप्त किया गया । सील को हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1) को सौंपा गया जो अपने अभिसाक्ष्य के समय उसे न्यायालय में लेकर आया था और जिसकी तुलना और मिलान न्यायालय में नमूना सील/सील चिह्न 'आर' के साथ

किया गया । इन साक्षियों ने यह भी कथन किया है कि तलाशी और अभिग्रहण संबंधी कार्यवाही पूरा करने के पश्चात् निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) तैयार किया जिसे कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) के माध्यम से पुलिस थाना, किहार भेजा गया तथा उसकी एक प्रति को हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) के माध्यम से एस. डी. पी. ओ., सलूनी को भेजा गया । उसके पश्चात्, निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने सभी दस्तावेजों की वस्तुसूची तैयार की और मामले की फाइल को अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) को सौंप दिया जो निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद द्वारा फोन काल करके बुलाए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचा था ।

28. हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1) और हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) ने निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद द्वारा तैयार किए गए चरस के पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए) और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी) पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की और यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन ज्ञापनों पर सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा भी घटनास्थल पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

29. उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) और निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) के अभिसाक्ष्य से यह बात सामने आई है कि वस्तु सूची (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी) तैयार करने के पश्चात् निरीक्षक/स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद ने अन्वेषण का कार्य उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया को सौंप दिया था और हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1) इस बात का साक्षी था । उसके पश्चात् उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया ने स्थलनक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) तैयार किया, साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया तथा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ) द्वारा उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने के पश्चात् उन्हें गिरफ्तार किया । उसके पश्चात् उनकी जामातलाशी लिए

यह उल्लिखित किया गया है कि बैग पीले-भूरे रंग का था । इसी तथ्य के संबंध में कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है और उसके द्वारा इस तथ्य के स्वीकार किए जाने से कि बैग (प्रदर्श पी. 2) लाल रंग का नहीं था, कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह पीले-भूरे रंग का बैग है, जिसकी पुष्टि रुक्के से भी प्राप्त होती है । एन. सी. बी. प्ररूप (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/बी) में यह अभिलिखित किया गया है कि चरस एक पीले-भूरे रंग के कैरी बैग से बरामद हुई थी जिसका तात्पर्य यह है कि बैग बहुरंगी थी अतः कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि बैग लाल रंग का नहीं है, विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा उससे पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या बैग लाल रंग का था । यह तथ्य अभियोजन के पक्षकथन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि रुक्के (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) और साथ ही न्याय विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स.) से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि बैग लाल रंग का नहीं था अपितु वह पीले-भूरे रंग का था । भूरा रंग भी लाल रंग से मिलता-जुलता होता है और किसी रंग की पहचान को ग्रहण करने का सामर्थ्य भी व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होता है । अन्यथा भी ऐसे सुदृढ़ संपूर्ण साक्ष्य, जिसे विस्तृत रूप से की गई प्रतिपरीक्षा भी आघात नहीं पहुंचा सकी थी, को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह फर्क तुच्छ प्रकृति का है ।

37. घटनास्थल पर उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) के पहुंचने के संबंध में विरोधाभास, जैसा कि सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिवाद किया गया है, यह है कि कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया घटनास्थल से उनके द्वारा प्रस्थान किए जाने तक वहां नहीं पहुंचे थे । जब कि निरीक्षक-स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने यह कथन किया है कि उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया उनके प्रस्थान से पूर्व घटनास्थल पर पहुंच गए थे और यह विरोधाभास इस कारण से महत्वपूर्ण नहीं है कि कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) और हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) के

प्रस्थान से पूर्व या उसके पश्चात् उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया के घटनास्थल पर पहुंचने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) द्वारा तैयार किया गया अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें यह दावा किया गया हो कि उसे कांस्टेबल धनबीर सिंह (अभि. सा. 2) और हैड कांस्टेबल विक्की राज (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में तैयार किया गया है । इसकी बजाय वस्तु सूची (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी), जामातलाशी ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एच) के संबंध में एकमात्र अनुप्रमाणन साक्षी हैड कांस्टेबल अविन्दर सिंह (अभि. सा. 1) है । यह विरोधाभास केवल उस समय सहायक सिद्ध हो सकता था जब यह दर्शित किया जाता कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए अनुसार समय और तारीख पर न तो पुलिस दल और न ही अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित थे । किन्तु उक्त तथ्यों के संबंध में विचारण के दौरान कोई विवाद नहीं उठाया गया है ।

38. निःसंदेह रूप से, अभियुक्त के पास मौन रहने का अधिकार है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन को उसकी दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता, तथापि, जैसा कि ऊपर परिचर्चा की गई है यह भी सुस्थापित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किए गए किसी तथ्य की पुष्टि के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

39. यह कहना सुसंगत होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने-अपने कथनों में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने यह स्वीकार किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2016 को पुलिस दल चकोली-धरगला की ओर से पैट्रोलिंग और नाकाबन्दी की ड्यूटी कर रहा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है और निरीक्षक-स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने अपराह्न 9 बजे बंजनू मोड़ के पास उन्हें उस समय रुकने का ईशारा किया था जब वे एक टोयटा इनोवा यान पीबी-08-एटी-0090 पर धरगला की ओर से आ रहे थे । उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि

यान सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी संदीप कुमार द्वारा चलाया जा रहा था और दूसरा दोषसिद्ध व्यक्ति-अपीलार्थी विपिन कुमार यान की आगे की सीट पर उसके साथ बैठा था । तथापि, उन्होंने अभियोजन के शेष पक्षकथन से इनकार किया है और यह स्पष्टीकरण दिया है कि उनके पास यान से संबंधित दस्तावेज नहीं थे और इसलिए पुलिस के साथ उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने मिथ्या मामला उन पर थोपा है ।

40. सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने इस पक्षकथन को स्वीकार किया है कि वे एक यान (टोयटा इनोवा जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक पीबी-08-एटी-0090 था) पर एक साथ यात्रा कर रहे थे जब पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया था । अभिलेख पर यह भी सिद्ध हो गया है कि उक्त यान से, यान की आगे की सीटों के बीच स्थित स्थान पर पड़े एक बैग से 2.900 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी । दोनों सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी दीना नगर, पंजाब के निवासी हैं । दोनों ने अपनी प्रतिरक्षा में एक ही बात कही और विचारण के दौरान किसी भी समय उनके द्वारा यह प्रतिवाद नहीं किया गया कि वे एक दूसरे को जानते नहीं थे और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था । संयुक्त रूप से उनके कब्जे वाले यान से चरस की बरामदगी अभिलेख पर सिद्ध होने के पश्चात् यह स्पष्ट करना उनका दायित्व था कि वह चरस किसकी थी । किसी प्रतिकूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय ने सही रूप से यह उपधारणा बनाई कि बरामद हुए विनिषिद्ध पदार्थ के परिवहन में दोनों व्यक्ति संलिप्त थे ।

41. अभिलेख पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यान के दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने से संबंधित एक साधारण कहासुनी में पुलिस ने सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर एक मिथ्या मामला थोपा है और वह भी 2.900 किलोग्राम चरस की बरामदगी का मामला । अभिलेख पर यह साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है कि पुलिस अधिकारियों की सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से कोई दुश्मनी थी या उनके पास उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए कोई न्यायोचित कारण था ।

42. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले यान के दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे । अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारियों उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) और निरीक्षक-स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) ने यान के स्वामित्व को अभिनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही यान के स्वामित्व के संबंध में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों द्वारा कोई प्रकटन किया गया था । अन्वेषण अधिकारियों के पास यान का रजिस्ट्रीकरण संख्याक उपलब्ध था और यह उनका कर्तव्य था कि वे उसके स्वामी का पता लगाने के लिए संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण से सम्पर्क करते । इस बात का अन्वेषण करना भी आवश्यक था कि तस्करी किए जा रहे विनिषिद्ध पदार्थ का गंतव्य स्थान क्या था जिससे इस तस्करी के रैकेट के सरगना को पकड़ा जा सके और उसे तद्नुसार दंडित किया जा सके क्योंकि इस संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता कि सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी केवल वाहक हैं । इसके अतिरिक्त, यान के स्वामी का पता लगाना भी आवश्यक है क्योंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 60(3) उस समय विनिषिद्ध पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे किसी यान के अधिहरण के लिए उपबंध करती है, जब तक कि यान का स्वामी यह साबित न कर दे कि उसका उपयोग उसकी जानकारी के बिना या स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, और यान के प्रभारी व्यक्ति की मौनानुकूलता से किया गया है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने इस प्रकार के उपयोग को रोकने के लिए सभी सुसंगत पूर्वावधानियां बरती थी । हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि न तो पुलिस ने यान के स्वामी का पता लगाने की चेष्टा की और न ही यान का स्वामी उस पर दावा करने के लिए सामने आया । अतः विचारण न्यायालय ने अपील फाइल होने की अवधि के अवसान के पश्चात् इस कार्य में संलिप्त यान के अधिहरण हेतु आदेश किया है । इस आदेश का निष्पादन 90 दिन के अवसान के पश्चात् विधि के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा ।

43. अन्वेषण अधिकारियों उप निरीक्षक सन्नी गुलेरिया (अभि. सा. 11) और निरीक्षक-स्टेशन हाउस अधिकारी जगदीश चंद (अभि. सा. 13) द्वारा यह गंभीर चूक हुई है क्योंकि वे विनिषिद्ध पदार्थों के गंतव्य स्थान और साथ ही यान के स्वामी का पता लगाने हेतु प्रयास करने में असफल रहे हैं । न्यायालय के समक्ष चालान फाइल करते हुए की जाने वाली जांच के समय भी इस चूक की अनदेखी की गई थी । अतः, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस संबंध में तुरंत उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करे और साथ ही चूक करने वाले अधिकारियों/पदधारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे और इस प्रकार इस मामले को उसके तर्कसंगत अंजाम तक ले जाएं ।

44. सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों ने यह स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर उपस्थित थे । वे दूर स्थित पंजाब के निवासी हैं, जिनका उस स्थान से कोई संबंध नहीं था जहां से वे आ रहे थे और जहां उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया था । यह भी एक सुस्थापित विधि है कि अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को सिद्ध करना होता है । तथापि, यह भी सुस्थापित है कि वर्तमान मामले जैसे मामलों में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और धारा 54 के उपबंधों के कारण अभियुक्त पर एक प्रतिलोम दायित्व होता है और इसलिए इन धाराओं में उपबंधित किए गए अनुसार अभियोजन के पक्षकथन संबंधी उपधारणा का खण्डन करने का दायित्व अभियुक्तों पर आ जाता है ।

45. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में अभियोजन यह सिद्ध करने में समर्थ रहा है कि सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के सचेतन और अनन्य कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी हुई है । इसका खण्डन करने के लिए सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के लिए यह आवश्यक था कि वे अभिलेख पर ऐसी कुछ सामग्री प्रस्तुत करें जो इस बात को न्यायोचित साबित करे कि वे एक अज्ञात क्षेत्र में पर्यटक के रूप में उपस्थित थे या विनिषिद्ध पदार्थ के परिवहन से भिन्न किसी अन्य कारबार के सिलसिले में उपस्थित थे । अभिलेख पर ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है जो यह उपदर्शित करे कि विनिषिद्ध पदार्थों के परिवहन से भिन्न

किसी अन्य प्रयोजन के लिए सिद्धदोष व्यक्ति-अपीलार्थी संबद्ध क्षेत्र में आए थे जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था ।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि अभियोजन ने अकाट्य, विश्वसनीय, निश्चयी और विश्वासोत्पादक साक्ष्य प्रस्तुत करके युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित करने में समर्थ रहा है । अभिलेख पर यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी ऐसे साक्ष्य की अनदेखी की है जो सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के पक्ष में था या उसे अस्वीकार्य के रूप में विचार में लिया है या अभियोजन के पक्ष में किसी असंगत साक्ष्य को विचार में लिया है । अतः, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संदीप कुमार और अन्य वाले मामले में विशेष न्यायाधीश, चम्बा प्रभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश द्वारा 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में तारीख 14 मार्च, 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

47. तारीख 21 मार्च, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्येक को तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्येक को तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्येक को तेरह वर्षों की अवधि के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और साथ ही सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों में से प्रत्येक को प्रत्येक अपराध के लिए 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने का दंड भी दिया गया है और इनमें से प्रत्येक का व्यतिक्रम करने पर वे एक-एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि का कठोर कारावास भोगेंगे ।

बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ की मात्रा 2.900 किलोग्राम है और अपराध किए जाने के समय सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों की आयु क्रमशः 33 और 36 वर्ष थी तथा उनकी ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि उनके जीवन के इस प्रक्रम पर वे अपने-अपने कुटुंबों का भरणपोषण करने की बाध्यता के अधीन हैं किन्तु उन्हें निरुद्ध रखे जाने के कारण उनके कुटुंबों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त 2016 की दांडिक अपील सं. 554 में खेमचंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में इसी न्यायालय ने 2.100 किलोग्राम के विनिषिद्ध पदार्थ को अपने सचेतन और अनन्य कब्जे में रखने के लिए एक व्यक्ति को तारीख 31 अगस्त, 2018 को 10 वर्ष के कठिन कारावास का दंड दिया था और केवल 1,00,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया था और साथ ही सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंड की मात्रा को कम करने का अनुरोध किया है ।

48. इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि अन्वेषण अधिकारी ने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि बरामद की गई चरस का उपापन कहां से किया गया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था तथा इसके परिवहन के लिए प्रयुक्त यान का स्वामी कौन था और वह यान सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों के कब्जे में किस प्रकार था । नशे का व्यसन समाज के लिए एक बड़ा खतरा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को नष्ट कर रहा है । फिर भी अन्वेषण अधिकारी ने लापरवाह दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने अन्वेषण को केवल विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और अभियुक्तों के विरुद्ध चालान तैयार करने तक सीमित रखा और उसने विनिषिद्ध पदार्थ के स्रोत और गंतव्य स्थल के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया ।

49. हम यह पुलिस विभाग और कार्यपालिका के उच्चाधिकारियों के विवेक पर छोड़ते हैं कि वे इस मामले के इस पहलु पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में किए जाने वाले अन्वेषण में मामले के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाए जिसके अन्तर्गत

विनिषिद्ध पदार्थ, जो वर्तमान मामले में चरस है, का स्रोत, जहां से उसका उपापन किया गया और वह स्थान जहां उसे ले जाया जा रहा था जैसे पहलु भी हैं और साथ ही इसमें यह पता लगाना भी है कि अभियुक्त को उसका विक्रय करने वाला व्यक्ति कौन है और अभियुक्त के मात्र वाहक होने की दशा में उस व्यक्ति का नाम, जिसके लिए वह कार्य कर रहा था, पता लगाना भी सम्मिलित है ।

50. जहां तक अभियुक्त के इस अभिवाक् का संबंध है कि उसके जेल में बंद होने के कारण उसका कुटुंब अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, मान्य नहीं है और सामान्यतः ऐसे मामलों में उसे इस आधार पर दंड की मात्रा को कम करने के लिए विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वह केवल अभियुक्त के लिए सहानुभूति मात्र ही होगा जिसके लिए विधि में कोई स्थान नहीं है और वह भी सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों जैसे व्यक्तियों के लिए जिनके द्वारा परिवहन किए जाने वाले विनिषिद्ध पदार्थों का उपभोग करने से बड़ी संख्या में परिवार कष्ट भोग रहे हैं या नष्ट हो गए हैं और यह एक कठोर दंडादेश अधिरोपित करने के लिए भी एक सुसंगत कारक है । तथापि, उपरोक्त संप्रेक्षणों पर ध्यान न देते हुए हम मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में दंड की मात्रा के संबंध में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में काफी बल पाते हैं । हम इस बात पर भी सहमत हैं कि ऊपर कथित खेमचंद वाले मामले में समान परिस्थितियों के अधीन दंड की मात्रा को कम किया गया था और इसलिए वर्तमान मामले में भी दंड की मात्रा को कम किया जाना चाहिए तथा सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों को प्रत्येक को 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और साथ ही उनमें से प्रत्येक को 1,00,000/- रुपए का जुर्माने के रूप में संदाय करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाए । यह सत्य है कि वर्तमान मामले में सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों से बरामद की गई चरस की मात्रा 2.900 किलोग्राम है । तथापि, इस निर्णय में ऊपर किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए कि वे केवल विनिषिद्ध पदार्थ के वाहक थे और अन्वेषण अधिकारी ने यह अभिनिश्चित करने के लिए

कोई प्रयास नहीं किया कि वे किस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे थे और उन्होंने चरस का क्रय कहां से किया था, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित 13 वर्ष के कठोर कारावास का दंड उनके द्वारा किए गए अपराध की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक प्रतीत होता है । अतः, हम वर्तमान मामले में, अपील के खारिज किए जाने पर ध्यान न देते हुए यह उचित समझते हैं कि सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंड को कम किया जाना चाहिए । अतः, आक्षेपित निर्णय को उपान्तरित करते हुए हम दोनों अभियुक्तों में से प्रत्येक को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास को भोगने और साथ ही प्रत्येक को 1,00,000/- रुपए की राशि का जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश देते हैं । समान रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 25 और 29 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए भी उन्हें पुनः 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और साथ ही प्रत्येक को जुर्माने के रूप में 1,00,000/- रुपए का संदाय करने का दंड दिया जाता है । तथापि, दोनों सिद्धदोष व्यक्तियों-अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

51. इसके परिणामस्वरूप, यहां ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार आक्षेपित निर्णय में आंशिक उपान्तरण करते हुए अपील भागतः मंजूर की जाती है और इस प्रकार उसका निपटारा किया जाता है ।

52. इस निर्णय की एक अधिप्रमाणित प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और साथ ही पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश को अनुपालन हेतु परिदत्त की जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

पु.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

राकेश मोहन गौतम

(2008 की दांडिक अपील सं. 462)

तारीख 21 मई, 2019

न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण वारोवालिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304क – उपेक्षा द्वारा मृत्यु – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चिकित्सा साक्ष्य और अभिलेख पर साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह पता चलता है कि मृतका की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना थी और अभियुक्त की किसी भी तरह से आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी, अतः युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

अभियोजन कहानी के अनुसार वर्तमान अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार दिए गए हैं कि तारीख 22 अप्रैल, 2002 को कमला देवी (मृतका) जो शिकायतकर्ता भागसिंह की बहिन है । किडनी स्टोन की समस्या के लिए प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अस्पताल में गए । प्रत्यर्थी ने उसे दवाइयां दीं और उसका एक्सरे किया तथा मृतका को यह राय दी कि वह चिकित्सा जांच के लिए पुन: उसके अस्पताल में पहुंचे । परिणामस्वरूप, तारीख 29 अप्रैल, 2002 को मृतका पुन: अभियुक्त के अस्पताल पर गई जहां उसका एक्सरे लिया गया था और उसे यह बताया गया था कि उसकी किडनी में पत्थर है । पत्थर को निकालना पड़ेगा जिसके लिए आपरेशन (शल्यक्रिया) किया जाना अपेक्षित है । तारीख 8 जुलाई, 2002 को मृतका भागसिंह के साथ अभियुक्त के अस्पताल पर गई और वह शल्यक्रिया के लिए भर्ती हुई । तारीख 9 जुलाई, 2009 को उसे आपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, तथापि, कुछ समय पश्चात् अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को यह बताया कि रोगी को 103 डिग्री बुखार चल रहा है । अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया था कि मृतका के आंत में छिद्र है । उस समय कोई एनेस्थेरिस्ट उपलब्ध नहीं था । मृतका

की हालत क्षीण होती ही गई और अंततोगत्वा 10.00 बजे अपराह्न उसकी मृत्यु हो गई । शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ने किडनी के स्टोन के लिए उसकी बहिन की शल्यक्रिया की थी परंतु मृत्यु प्रमाणपत्र में यह प्रकट किया गया था कि मृत्यु का कारण आंत में छिद्र और फटाव होना है । परिणामस्वरूप, घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी गई और यह अभिकथन करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि मृतका की मृत्यु डाक्टर की ओर से बरती गई उपेक्षा के कारण हुई थी । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के अस्पताल से सुसंगत अभिलेख तथा मृतका के चिकित्सा उपचार के अभिलेख कब्जे में लिए गए थे । घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर दस साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 12 फरवरी, 2008 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने से दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई है । वर्तमान अपील अपीलार्थी- हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन फाइल की गई है जिसमें दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दांडिक मामला सं. 323-1/2003/28-II/2005 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 12 फरवरी, 2008 को पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को आक्षेपित किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त द्वारा अपने अस्पताल में मृतका के तीव्र पेट दर्द के कारण चिकित्सा परीक्षा की गई थी । अभियुक्त ने दर्द की स्थिति और डायग्राम की कोमलता को भी दर्शाया है जिससे यह प्रकट होता है कि तारीख 8 जुलाई, 2002 को दर्द और कोमलता का बाईं ओर पता लगा था जबकि तारीख 22 अप्रैल, 2002 को पेट के दाहिने की ओर

दर्द का पता लगा था । जिससे यह साबित होता है कि मृतका के तारीख 8 जुलाई, 2002 को बाईं ओर नई कोमलता और दर्द बढ़ा हुआ था और उसकी पूर्व की समस्या अर्थात् दाहिनी ओर का दर्द का पूर्ण रूप से उपचार हो गया था । जबकि मृतका के सभी आवश्यक जांच (परीक्षा) अभियुक्त द्वारा कर ली गई थी । मृतका की एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि वायु और तरल पदार्थ के स्तर की वजह से आंत में बाधा उत्पन्न हुई थी और आंत से उक्त बाधा को दूर करने के लिए अभियुक्त ने मृतका के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए शल्यक्रिया को अधिमानता दी थी । प्रदर्श पी. एम. से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त ने शल्यक्रिया किए जाने से पूर्व सावधानी भी बरती थी, क्योंकि मृतका को नील ओरल डाइट में रखा था । तारीख 8 जुलाई, 2002 को मृतका की 6.00 बजे अपराह्न और 8.00 बजे अपराह्न में चिकित्सीय रूप से जांच की गई थी और इन दोनों अवसरों पर रोगी को कोई दर्द नहीं हुआ था । इससे यह अभिप्रेत है कि 4.00 बजे अपराह्न चिकित्सा उपचार प्रारंभ किया गया जिससे सकारात्मक परिणाम निकले थे । तारीख 9 जुलाई, 2002 को 12.00 बजे (मध्यरात्रि) में मृतका की पुन: परीक्षा की गई थी और कोई नई शिकायत सामने नहीं आई थी, तथापि, बाईं ओर कोमलता की बात जानकारी में आई है । तारीख 9 जुलाई, 2002 की सुबह लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न और 10.00 बजे पूर्वाह्न मृतका की पुन: चिकित्सा जांच की गई थी । उसके पश्चात् उसी दिन लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न रोगी की हालत में गिरावट आई और 103 डिग्री बुखार पता चला था । मृतका का ब्लडप्रेशर में भी उतार था और उस समय 90/60 था । तद्नुसार अभियुक्त ने तत्काल शल्यक्रिया की राय दी । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ से यह भी प्रकट होता है कि शल्यक्रिया से पूर्व, अभियुक्त ने किसी दूसरे अस्पताल में शल्यक्रिया कराने की सलाह दी थी, तथापि, शिकायतकर्ता भाग सिंह और कमला देवी ने यह आग्रह किया कि वे अभियुक्त के एस. आर. अस्पताल में रोगी को रखना चाहते हैं और इस तथ्य को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है । एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मृतका के उपचार का चार्ट है । अभियोजन पक्ष के अभिकथन के अनुसार अभियुक्त ने बिना किसी अनेस्थेटिक्ट विशेषज्ञ की सहायता के बिना मृतका की शल्यक्रिया की । तथापि, अभियुक्त द्वारा डा.

अनुराग शर्मा से अनेथेसिया की मानिटरिंग कराई गई, श्री गोपाल और भानु गुलेरिया वहां पर सहायक के रूप में थे । उनके साथ तारीख 9 जुलाई, 2002 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न अभियुक्त ने मृतका की शल्यक्रिया की थी । श्रीमती भानु (अभि. सा. 3) ने विनिर्दिष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शल्यक्रिया के समय पर डा. अनुराग शर्मा मौजूद था, जबकि अभियुक्त ने अनेथेसिया दिया था और मृतका के शरीर का केवल एक भाग अनेथेसिया के प्रभाव में था । इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अर्हित डाक्टर तथा सर्जन था और शल्यक्रिया के समय पर एक अन्य एम. बी. बी. एस. डाक्टर अनुराग शर्मा ने उसकी सहायता की थी । इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से चिकित्सा साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने मृतका को उचित उपचार दिया था और उसके स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास किया था, इसलिए, विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ठीक ही किया है कि मृतका की मृत्यु अकस्मात हुई थी जिसमें अभियुक्त की किसी भी तरह आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी । इससे यह अभिप्रेत है कि अभियुक्त ने मृतका की शल्यक्रिया करते समय कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक कार्य नहीं किया था । इन परिस्थितियों में चिकित्सा साक्ष्य में विचार करने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है तथा साक्षियों के परिसाक्ष्य, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् भी, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने में विफल हुआ है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के तर्कयुक्त निर्णय में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है । (पैरा 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 1 एस. सी. सी. 258 : **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन** ;	14
[2007]	(2007) 4 एस. सी. सी. 415 : **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	16
[2006]	(2006) 1 एस. सी. सी. 401 : **टी. सुब्रहमणयम** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 462.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एस. सी. शर्मा, शिव पाल मनहास, पी. के. भाटी अपर महाधिवक्ता साथ में राजू राम राही उप महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री अजय चंदेल अधिवक्ता

न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण वारोवालिया – वर्तमान अपील अपीलार्थी-हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन फाइल की गई है जिसमें दंड संहिता (संक्षेप में "भा. द. स." कहा गया है) की धारा 304क के अधीन दांडिक मामला सं. 323-1/2003/28-II/2005 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 12 फरवरी, 2008 को पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को आक्षेपित किया गया है ।

2. अभियोजन कहानी के अनुसार वर्तमान अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार दिए गए हैं कि तारीख 22 अप्रैल, 2002 को कमला देवी (मृतका) जो शिकायतकर्ता भागसिंह की बहिन है । किडनी स्टोन की समस्या के लिए प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अस्पताल में गए । प्रत्यर्थी ने उसे दवाइयां दीं और उसका एक्सरे किया तथा मृतका को यह राय दी कि वह चिकित्सा जांच के लिए पुन: उसके अस्पताल में पहुंचे । परिणामस्वरूप, तारीख 29 अप्रैल, 2002 को मृतका पुन: अभियुक्त के अस्पताल पर गई जहां उसका एक्सरे लिया गया था और उसे यह बताया गया था कि उसकी किडनी में पत्थर है । पत्थर को निकालना पड़ेगा जिसके लिए आपरेशन (शल्यक्रिया) किया जाना अपेक्षित है । तारीख 8 जुलाई, 2002 को मृतका भागसिंह के साथ अभियुक्त के अस्पताल पर गई और वह शल्यक्रिया के लिए भर्ती हुई । तारीख 9 जुलाई, 2009 को उसे आपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, तथापि, कुछ समय पश्चात् अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को यह बताया कि रोगी को 103 डिग्री बुखार चल रहा है । अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया था कि मृतका के आंत में छिद्र है । उस समय कोई एनेस्थेरिस्ट उपलब्ध नहीं था । मृतका

की हालत क्षीण होती ही गई और अंततोगत्वा 10.00 बजे अपराह्न उसकी मृत्यु हो गई । शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ने किडनी के स्टोन के लिए उसकी बहिन की शल्यक्रिया की थी परंतु मृत्यु प्रमाणपत्र में यह प्रकट किया गया था कि मृत्यु का कारण आंत में छिद्र और फटाव होना है । परिणामस्वरूप, घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी गई और यह अभिकथन करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि मृतका की मृत्यु डाक्टर की ओर से बरती गई उपेक्षा के कारण हुई थी । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के अस्पताल से सुसंगत अभिलेख तथा मृतका के चिकित्सा उपचार के अभिलेख कब्जे में लिए गए थे । घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर दस साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 12 फरवरी, 2008 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने से दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

4. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति का निर्णय साक्ष्य का मूल्यांकन किए बिना और उसका सही परिप्रेक्ष्य किए बिना पारित किया गया था और साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित किया है । दूसरी ओर, अभियुक्त/प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होकर विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में विफल हुआ है, इसलिए, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया दोषमुक्ति का

निर्णय स्व-कारण पर आधारित है, इसलिए, इसमें हस्तक्षेप किया जाना जरूरी नहीं है ।

5. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों का मूल्यांकन करते हुए इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से अभिलेख का परिशीलन किया और साक्षियों के कथनों की बारीकी से संवीक्षा की ।

6. भागसिंह (अभि. सा. 1) और मीरा बाई (अभि. सा. 2) ने साक्षी कठघरे में हाजिर होकर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका तारीख 22 अप्रैल, 2002 को अभियुक्त के अस्पताल पर गई थी और पुन: उससे अस्पताल आने के लिए कहा गया था । परिणामस्वरूप, तारीख 29 अप्रैल, 2002 को मृतका चिकित्सा जांच के लिए पुन: अस्पताल पर गई थी और उसे बताया गया था कि किडनी स्टोन समस्या के लिए शल्यक्रिया करनी है । तारीख 8 जुलाई, 2002 को मृतका को शल्यक्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और तारीख 9 जुलाई, 2009 को जब उसे आपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया था तब अभियुक्त ने उससे यह कहा कि मृतका को 103 डिग्री बुखार चल रहा है और लगभाग 5.00 बजे अपराह्न अभियुक्त ने यह बताया कि रोगी के आंत में एक छिद्र है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अनुसार अभियुक्त ने बिना किसी एनेस्थेरिस्ट विशेषज्ञ की मदद से शल्यक्रिया की । लगभग 9.00 बजे अपराह्न मृतका की मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 के कथन के अनुसार, मृतका की मृत्यु अभियुक्त की ओर से असावधानी बरतने के कारण हुई थी । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त को यह राय दी गई थी कि मृतका का आपरेशन किसी दूसरे अस्पताल में करवाया जाए, तथापि, उसने यह आग्रह किया कि वह एस. आर. अस्पताल में रोगी को रखना चाहता है ।

7. अभियुक्त के अस्पताल में नियुक्त लेबोट्रेरी टेकनीशियन भानु शर्मा अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 9 जुलाई, 2002 को अभियुक्त द्वारा मृतका की शल्यक्रिया की गई थी और उस समय डाक्टर अनुराग शर्मा, एम. बी. बी. एस., डाक्टर सोहन सिंह बी. एम. एस. और फार्मोशिस्ट गोपाल सिंह वहां पर मौजूद थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने स्वयं रोगी को एनेथेसिया दिया था ।

8. डाक्टर सतीश मल्होत्रा (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जुलाई, 2002 माह के दौरान अभि. सा. 1 अभियुक्त के एस. आर. अस्पताल द्वारा जारी की गई चिकित्सा रिपोर्ट को साथ लेकर उसके पास आया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अस्पताल द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हुआ था कि रोगी का किडनी स्टोन के लिए उपचार चल रहा था । तथापि, मृत्यु प्रमाणपत्र से यह प्रकट हुआ है कि मृत्यु का कारण आंतें रही थीं । इस साक्षी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को आंतों में छिद्र होने की शिकायत है तब यह संभव नहीं होता है कि ऐसा व्यक्ति खड़ा रहे और घूमता-फिरता रहे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि सुसंगत दिन को अभि. सा. 1 के अनुसार वह और अभियुक्त लगभग 5-6 किलोमीटर से पैदल चलकर आए थे । परंतु मृतका आंत में छिद्र होने के कारण 5-6 किलोमीटर नहीं चल सकी ।

9. पुलिस थाना कुल्लू के सेवानिवृत्त भारसाधक अधिकारी गमीर चंद (अभि. सा. 5) ने चालान तैयार किया था । हैड कांस्टेबल उपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मामले के अन्वेषण के दौरान उसने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अभियुक्त के अस्पताल से कुछ दस्तावेजों को कब्जे में लिया । सहायक उपनिरीक्षक किनचेन गलाइछेन (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अन्वेषण का कार्य भी किया, जिसके दौरान, उसने मृतका उपचार चार्ट तथा मृत्यु प्रमाणपत्र को अपने कब्जे में लिया जो बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क के माध्यम से लिया गया था । लूडेरमनी अभि. सा. 8 मृतका के चाचा ने इन तथ्यों के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जैसा कि शिकायतकर्ता भागसिंह द्वारा कथन किया गया है । सहायक उप निरीक्षक माथरू राम (अभि. सा. 9) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क साबित की है । उप निरीक्षक रूप सिंह (अभि. सा. 10) मामले का एक अन्य अन्वेषक अधिकारी है, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटनास्थल पर जाने के पश्चात् उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क तैयार किया । उसने नुस्खा स्लिप और एक्सरे फिल्म बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से भी कब्जे में लिए थे । अभियुक्त के अस्पताल से सुसंगत रजिस्टर को बरामदगी ज्ञापन,

प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ख के माध्यम से कब्जे में लिया था । उसने मृतका के उपचार के अन्य सुसंगत अभिलेख को बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ग के माध्यम से कब्जे में लिया था ।

10. अभियोजन का यह स्वीकृत मामला है कि तारीख 22 अप्रैल, 2002 को मृतका किडनी स्टोन समस्या के लिए अभियुक्त के अस्पताल पर गई थी और इसके पश्चात् तारीख 29 अप्रैल, 2002 को उसे किडनी स्टोन को निकालने के लिए शल्यक्रिया किए जाने की राय दी गई थी । जिस तारीख को उसका एक्सरे लिया गया था और उसे दवाइयां दी गई थीं । तारीख 29 अप्रैल, 2002 के पश्चात् मृतका अभियुक्त के पास तारीख 8 जुलाई, 2002 तक नहीं गई और इस तथ्य से यह साबित होता है कि पूर्वोक्त अवधि के दौरान मृतका के पेट में कोई दर्द या अन्य कोई समस्या नहीं हुई थी । इससे यह अभिप्रेत होता है कि अभियुक्त द्वारा तारीख 29 अप्रैल, 2002 को दी गई दवाइयों से सकारात्मक परिणाम निकले थे ।

11. अब चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करते हैं और इस बारे में प्रदर्श पी. बी., प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ और प्रदर्श पी. एन. और पी. एम. पर भी विचार करते हैं जिनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होता है जो अभिलेख पर प्रकट हैं । प्रदर्श पी. एम. से यह प्रकट होता है कि तारीख 8 जुलाई, 2002 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न, अभियुक्त द्वारा अपने अस्पताल में मृतका के तीव्र पेट दर्द के कारण चिकित्सा परीक्षा की गई थी । अभियुक्त ने दर्द की स्थिति और डायग्राम की कोमलता को भी दर्शाया है जिससे यह प्रकट होता है कि तारीख 8 जुलाई, 2002 को दर्द और कोमलता का बाईं ओर पता लगा था जबकि तारीख 22 अप्रैल, 2002 को पेट के दाहिने की ओर दर्द का पता लगा था । जिससे यह साबित होता है कि मृतका के तारीख 8 जुलाई, 2002 को बाईं ओर नई कोमलता और दर्द बढ़ा हुआ था और उसकी पूर्व की समस्या अर्थात् दाहिनी ओर का दर्द का पूर्ण रूप से उपचार हो गया था । जबकि, प्रदर्श पी. बी. से यह दर्शित होता है कि मृतका के सभी आवश्यक जांच (परीक्षा) अभियुक्त द्वारा कर ली गई थी । मृतका की एक्सरे और अल्ट्रासाउंड

रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि वायु और तरल पदार्थ के स्तर की वजह से आंत में बाधा उत्पन्न हुई थी और आंत से उक्त बाधा को दूर करने के लिए अभियुक्त ने मृतका के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए शल्यक्रिया को अधिमानता दी थी । प्रदर्श पी. एम. से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त ने शल्यक्रिया किए जाने से पूर्व सावधानी भी बरती थी, क्योंकि मृतका को नील ओरल डाइट में रखा था । तारीख 8 जुलाई, 2002 को मृतका की 6.00 बजे अपराह्न और 8.00 बजे अपराह्न में चिकित्सीय रूप से जांच की गई थी और इन दोनों अवसरों पर रोगी को कोई दर्द नहीं हुआ था । इससे यह अभिप्रेत है कि 4.00 बजे अपराह्न चिकित्सा उपचार प्रारंभ किया गया जिससे सकारात्मक परिणाम निकले थे । तारीख 9 जुलाई, 2002 को 12.00 बजे (मध्यरात्रि) में मृतका की पुन: परीक्षा की गई थी और कोई नई शिकायत सामने नहीं आई थी, तथापि, बाईं ओर कोमलता की बात जानकारी में आई है । तारीख 9 जुलाई, 2002 की सुबह लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न और 10.00 बजे पूर्वाह्न मृतका की पुन: चिकित्सा जांच की गई थी । उसके पश्चात् उसी दिन लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न रोगी की हालत में गिरावट आई और 103 डिग्री बुखार पता चला था । मृतका का ब्लडप्रेशर में भी उतार था और उस समय 90/60 था । तद्नुसार अभियुक्त ने तत्काल शल्यक्रिया की राय दी । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ से यह भी प्रकट होता है कि शल्यक्रिया से पूर्व, अभियुक्त ने किसी दूसरे अस्पताल में शल्यक्रिया कराने की सलाह दी थी, तथापि, शिकायतकर्ता भागसिंह और कमला देवी ने यह आग्रह किया कि वे अभियुक्त के एस. आर. अस्पताल में रोगी को रखना चाहते हैं और इस तथ्य को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है ।

12. एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अर्थात् प्रदर्श पी. एन. जो मृतका के उपचार का चार्ट है । अभियोजन पक्ष के अभिकथन के अनुसार अभियुक्त ने बिना किसी अनेस्थेटिक्ट विशेषज्ञ की सहायता के बिना मृतका की शल्यक्रिया की । तथापि, प्रदर्श पी. एन. के अनुसार अभियुक्त द्वारा डा. अनुराग शर्मा से अनेथेसिया की मानिटरिंग कराई गई, श्री गोपाल और भानु गुलेरिया वहां पर सहायक के रूप में थे ।

उनके साथ तारीख 9 जुलाई, 2002 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न अभियुक्त ने मृतका की शल्यक्रिया की थी । श्रीमती भानु (अभि. सा. 3) ने विनिर्दिष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शल्यक्रिया के समय पर डा. अनुराग शर्मा मौजूद था, जबकि अभियुक्त ने अनेथेसिया दिया था और मृतका के शरीर का केवल एक भाग अनेथेसिया के प्रभाव में था । इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अर्हित डाक्टर तथा सर्जन था और शल्यक्रिया के समय पर एक अन्य एम. बी. बी. एस. डाक्टर अनुराग शर्मा ने उसकी सहायता की थी ।

13. इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से चिकित्सा साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने मृतका को उचित उपचार दिया था और उसके स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास किया था, इसलिए, विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ठीक ही किया है कि मृतका की मृत्यु अकस्मात हुई थी जिसमें अभियुक्त की किसी भी तरह आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी । इससे यह अभिप्रेत है कि अभियुक्त ने मृतका की शल्यक्रिया करते समय कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक कार्य नहीं किया था । इन परिस्थितियों में चिकित्सा साक्ष्य में विचार करने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है तथा साक्षियों के परिसाक्ष्य, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् भी, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने में विफल हुआ है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के तर्कयुक्त निर्णय में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है ।

14. **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब दो मत संभव होते हैं तब अपील न्यायालय केवल इस कारण से कि दूसरा मत संभव है उस आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय को उलटना नहीं चाहिए । जब विचारण न्यायालय का निर्णय न तो प्रतिकूल है और न किसी विधिक त्रुटि से दूषित है या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार न करना/या उसका गलत मूल्यांकन करने पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को उलटना

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 258.

न्यायसंगत नहीं था ।

15. **टी. सुब्रहमणयम** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां एक ही साक्ष्य से दो मत युक्तियुक्त रूप से संभव हैं वहां पर अभियोजन पक्ष के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है ।

16. **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्तियों के मुकाबले निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किया है :-

> "42. उपरोक्त विनिश्चयों से हमारा विचारित मत यह है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है -
>
> (1) अपील न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने, पुनर्मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश सुस्थापित है ।
>
> (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त नहीं रखता है और अपील न्यायालय अपने समक्ष प्रकट साक्ष्य पर तथ्य और विधि के दोनों प्रश्नों में अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है ।
>
> (3) इस प्रकार की विभिन्न अभिव्यक्तियां, 'सारभूत और विवशकारी कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'अति प्रबल परिस्थितियां', मिथ्या निष्कर्षों, 'प्रमुख गलतियां', आदि से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की गहन शक्तियों को कम करने का आशय नहीं रखता । ऐसे वाक्यांश भाषा की उन्नति की प्रकृति में अधिकतर होती है जिससे कि

---

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 401.

[2] (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

अपील न्यायालय प्रबल रूप से इस बात की अनिच्छा व्यक्त करता है कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय की शक्ति को कम करने की अपेक्षा दोषमुक्ति पर हस्तक्षेप करे और उस पर अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाले ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को इस बात को अपने विवेक में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में यदि अभियुक्त के पक्ष में दो उपधारणाएं प्रकट होती हैं । प्रथमत:, जो निर्दोषिता की उपधारणा उसे (अभियुक्त) दांडिक विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अन्तर्गत उपलब्ध हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी जब तक कि उसे विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया हो । द्वितीयत:, अभियुक्त को अपनी दोषमुक्ति को सुनिश्चित रखना चाहिए, उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को भी विचारण न्यायालय द्वारा बल दिया जाना चाहिए या उसकी पुन: पुष्टि की जानी चाहिए ।

5. यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संभवत: दो युक्तियुक्त निष्कर्ष निकलते हैं, तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय के अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में विघ्न नहीं डालना चाहिए ।"

17. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों को और इसमें ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं और इसे खारिज किया जाता है तथा यदि कोई लंबित आवेदन है तो उनका भी निपटारा किया जाता है, तद्नुसार अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य/पा.

संसद् के अधिनियम

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

(1923 का अधिनियम संख्यांक 19)[1]

[2 अप्रैल, 1923]

शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि [2]*** **के समेकन और संशोधन के लिए अधिनियम**

[3]* * * * *

यह समीचीन है कि [2]*** शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन किया जाए ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

[4][**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना** – (1) यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह सरकार के सेवकों और भारत के नागरिकों को भी जो भारत के बाहर हैं, लागू है ।]

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, –

(1) ऐसे स्थान के प्रति, जो सरकार का है, किसी निर्देश के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जो सरकार के किसी विभाग के अधिभोग में है, भले ही वह स्थान सरकार में वास्तविक रूप में

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार 1941 के अधिनियम सं. 4 द्वारा बरार पर ; 1962 के विनियम सं. 12 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर ; 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर ; 1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 तथा अनुसूची 1 द्वारा पाण्डिचेरी पर ; 1965 के विनियम सं. 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप पर किया गया है ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों में" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा के पैरा 1 और 2 का लोप किया गया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा धारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

निहित हो या न हो ;

[1]* * * *

(2) संसूचित करने या प्राप्त करने के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार संसूचित करना या प्राप्त करना है चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक और चाहे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को ही अथवा उसके सार, आशय या वर्णन को संसूचित किया गया हो या प्राप्त किया गया हो ; किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अभिप्राप्त करने या प्रतिधृत रखने के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की पूरी या उसके किसी भाग की नकल करना या नकल करवाना भी है ; और किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की संसूचना के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज का अन्तरण या प्रेषण भी है ;

(3) "दस्तावेज" के अन्तर्गत दस्तावेज का भाग भी है ;

(4) "प्रतिमान" के अंतर्गत डिजाईन, पैटर्न और नमूना भी है ;

(5) "युद्ध सामग्री" के अन्तर्गत कोई पूरा पोत, पनडुब्बी, वायुयान, टैंक या सदृश इंजिन, आयुध और गोलाबारूद, तारपीडो या सुरंग, जो युद्ध में उपयोग के लिए आशयित या अनुकूलित हो या उसका कोई भाग तथा ऐसे उपयोग के लिए आशयित, चाहे वास्तविक या प्रस्थापित, कोई अन्य चीज, सामग्री या युक्ति है ;

(6) "सरकार के अधीन पद" के अन्तर्गत सरकार [2]*** के किसी विभाग में या उसके अधीन कोई पद या नियोजन है ;

(7) " फोटो ग्राफ" के अन्तर्गत बिना धुली हुई फिल्म या प्लेट भी है ;

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (1क) अंत:स्थापित किया गया था जिसका विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

(8) "प्रतिषिद्ध स्थान" से अभिप्रेत है –

(क) कोई रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक, बल का संस्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग-क्षेत्र, शिविर, पोत या वायुयान जो सरकार का है, या सरकार के या उसकी ओर से अधिभोग में है, कोई सैनिक तारयंत्र या टेलीफोन, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, कोई बेतार या संकेत स्टेशन या कार्यालय, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है और कोई कारखाना, डॉकयार्ड या अन्य स्थान, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, और जिसका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के या तत्संबंधी किन्हीं रेखाचित्रों, रेखांकों, प्रतिमानों या दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत, बनाने या भंडार में रखने के प्रयोजन के लिए या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों के प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है ;

(ख) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का नहीं है और जहां कोई युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार के साथ, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के साथ, संविदा के अधीन या अन्यथा सरकार की ओर से बनाई जा रही, मरम्मत की जा रही या प्राप्त की जा रही या भंडार में रखी जा रही है ;

(ग) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का है या सरकार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने, इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसे नुकसान शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;

(घ) कोई रेल, सड़क, मार्ग या जलसरणी या भूमि मार्ग

या जल मार्ग द्वारा संचार के अन्य साधन (जिनके अन्तर्गत उनके भागरूप या उनसे संबंधित कोई संकर्म या संरचनाएं भी हैं) या गैस, जल या विद्युत् संकर्मों या सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्य संकर्मों के वास्ते प्रयुक्त कोई स्थान या कोई स्थान जहां युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार की ओर से बनाए जाने से अन्यथा बनाए जा रहे, मरम्मत किए जा रहे या भंडार में रखे जा रहे हैं, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;

(9) "रेखाचित्र" के अंतर्गत को कोई फोटोग्राफ या किसी स्थान या चीज का प्रतिरूपण करने वाला अन्य ढंग है ; और

[1]* * * *

(10) "पुलिस अधीक्षक" के अंतर्गत समान या वरिष्ठ पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे केन्द्रीय सरकार ने [2]*** पुलिस अधीक्षक की शक्तियां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त की हों ।

3. गुप्तचरी के लिए शास्तियां – (1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए –

(क) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा, उसका निरीक्षण

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1950 द्वारा खण्ड (9क) अंत:-स्थापित किया गया था जिससे 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा निरसित किया गया ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या किसी स्थानीय सरकार द्वारा" शब्दों का लोप किया गया ।

करेगा, उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा ; या

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाएगा या करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है ; या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द, या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तावेज, या जानकारी अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है, या होने के लिए आशयित है [1][या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है] ;

तो वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के स्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग क्षेत्र, कारखाने, डॉकयार्ड, शिविर, पोत या वायुयान के संबंध में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के कार्यों के संबंध में या किसी गुप्त शासकीय संकेतकीय के संबंध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामलों में तीन वर्ष तक की हो सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए [2]*** अभियोजन पर यह दर्शित करना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे विशिष्ट कार्य का दोषी है जिसकी प्रवृत्ति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयोजन दर्शित करने की है, और इस बात के होते हुए भी कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य साबित नहीं होता है उसे सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा यदि मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से, जैसा कि साबित हो, यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था ; और यदि, किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रयुक्त या उससे संबद्ध अथवा ऐसे स्थान में कि किसी चीज से संबद्ध किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी अथवा संकेत शब्द को विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया जाता है, और मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से जैसा कि साबित हो यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था तो ऐसे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, [1][जानकारी, संकेतकी या संकेत शब्द की बाबत या उपधारित किया जाएगा] कि उसे राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया गया था ।

4. विदेशी अभिकर्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के किए जाने का साक्ष्य होना – (1) धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में यह तथ्य कि वह, चाहे [2][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है या उसने सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है इस बात को साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा कि उसने, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी अभिप्राप्त की है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है या होने के लिए आशयित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किन्तु पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा "या जानकारी जिसकी बाबत यह उपधारित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है, यदि –

(i) वह या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता के ठिकाने पर गया है या विदेशी अभिकर्ता के साथ साहचर्य या सहयुक्ति करता रहा है, या

(ii) या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) "विदेशी अभिकर्ता" पद के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य [1][भारत] के भीतर या बाहर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि उसके ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य [1][भारत] के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने का युक्तियुक्त संदेह है ;

(ग) "किसी ऐसे पते" की बाबत चाहे वह [1][भारत] के भीतर हो या बाहर, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, अथवा किसी ऐसे पते की बाबत जिसमें कोई विदेशी अभिकर्ता निवास करता है या जिसमें वे संसूचनाएं देने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारबार करता है, यह उपधारित किया जाएगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली संसूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाएं हैं ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. जानकारी की सदोष संसूचना आदि – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान से संबद्ध या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान में की किसी चीज से संबद्ध है [1][अथवा जिससे शत्रु को प्रत्यक्षत: या परोक्षत: सहायता होनी सम्भाव्य है, या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है] अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसकी उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पहुंच उसकी उस स्थिति के कारण हुई जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई किसी संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो उस किसी व्यक्ति के अधीन नियोजित है या रह चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है –

(क) उस संकेतकी या संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से, जिसे उससे संसूचित करने को वह प्राधिकृत है, या किसी न्यायालय से, या उस व्यक्ति से, जिसको राज्य के हितों में, उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है, भिन्न किसी व्यक्ति को जानबूझकर संसूचित करेगा ; या

(ख) अपने कब्जे में की जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ; या

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 5 द्वारा "या इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में प्रतिधृत रखेगा जब कि उसे उसकी प्रतिधारित रखने का अधिकार नहीं है या जब कि उसे प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या व्ययन के संबंध में दिए गए सब निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल होगा ; या

(घ) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त संभाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को स्वेच्छया प्राप्त करेगा जब कि उस समय जब वह उसे प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से सम्बद्ध है उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को, या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

[1][(4) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 5 द्वारा (10-7-1968 से) पूर्ववर्ती उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

से, दंडनीय होगा ।]

6. वर्दियों का अप्राधिकृत उपयोग, रिपोर्टों का मिथ्याकरण, कूटरचना, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज – (1) यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश पाने के या प्रवेश पाने में किसी व्यक्ति को सहायता देने के प्रयोजन के लिए या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए –

(क) किसी नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक, पुलिस या अन्य शासकीय वर्दी का या उससे लगभग उतनी मिलती-जुलती वर्दी का, कि उससे धोखा हो सकता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करेगा या पहनेगा, या अपने को ऐसा व्यक्ति मिथ्यारूपेण व्यपदिष्ट करेगा जो किसी भी ऐसी वर्दी का उपयोग करने या पहनने का हकदार है या हकदार रहा है ; या

(ख) मौखिक रूप से या किसी घोषणा या आवेदन में लिखित रूप में, या अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन या कोई लोप जानबूझकर करेगा या करने में मौनानुकूल रहेगा ; या

(ग) किसी पासपोर्ट को या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक या पुलिस या शासकीय पास, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार की अन्य दस्तावेज को (जो एतत्पश्चात् इस धारा में शासकीय दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट है) कूटरचित करेगा, बदलेगा या बिगाड़ेगा या ऐसी किसी कूटरचित, बदली हुई या अनियमित शासकीय दस्तावेज का जानबूझकर उपयोग करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा ; या

(घ) सरकार के अधीन पद धारण करने वाला या करने वाले व्यक्ति के नियोजन में, व्यक्ति होने का या ऐसा व्यक्ति होने का या न होने का, जिसको शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द सम्यक्रूपेण दिया गया या संसूचित किया गया है, प्रतिरूपण करेगा या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या किसी शासकीय दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को

चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्राप्त करने के आशय से कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करेगा ; या

(ङ) किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को जो सरकार के किसी विभाग का या उसके स्वामित्वाधीन हो या जिसका प्रयोग, निर्माण या प्रदाय सरकार के विभाग द्वारा या किसी ऐसी राजनयिक, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो जो सरकार द्वारा नियुक्त या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यशील हो, सरकार के विभाग या संबंधित प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना, अथवा किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प से लगभग इतने मिलते-जुलते हैं कि उससे धोखा हो सके किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा या किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को कूटकृत करेगा अथवा किसी ऐसी कूटकृत डाई, या मुद्रा या स्टाम्प को जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए –

(क) किसी शासकीय दस्तावेज को, भले ही वह पूरी अथवा उपयोग के लिए जारी की गई हो या नहीं, प्रतिधारित रखेगा जब कि उसे प्रतिधृत रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है, या जब कि उसको प्रतिधृत रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है, या सरकार के किसी विभाग या ऐसे विभाग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लौटाने या व्ययन के संबंध में दिए गए निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ख) केवल अपने प्रयोग के लिए जारी की गई किसी शासकीय दस्तावेज पर कब्जा अन्य व्यक्ति को करने देगा या ऐसे जारी किए गए किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा, या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को

जो उससे भिन्न किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए जारी किया गया हो अपने कब्जे में रखेगा या किसी शासकीय दस्तावेज को पाने पर या अन्यथा अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग के लिए वह जारी की गई थी, या किसी पुलिस अधिकारी को उसे प्रत्यावर्तित करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ग) पूर्वोक्त जैसे किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना विनिर्मित करेगा या विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंध, सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक मामलों से संबद्ध या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी से संबद्ध इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी अभियोजन में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन दंडनीय [2]*** अपराधों के अभियोजनों में राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के लिए लागू होते हैं ।

7. पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के काम में हस्तक्षेप करना – (1) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी, या [3][संघ के सशस्त्र बलों] के किसी सदस्य को, जो उसी प्रतिषिद्ध स्थान के सम्बन्ध में गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, बाधित नहीं करेगा, जानबूझकर मार्ग भ्रष्ट

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 6 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजिस्टी के बलों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

नहीं करेगा या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अड़चन नहीं डालेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

8. अपराधों के किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी देने का कर्तव्य – (1) प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, या [2][संघ के सशस्त्र बलों] के किसी सदस्य को जो गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन किसी अपराध से यह संदिग्ध अपराध से सम्बद्ध ऐसी जानकारी, जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो और उसके युक्तियुक्त व्ययों के निविदान पर ऐसे युक्तियुक्त समय और स्थान पर हाजिर हो जैसा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने में या पूर्वोक्त रूप से हाजिर होने से असफल होगा तो वह कारावास से, जो [3][तीन वर्ष] तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

9. प्रयत्न, उद्दीपन आदि – जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या उसका किया जाना दुष्प्रेरित करेगा वह ऐसे दंड से दंडनीय होगा और अपने विरुद्ध ऐसी रीति में कार्यवाही किए जाने का भागी होगा मानो उसने ऐसा अपराध किया हो ।

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 7 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजिस्टी के बलों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 8 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10. गुप्तचरों को संश्रय देने के लिए शास्ति – (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा जिसकी बाबत वह जानता है, या उसके पास इस अनुमान के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन अपराध करने वाला है या कर चुका है अथवा अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जानबूझकर मिलने या समवेत होने देगा, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को संश्रय देने वाले या उपरोक्त जैसे किन्हीं व्यक्तियों को अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में मिलने या समवेत होने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों संबंधी ऐसी जानकारी जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को देने में असफल रहेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

11. तलाशी वारंट – (1) यदि किसी प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का समाधान शपथ पर जानकारी द्वारा करा दिया जाता है कि यह सन्देह किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, तो वह एक तलाशी वारंट दे सकेगा जो उसमें नामित किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस थाने के भारसाधक

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 9 द्वारा "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अधिकारी की पंक्ति से नीचे नहीं है, इसके लिए प्राधिकृत करेगा कि वह किसी भी समय किन्हीं परिसरों या स्थान में, जो वारंट में लिखित है, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक प्रवेश करे और उन परिसरों या स्थान की और वहां पाए गए प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ले और कोई रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज या वैसी ही कोई वस्तु, या ऐसी कोई चीज, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध का साक्ष्य है जो किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है और जो उसे उन परिसरों या स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिले, और जिसके बारे में या जिसके संबंध में उसके पास यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, अभिगृहीत करे ।

(2) जहां किसी पुलिस अधिकारी को, जो अधीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है, यह प्रतीत होता है कि मामला महान आपात का है, और राज्य के हितों में अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, वहां वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी को वैसा ही प्राधिकार दे सकेगा जैसा मजिस्ट्रेट के वारंट के द्वारा इस अपराध के अधीन दिया जा सकता है ।

(3) जहां पुलिस अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई है वहां वह, यथाशीघ्र ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट, प्रेसिडेंसी नगर में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को और ऐसे नगर के बाहर जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट को देगा ।

[1][**12. 1898 के अधिनियम 5 की धारा 337 के उपबंधों की धारा 3, 5 और 7 के अधीन अपराधों को लागू होना** – दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[2] की धारा 337 के उपबंध, धारा 3 के अधीन या धारा 5 के अधीन या धारा 7 के अधीन अथवा 9 के साथ पठित उक्त धारा 3, 5 और 7 में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसी अवधि के लिए जो सात वर्ष तक की हो सकेगी कारावास से दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं ।]

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 10 द्वारा धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 306 देखिए ।

13. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन – (1) [1][समुचित सरकार] द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय जो जिला या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विचारणाधीन कोई व्यक्ति आरोप विरचित किए जाने से पहले किसी समय सेशन न्यायालय द्वारा विचारण का दावा करता है तो यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करता तो वह मामले को उस न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द कर देगा, भले ही वह ऐसा मामला नहीं है जो उक्त न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय हो ।

(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, [2][समुचित सरकार] [3]*** या इस निमित्त [1][समुचित सरकार] द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश से या उससे प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

[4]* * * * *

(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के प्रयोजनों के लिए वह अपराध या तो उस स्थान पर जहां वह वास्तव में किया गया था या [5][भारत] में किसी स्थान पर जहां अपराधी पाया जाए किया गया समझा जाएगा ।

[6][(5) इस धारा में समुचित सरकार से अभिप्रेत है -

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" शब्दों का लोप किया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 11 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।

[5] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) धारा 5 के अधीन किन्हीं अपराधों के संबंध में जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान या किसी विदेशी शक्ति से संबंधित नहीं है, राज्य सरकार ; और

(ख) किसी अन्य अपराध के संबंध में केन्द्रीय सरकार ।]

14. कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन – किन्हीं ऐसी शक्तियों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किन्हीं कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन करने का आदेश देने के बारे में न्यायालय को है, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के या अपील में की कार्यवाहियों के दौरान या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विचारण के दौरान इस आधार पर कि कार्यवाहियों के दौरान दिए जाने वाले किसी साक्ष्य के या किए जाने वाले किसी कथन के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अभियोजन पक्ष द्वारा यह आवेदन किया जाए कि समस्त जनता या उसका कोई भाग सुनवाई के किसी भाग के दौरान अपवर्जित कर दिया जाए तो न्यायालय उक्त आशय का आदेश दे सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में दंडादेश जनता के समक्ष दिया जाएगा ।

[1][**15. कम्पनियों द्वारा अपराध** – (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित ऐसे दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 12 द्वारा धारा 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

16. [निरसन ।] – निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in